

महामना मालवीय
वाङ्मय

दिशा-दर्शन



महामना मालवीय मिशन

महामना मालवीय

वाङ्मय

दिशा-दर्शन

महामना मालवीय वाङ्मय

दिशा-दर्शन

गुंजन अग्रवाल

शुभाशंसा

न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय

डॉ. कमलकिशोर गोयनका

इं. हरिशंकर सिंह



महामना मालवीय मिशन

नयी दिल्ली-110 002

महामना मालवीय वाङ्मय

दिशा-दर्शन

लेखक : गुंजन अग्रवाल

प्रकाशक :



महामना मालवीय मिशन

'मालवीय स्मृति भवन', 52-53, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नयी दिल्ली-110 002

दूरभाष : 011-23238014, 23216184

ई-मेल : malaviyamission@gmail.com, malaviyasmritibhawan@yahoo.com

mahamanavangmay@gmail.com

वेबसाइट : www.malaviyamission.org

© सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

इस पुस्तक का कोई भी अंश किसी भी रूप या माध्यम; जैसे- इलेक्ट्रॉनिक, यान्त्रिकी, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य के द्वारा पुनर्प्राप्ति-प्रणाली में संग्रहीत या हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक की सामग्री का उपयोग धारक की बौद्धिक सम्पत्ति की चोरी मानी जाएगी। इस पुस्तक की सामग्री (पुनरावलोकन के उद्देश्यों के अतिरिक्त) उपयोग करने हेतु प्रकाशक की पूर्ण लिखित अनुमति आवश्यक है।

आई.एस.बी.एन. : 978-81-99031-25-8

प्रथम संस्करण :

26 नवम्बर, 2020 ई.

मुद्रक :

इन्द्राणी ग्राफिक्स, कोटला मुबारकपुर, नयी दिल्ली, दूरभाष : +91 9810452765

दो शब्द

श्री गुंजन अग्रवाल द्वारा 'पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय' की भूमिका के रूप में जिस प्रकार महामना मालवीय वाङ्मय : दिशा-दर्शन शीर्षक इस पुस्तक का लेखन किया गया है, वह अत्यन्त श्रमपूर्वक किये गये किसी शोध-ग्रन्थ से कम नहीं है। लेखक ने महामना मालवीय के जीवन के हर पहलू पर जो भी सामग्री जहाँ जहाँ मिल सकती है, उसको ढूँढ़ने के लिये देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी उनके स्रोतों का श्रमपूर्वक संकलन किया है जो किसी महारथ से कम नहीं है। वास्तव में यह पुस्तक मालवीय वाङ्मय के लिये ही नहीं, महामना पर शोध कर रहे किसी शोधकर्ता के लिये भी नींव के पत्थर समान आधारस्वरूप व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध होनेवाला ग्रन्थ है। जिस सिलसिलेवार तरीके से विषय सूची को बनाकर इस ग्रन्थ को लिखा गया है, केवल उसी को पढ़ लेने मात्र से महामना के जीवन की पूरी झाँकी नेत्रों के सम्मुख सजीव हो उठती है। लेखक का यह प्रयास गागर में सागर को भरने जैसा महत्त्वपूर्ण योगदान है। मैं श्री गुंजन अग्रवाल को उनके इस संकलन के लिये साधुवाद व बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि समस्त शोधार्थियों द्वारा चिरकाल तक इसे पढ़ा व सराहा जायेगा।

03.9.2020

न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय

26, अमरनाथ झा मार्ग,
जॉर्ज टाउन,
प्रयागराज-211 002

कुलाधिपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
पूर्व न्यायाधीश (सेवा.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय;
संरक्षक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन

शुभाशंसा

प्रिय श्री गुंजन अग्रवाल,

महामना मालवीय वाङ्मय : दिशा-दर्शन मिला। धन्यवाद।

इसे देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि आपने इसे इतनी विपुल सामग्री से कैसे समृद्ध बनाया, इतने प्रामाणिक तथ्य कैसे एकत्र किये तथा आपने इसे कैसे वैज्ञानिक शोध का रूप दिया? सच, इस पर आपको कोई भी विश्वविद्यालय पीएच. डी. की डिग्री दे सकता है।

मालवीय जी की रचनावली को तैयार करने के लिए यह आधारभूत दस्तावेज है। इसके आधार पर सामग्री का एकत्रीकरण तथा चयनीकरण होना चाहिए और इसकी रूपरेखा पर समय-समय पर विचार होते रहना चाहिए कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है; क्योंकि अज्ञात-अप्राप्य सामग्री हमें किस दिशा में ले जायेगी, कह नहीं सकते, लेकिन इसे आधार बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है।

मेरा निवेदन है, आपको भारत सरकार के 'सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय' को देखना चाहिए और उसे आदर्श बनाने पर विचार करना चाहिए।

'मालवीय-वाङ्मय' एक कालजयी योजना है, ऐतिहासिक तो है ही। अतः उसका स्वरूप कालजयी होना चाहिए, पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः पठनीय तथा पूर्णतः प्रामाणिक। विश्वास है, श्रद्धेय डॉ. कृष्ण गोपाल जी के नेतृत्व में तथा विद्वानों के सम्पादकत्व में यह इक्कीसवीं शताब्दी की उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

शुभकामनाओं सहित,

21.8.2020

ए-98, अशोक विहार, फेज 1,
नयी दिल्ली-110 052

प्रो. कमलकिशोर गोयनका

पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय;
पूर्व उपाध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा,
भारत सरकार

राष्ट्रीय समन्वयक की कलम से

‘पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय’ का प्रकाशन महामना मालवीय मिशन का संकल्प है। इस कार्य को सुगम बनाने की दिशा में महामना मालवीय वाङ्मय : दिशा-दर्शन नाम की इस पुस्तक का प्रणयन एक सराहनीय कार्य है। महामना मालवीय मिशन के शोध-सहायक श्री गुंजन अग्रवाल ने विचार-विमर्श के पश्चात् इस पुस्तक का लेखन किया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

सम्पूर्ण महामना मालवीय वाङ्मय को तैयार करने के लिए यह दस्तावेज मील का पत्थर है; क्योंकि इसके आधार पर सामग्री का संकलन, वाङ्मय-सामग्री के सम्भावित स्थल, सम्पादन और प्रकाशन के विभिन्न चरण, आदि वाङ्मय-प्रकाशन की सफलता के सोपान हैं।

केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति के प्रयास से और माननीय डॉ. कृष्ण गोपाल जी के दिशा-निर्देशन में इस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी।

मंज़िल पर पहुँचने के लिए, अपने कदमों पर भरोसा रखना है।

निर्धारित मार्ग पर चलता रहना है, काबिलियत पर विश्वास रखना है।

विकल्प मिलेंगे कई, मार्ग भटकाने के लिए,

संकल्प एक ही सही, मंज़िल तक जाने के लिए॥

धन्यवाद।

19.9.2020

‘मालवीय स्मृति भवन’

52-53, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
दिल्ली-110 002

इं. हरिशंकर सिंह

राष्ट्रीय समन्वयक

पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय परियोजना

प्रस्तावना

आ ज से दो वर्ष पूर्व एक अखिल भारतीय संस्था 'महामना मालवीय मिशन' ने आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक भारत रत्न महामना पं. मदनमोहन मालवीय (25.12.1861-12.11.1946) के 'सम्पूर्ण वाङ्मय' का संकलन और प्रकाशन करने का संकल्प लिया और विगत वर्ष इन पंक्तियों के लेखक को भी इस ज्ञानयज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सनातनधर्म के पुरोधा, स्वदेशी-स्वराज्य-स्वधर्म-स्वभाषा के प्रबल समर्थक तथा उन्नायक महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी एक महान् स्वाधीनता सेनानी, काउंसिल के सक्रिय सदस्य, सिद्धान्तप्रिय राजनीतिज्ञ, अग्रणी समाजसुधारक, प्रखर शिक्षाविद्, यशस्वी पत्रकार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित अनेक संस्थानों के संस्थापक, एक सफल अधिवक्ता होने के साथ एक स्पष्टवादी वक्ता और एक सिद्धस्थ लेखक भी थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है—

*'मालवीयजी को सरस्वती का वरदान ही प्राप्त नहीं था, उनकी वाणी और लेखनी में साक्षात् सरस्वती विराजती थी। इसलिए उनकी वाणी से जो भी शब्द निकला, जन-मन पर उसका प्रभाव पड़ा और उनकी लेखनी से जो कुछ भी आलेखित हुआ, वह साहित्य की शाश्वत निधि बन गया।'*¹

राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य टिळक के बाद सर्वाधिक लिखनेवाले नेताओं में मालवीय जी की ही गणना की जाती है।

1. मालवीयजी के लेख, पं. पद्मकान्त मालवीय (सं.), नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1962, भूमिका

मालवीय जी स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही संस्कृत-वाङ्मय का गहन अध्ययन किया था। इनमें भी भागवतपुराण, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति तो उनके प्रिय ग्रन्थ थे। विद्यार्थी-जीवन में उन्होंने 'मकरन्द' उपनाम से कुछ कविताएँ भी लिखी थीं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मलेन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सनातनधर्म महासभा-जैसी अनेक संस्थाओं में सक्रिय होने के बाद भी वह स्वाध्याय के लिए समय निकाल लेते थे। 1890 के दशक में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और सन् 1911 तक अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया। अतः उस दौरान उन्होंने सम्पादकीय और लेख बड़ी संख्या में लिखे। कुछ पुस्तकों की प्रस्तावना भी लिखी। देश के अनेक स्थानों पर मुक़द्दमे लड़े। लगभग एक हजार पत्र लिखे। संस्कृत के विद्वान् होने के कारण उन्होंने अनेक लेख और अभिलेख संस्कृत में लिखे, जो आज भी देश के कुछ स्थानों पर उत्कीर्ण हैं। साहित्य, संस्कृत और संस्कृति की सेवा में रत, देश के कई प्रकाशकों, मुद्रकों, उद्योगपतियों को उन्होंने लिखित रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। परिणामस्वरूप मालवीय जी की लेखनी से निःसृत साहित्य पर भारतीय सनातन संस्कृति की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है।

लेखन के साथ मालवीय जी ने प्रवचन, भाषण, व्याख्यान भी बहुत बड़ी संख्या में दिए हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में कितने भाषण दिए, इसकी गणना करना अत्यन्त कठिन है। काँग्रेस के लगभग पचास राष्ट्रीय अधिवेशनों में उनके ओजस्वी उद्बोधन हुए। विविध राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आन्दोलनों के दौरान भी उनके अनगिनत सम्बोधन हुए। लगभग तीन दशक तक राष्ट्रीय और प्रान्तीय असेम्बली तथा काउंसिल के सक्रिय सदस्य रहे। मालवीय जी हिंदू-धर्मशास्त्रों के महान् प्रवचनकर्ता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रत्येक एकादशी को गीता-प्रवचन और भागवत-प्रवचन भी देते रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने अनेक बार उसके दीक्षान्त-समारोहों को सम्बोधित किया।

फिर भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि मालवीय जी ने अधिकांशतः किसी पेशेवर साहित्यकार की भाँति कोई व्यवस्थित और नियमित लेखन नहीं किया है। पत्रकारिता के दिनों में मालवीय जी ने समाचार-पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय और लेख बड़ी संख्या में अवश्य लिखे हैं, किन्तु पत्रकारिता से निवृत्त होने के पश्चात् राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अपने व्यस्ततम दिनों में मालवीय जी ने परिस्थितिजन्य लेखन ही किया है। जब जैसी आवश्यकता पड़ी और जब किसी ने अनुरोध किया, वैसा लिखा। फलस्वरूप मालवीय जी के लेखन में एक पेशेवर साहित्यकार के समान सुसम्बद्धता नहीं दिखती, जो स्वाभाविक है। किन्तु इसके पश्चात् भी उनकी रचनाओं में अपार पाण्डित्य

और विद्वत्ता प्रतिबिम्बित होती है, जिसका समग्र संकलन और प्रकाशन समय की मांग है।

दुर्भाग्य से मालवीय जी द्वारा लिखित और वाचित— समग्र दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन का कोई गम्भीर प्रयास— सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर— कभी नहीं किए गये। कुछेक लेख-संग्रहों और भाषण-संग्रहों को छोड़ दिया जाए, तो उनकी सम्पूर्ण कृतियों को प्रकाशित करना तो दूर, संकलित करने का भी कोई उल्लेखनीय प्रयास कभी नहीं हुआ। यह एक कटु सत्य है कि मालवीय जी के स्वर्गवास के बाद विगत सात दशकों में मालवीय जी को एक महान् शिक्षाविद् के रूप में स्थापित करके उनके शेष सभी कार्यों को अत्यन्त निर्ममता से विस्मृत करने-कराने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप मालवीय जी की अधिकांश रचनाएँ न तो कभी प्रकाश में आ सकीं और न ही किसी विश्वविद्यालय में उनकी कृतियों को शोध-कार्य के लिए खंगाला गया। यही कारण है कि मालवीय-साहित्य धीरे-धीरे अन्धकार में खोता गया और अभिलेखागारों तक सिमटकर रह गया। इसलिए मालवीय जी के देहावसान के 74 वर्ष और स्वाधीनता के 73 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मालवीय जी का सम्पूर्ण वाङ्मय आज तक प्रकाशित नहीं हो सका है जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, लाला लाजपत राय, श्रीअरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द सरस्वती, आद्य शंकराचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', वीर सावरकर, रामधारी सिंह 'दिनकर', डॉ. राममनोहर लोहिया-जैसी शताधिक राष्ट्रीय विभूतियों के सम्पूर्ण वाङ्मय, दशकों पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं।

महामना मालवीय के इस राष्ट्रीय विस्मरण का परिणाम यह हुआ कि महामना के बहुत-से लेख और भाषण खो भी गए हैं और जो बचे हैं, वे काल के थपेड़ों से नष्ट हो रहे हैं। उन्हें बचाना आवश्यक भी है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी। देशभर में बिखरे मालवीय-वाङ्मय को मूल रूप में एकत्र करना भी अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे अत्यन्त धैर्य, लगन, सावधानी और योजनापूर्वक ही पूरा किया जा सकता है।

महामना मालवीय मिशन ने मालवीय जी के सम्पूर्ण वाङ्मय के संकलन-प्रकाशन का विराट् कार्य अपने हाथों में लिया है और इसके लिए वाङ्मय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इस समिति के राष्ट्रीय समन्वयक मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री इं. हरिशंकर सिंह जी तथा अन्य सदस्यों में डॉ. हरिनारायण सिंह जी, डॉ. विजय कुमार तिवारी, श्री रोहित सिन्हा, आदि प्रमुख हैं। कार्य की सुगमता के लिए मिशन के मुख्यालय 'मालवीय स्मृति भवन', दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय की सभी

सुविधाओं के साथ स्थापना की गई है।

देश के कोने-कोने से पूज्य मालवीय जी के प्रकाशित-अप्रकाशित लेख, पत्र, भाषण, पुस्तकें, चित्र, मालवीय जी द्वारा लड़े गए मुकद्दमों के कागज़ात, आदि अनेक सामग्री एकत्र की जा रही है। लगभग पचीस-तीस खण्डों में प्रकाश्य पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय न केवल भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्ययन करनेवाले छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए उपयोगी होगा, अपितु इसके प्रकाशन से भारत-जैसे विशाल राष्ट्र के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई नवजागरण का एक लम्बा और बहुत कुछ अज्ञात इतिहास भी उद्घाटित हो सकेगा। इस सन्दर्भ में हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् आचार्य शिवपूजन सहाय (1893-1963) के सुझाव उल्लेखनीय हैं :

‘महामना के प्रवचनों, वक्तव्यों, सन्देशों, व्याख्यानों और भाषणों तथा लेखों का संकलन तत्परता से करके प्रकाशित करना चाहिये; क्योंकि वे लोककल्याण के अमोघ साधन हैं और उन्हें साहित्य की अमूल्य निधि मानकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।... मालवीय-साहित्य के संरक्षण से भारत-जैसे विशाल राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक नवजागरण का इतिहास तैयार हो जायेगा।’¹

महामना मालवीय मिशन ने न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय जी (माननीय कुलाधिपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय; सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय; संरक्षक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन) तथा माननीय श्री प्रभुनारायण श्रीवास्तव जी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन) के नेतृत्व में सम्पूर्ण वाङ्मय मालवीय परियोजना को अंगीकार करके पं. मदनमोहन मालवीय की कृतियों को सहेजने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और सह-सरकार्यवाह तथा प्रसिद्ध चिन्तक-विचारक डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय परियोजना का मार्गदर्शन सुनिश्चित किया है। आधुनिक भारतीय इतिहास सहित भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के एक गहन अध्येता के रूप में आप देशभर में जाने जाते हैं। महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री इं. हरिशंकर सिंह जी इस विराट् परियोजना को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इन मनीषीद्वय की ही प्रेरणा से महामना मालवीय जी से सम्बन्धित मूल

1. ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’, वर्ष 66, अंक 2-3-4, संवत् 2018 वि. (1961 ई.), ‘मालवीय शती विशेषांक’, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ. 550-551.

सामग्री के अन्वेषण के लिए देशभर में बहुत-से विद्वानों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुछ सामग्री एकत्र भी हुई है। समय-समय पर सम्पादक-मण्डल की बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। निर्णयानुसार खण्डशः बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक महामना मालवीय वाङ्मय : दिशा-दर्शन में महामना पं. मदनमोहन मालवीय के मूल साहित्य (लेख, पत्र, भाषण, इत्यादि) के अन्वेषण से लेकर सम्पादन और सम्पूर्ण वाङ्मय के प्रकाशन तक के सभी चरणों की सविस्तार विवेचना की गई है और इस कार्य में आनेवाली किसी भी प्रकार की अकादमिक बाधाओं को दूर करने का हरसम्भव प्रयास किया गया है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय जी का मैं सहृदय आभारी हूँ, जिन्होंने पूरी पुस्तक की पाण्डुलिपि पढ़कर न केवल मुझे अनेक उपयोगी सुझाव दिए और अपितु अपना आशीर्वाचन देकर मुझे गौरवान्वित किया है। इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का सूक्ष्मावलोकन करने तथा अपनी सम्मति देने के लिए मैं केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रेमचन्द-साहित्य के विश्वविख्यात मर्मज्ञ डॉ. कमलकिशोर गोयनका जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मालवीय वाङ्मय परियोजना के राष्ट्रीय समन्वयक इं. हरिशंकर सिंह जी का मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को पढ़ा और चर्चा की तथा अनेक सुझाव दिये। हिंदी एवं संस्कृत भाषा तथा साहित्य के चूडान्त विद्वान् डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' जी के योगदान को मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता, जिनसे मैं समय-समय पर मार्गदर्शन लेता रहा।

आशा है, पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय परियोजना में सहयोगी विद्वान् ही नहीं वरन् मालवीय-साहित्य के अध्येता और शोधार्थी भी इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे।

श्रावण पूर्णिमा, वि.सं. 2077
(03 अगस्त, 2020)
नयी दिल्ली-110002



(गुंजन अग्रवाल)

gunjanaggrawala@gmail.com

विषय-सूची

दो शब्द : न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय	(v)
शुभाशंसा : डॉ. कमलकिशोर गोयनका	(vi)
राष्ट्रीय समन्वयक की कलम से : इ. हरिशंकर सिंह	(vii)
प्रस्तावना	(viii)

क्र.	अध्याय	पृष्ठांक
1.	'वाङ्मय' का अभिप्राय और भारत में 'सम्पूर्ण वाङ्मय' के प्रकाशन की परम्परा	1
2.	महामना रचना-संचयन : एक विहंगावलोकन	11
3.	महामना का अप्रकाशित-असंकलित साहित्य : अन्वेषण और एकत्रीकरण	18
4.	मालवीय जी से सम्बन्धित साहित्य के सम्भावित स्थल	35
5.	विदेशों में विद्यमान मालवीय-साहित्य	43
6.	विषय-वर्गीकरण (खण्ड-विभाजन)	47
7.	मालवीय जी की पत्रकारिता और उनके लेख	53
8.	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशनों में दिए गए भाषण और प्रस्ताव	63
9.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में दिए गए भाषण तथा अन्य कार्य	71
10.	इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए गए भाषण	75
11.	काशी हिंदू विश्वविद्यालय पेपर्स	85
12.	द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दिए गए भाषण और टिप्पणियाँ	91
13.	मालवीय जी द्वारा लिखित पुस्तकों की भूमिका, सम्मति, शुभाशंसा	95
14.	महामना का संस्कृत गद्य-पद्य साहित्य	97

15. मालवीय जी का पत्र-साहित्य	100
16. समकालीन राजनीतिज्ञों तथा सामान्य लोकसेवकों के विषय में महामना मालवीय द्वारा लिखित संस्मरण	106
17. मालवीय-चित्रावली	112
18. सम्पूर्ण वाङ्मय का अनुक्रमणिका-निर्माण	114
19. सम्पादन और प्रकाशन के विभिन्न चरण	118
20. डिजिटलीकरण का युग और सम्भावित खतरे	125

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 : पं. मदनमोहन मालवीय के भाषणों के ग्रामोफोन-रिकार्ड्स	128
परिशिष्ट 2 : महामना के वीडियो-फुटेज	130



‘वाङ्मय’ का अभिप्राय और भारत में ‘सम्पूर्ण वाङ्मय’ के प्रकाशन की परम्परा

संस्कृत-भाषा के शब्द ‘वाङ्मय’ का व्युत्पत्तिशास्त्रीय दृष्टि से अर्थ है— वाक् + मय = वाणीमय, वाणीयुक्त अथवा शब्दमय। इस दृष्टि से हम किसी व्यक्ति-विशेष की वाणीगत अथवा शब्दगत समस्त रचना-संसार को, चाहे वह लिपिबद्ध हो अथवा उसकी मौखिक परम्परा हो, उस सारे ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र और साहित्य को ‘वाङ्मय’ कहेंगे।

इस प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा सम्पूर्ण लिखित और वाचित (उच्चारित) साहित्य का संग्रह (और उसका ग्रन्थाकार प्रकाशन) ही ‘सम्पूर्ण वाङ्मय’ के अंतर्गत मान्य है। यही ‘सम्पूर्ण वाङ्मय’ का अर्थ और अभीष्ट है। ‘वाङ्मय’ कोई ‘पीएच. डी.’ या ‘डी.लिट्.’ का ग्रन्थ नहीं है जिसमें किसी विद्वान् की कृतियों की समीक्षा और व्याख्या की जाती है। सम्पूर्ण मूल सामग्री का यथावत् संकलन ही ‘वाङ्मय’ है। अतः वाङ्मय में सामग्री का वर्गीकरण और शीर्षकों-उपशीर्षकों का नामकरण भी रचनाकार की कृतियों की मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, न कि थीसिस के समान। जब कोई सम्पादक अथवा संकलनकर्ता किसी पूर्वकालीन रचनाकार के सम्पूर्ण वाङ्मय का संकलन और प्रकाशन करने का संकल्प लेता है, तो वह उसकी कृतियों में न तो कोई तोड़-मरोड़ कर सकता है, न ही मूल सामग्री में अपनी इच्छित सामग्री प्रक्षेपित कर सकता है और न ही उसको आलोच्य रचनाओं की भाषा-शैली सरल या कठिन करने का अधिकार है। हाँ, आवश्यकतानुसार (यदि वाङ्मय एकाधिक भाषा में प्रकाशित किया जा रहा हो) भाषान्तर अवश्य किया जा सकता है।

‘सम्पूर्ण वाङ्मय’ को अंग्रेजी में ‘Complete Works’ या ‘Collected Works’ कहते हैं। चयनित रचनाओं का संग्रह ‘रचना-संचयन’ अथवा ‘सेलेक्टेड

1. हिंदी-साहित्यशास्त्र, डॉ. कृष्णवल्लभ जोशी, पृ. 51.

वर्क्स' कहा जाता है। कई बार सम्पूर्ण वाङ्मय को 'ग्रन्थावली' और चयनित रचनाओं को 'रचनावली' भी समझा जाता है।

किसी लेखक की सम्पूर्ण रचनाओं (कम्प्लीट वर्क्स) को एक ग्रन्थमाला के अंतर्गत प्रकाशित करने की परम्परा पश्चिमी है, जिसे 16वीं शताब्दी तक लैटिन-भाषा में 'ओपेरा ऑम्निया' (Opera Omnia) कहा जाता था। सन् 1490 में एक यूनानी चिकित्सक गैलन (129-210 ई.) के सम्पूर्ण कार्यों का 'ओपेरा ऑम्निया' प्रकाशित हुआ। सन् 1493 में यूरोप के एक वैयाकरण एण्टोनियो मैनसिनेली (1452-1505) का 'ओपेरा ऑम्निया' प्रकाशित हुआ।¹ सन् 1494 से 1502 के मध्य एक फ्रांसीसी विद्वान् और पेरिस युनिवर्सिटी के चांसलर ज्यां चैरैलियर डा गर्सन (1363-1429) का 'ओपेरा ऑम्निया' 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 01 नवम्बर 1495 और जून 1498 के मध्य वेनिस में यूनानी दार्शनिक अरस्तू (384-322 ई.पू.) का 'ओपेरा ऑम्निया' (सम्पूर्ण संग्रह) 6 भागों में प्रकाशित हुआ।²

सन् 1611 से 1613 ई. के मध्य, सर हैनरी सैविल (1549-1622) ने आर्कबिशप जॉन क्राइसोस्टोम (347-407 ई.) का कलेक्टेड वर्क्स 8 भागों में सम्पादित और प्रकाशित किया।³ अंग्रेजी के महान् नाटककार और कवि विलियम शेक्सपीयर (1564-1616) का सम्पूर्ण साहित्य, 1623 ई. में प्रकाशित हो चुका था, जो 'फ़र्स्ट फोलियो' के नाम से सुप्रसिद्ध है।⁴ सन् 1698 में जॉन मिल्टन (1608-1674) का कम्प्लीट वर्क्स 3 भागों में प्रकाशित हुआ।⁵ सन् 1752 में अंग्रेजी के महान् कवि अलेक्जेंडर पोप (1688-1744) का कम्प्लीट वर्क्स 9 भागों में प्रकाशित हुआ।⁶

भारत में भी बहुत-से बड़े लेखकों और राजनेताओं के सम्पूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हो चुके हैं; किन्तु बहुत-से लेखक ऐसे भी हैं, जिनका सम्पूर्ण वाङ्मय आज भी अप्रकाशित है। राजनेताओं का सम्पूर्ण वाङ्मय शासन-सत्ता के सहयोग से प्रकाशित हो

1. Omnia opera Mancinelli, 1493

2. Aristotle. Opera [in Greek]. [Venice: Aldus Manutius, 1 November 1495-June 1498].

3. Tou en hagiois patros hemon Ioannou Archiepiskopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou ton heuriskomenon, 8 Vols. (1611-1613)

4. Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies, London, 1623, pages 900.

5. A complete collection of the historical, political, and miscellaneous works of John Milton, both English and Latin : with som[e] papers never before publish'd, 3 Vols.

6. The Works of Alexander Pope, Esq., 9 Vols., 1752.




जाता है तो साहित्यकारों का वाङ्मय धनाभाव में प्रकाशन की बाट जोहता रहता है। कई बार लेखक के सगे-सम्बन्धियों को ये कार्य करने पड़ते हैं। अधिकांश लेखकों के सम्पूर्ण वाङ्मय उनके मरणोपरान्त प्रकाशित हुए हैं। अधिकांश इतिहासकारों के सम्पूर्ण वाङ्मय आज भी अप्रकाशित हैं। दशमेश गुरु गोविन्द सिंह (1666-1708), महामना पं. मदनमोहन मालवीय (1861-1946), वेदमूर्ति पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर (1867-1968), प्रसिद्ध कला-इतिहासकार आनन्द कुमारस्वामी (1877-1947), विज्ञान परिषद् के संस्थापक प्रो. रामदास गौड़ (1881-1938), संस्कृत-साहित्य-मर्मज्ञ महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज (1887-1976), 'कल्याण' के सम्पादक हनुमानप्रसाद पोद्दार (1892-1971), प्रसिद्ध साहित्यकार और कला-मर्मज्ञ रायकृष्ण दास (1892-1985), प्रसिद्ध इतिहासकार पं. भगवदत्त (1893-1968), प्रसिद्ध उपन्यासकार-इतिहासविद् वैद्य गुरुदत्त (1894-1989), विश्वविख्यात ज्योतिर्विद् पं. सूर्यनारायण व्यास (1902-1976), डॉ. आचार्य रघुवीर (1902-1963), डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल (1904-1966), स्वामी करपात्रीजी महाराज (1907-1982), प्रसिद्ध इतिहास-संशोधक पुरुषोत्तम नागेश ओक (1917-2007), सम्पादकाचार्य डॉ. श्रीरञ्जन सूरिदेव (1926-2018)-जैसे अनेक विद्वानों के सम्पूर्ण वाङ्मय आज भी अप्रकाशित हैं। इनके प्रकाशन के लिए शासन-सत्ता को भी सहयोग करना चाहिए।

बीसवीं शती के उत्तरार्ध में काशी नागरी प्रचारिणी सभा (वाराणसी), हिंदी प्रचारक संस्थान (वाराणसी) और हिंदुस्तानी एकेडेमी (प्रयागराज) ने अनेक मध्यकालीन और आधुनिककालीन साहित्यकारों की ग्रन्थावलियाँ प्रकाशित की हैं। भारत सरकार ने महात्मा गांधी का सम्पूर्ण वाङ्मय हिंदी, अंग्रेज़ी तथा गुजराती में क्रमशः 97, 100 और 82 खण्डों में प्रकाशित किया है। भारत में अबतक प्रकाशित सम्पूर्ण वाङ्मयों में महात्मा गांधी का सम्पूर्ण वाङ्मय विशालतम है और इसे उतनी ही प्रामाणिकता के साथ प्रकाशित भी किया गया है। महात्मा गाँधी के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू का सम्पूर्ण वाङ्मय पहले 11 खण्डों में हिंदी में सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा तथा बाद में 100 खण्डों में अंग्रेज़ी में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।





राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोळवळकर (श्री गुरुजी : 1906-1973), प्रसिद्ध समाजसेवी नानाजी देशमुख (1916-2010) और प्रसिद्ध विचारक तथा भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय (1916-1968) का सम्पूर्ण वाङ्मय प्रकाशित कर दिया है। वर्ष 1891 से 2019 तक भारत में शताधिक विद्वानों के 'सम्पूर्ण वाङ्मय' प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं :

- नवल (स्व. नवलराम लक्ष्मीराम) ग्रन्थावली (3 खण्ड), 1891
- विद्याधर ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1907
- द वर्क्स ऑफ़ श्री शंकराचार्य (20 खण्ड) 1910
- दीनदयालगिरि-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1919
- स्वामी रामतीर्थ ग्रन्थावली (28 खण्ड) 1919-1924
- तुलसी-ग्रन्थावली (3 खण्ड), 1923
- दयानन्द-ग्रन्थमाला (3 खण्ड), 1924
- छत्रसाल-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1926
- कम्प्लीट वर्क्स ऑफ़ स्वामी रामतीर्थ (10 खण्ड), 1930-1948
- ब्रजनिधि-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1933
- भूषण-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1936
- सुन्दर-ग्रन्थावली (2 खण्ड), 1936
- बाँकीदास-ग्रन्थावली (3 खण्ड) 1938
- समग्र केळकर वाङ्मय (12 खण्ड) 1938
- कालिदास-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1943 (?)
- घनानन्द-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1952
- ज्ञानसार-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1952
- भारतेन्दु-ग्रन्थावली (4 खण्ड), 1934, 1953
- श्रीनिवास-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1953
- केशव-ग्रन्थावली (2 खण्ड), 1954-1955
- श्रीगोवर्द्धनभट्ट-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1955
- बनफूल-रचनावली (24 खण्ड), 1955
- शिवपूजन-रचनावली (4 खण्ड), 1956-1959
- द कम्प्लीट वर्क्स ऑफ़ स्वामी विवेकानन्द (8 खण्ड), 1958
- गोविन्ददास ग्रन्थावली (10 खण्ड), 1958
- धर्मवर्द्धन-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1960
- जिनहर्ष-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1960
- विवेकानन्द साहित्य (10 खण्ड), 1963
- श्रद्धाराम-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1966
- देव-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1967
- रसलीन-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1969
- द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गांधी (100 खण्ड), 1969-1994

- सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (97 खण्ड), 1958-2000
- वृन्द-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1971
- सोमनाथ-ग्रन्थावली (3 खण्ड), 1972
- सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ जवाहरलाल नेहरू (100 खण्ड), 1972-2020
- जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय (11 खण्ड), 1973-
- जायसी-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1974
- बोधा-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1974
- आनन्दघन-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1974
- समग्र लोकमान्य टिळक (7 खण्ड), 1974-75
- प्रसाद-ग्रन्थावली (5 खण्ड), 1977
- तुलसी-ग्रन्थावली (4 खण्ड) 1977
- सुमित्रानन्दन पन्त ग्रन्थावली (7 खण्ड), 1979
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर रायटिंग एण्ड स्पीचेज़ (19 खण्ड), 1979
- सत्यनारायण ग्रन्थावली 1980
- हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली (12 खण्ड), 1981
- सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ मोतीलाल नेहरू (7 खण्ड), 1982
- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ग्रन्थावली (9 खण्ड), 1982
- निराला-रचनावली (8 खण्ड), 1982-1983
- बच्चन-रचनावली (9 खण्ड), 1983
- मीता-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1984
- आगरकर-वाङ्मय (3 खण्ड), 1984-1986
- कबीर-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1985
- रसखान-रचनावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1985
- भारतेन्दु-समग्र (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1987
- सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1988
- काका काळेळकर ग्रन्थावली (11 खण्ड) 1987-2002
- अन्नपूर्णाानन्द-रचनावली (1 खण्ड), 1989
- बंकिम-समग्र (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1989
- समन्तभद्र-ग्रन्थावली, 1989
- सुन्दर-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 1989
- शरत् समग्र (5 खण्ड), 1990
- द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (11 खण्ड), 1991



प्रकाशित सम्पूर्ण वाङ्मय के कुछ उदाहरण



प्रकाशित सेलेक्टेड वर्क्स के कुछ उदाहरण

- गुलेरी-रचनावली (2 खण्ड), 1991
- वृन्दावनलाल वर्मा समग्र (5 खण्ड), 1991-2000
- अमृतलाल नागर रचनावली (12 खण्ड), 1992
- बलराज संतोष साहनी समग्र (1 खण्ड), 1993
- बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (21 खण्ड), 1993-2003
- रेणु-रचनावली (5 खण्ड), 1994
- महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली (2 खण्ड), 1994
- राहुल-वाङ्मय (56 खण्ड), 1994
- भारतभूषण अग्रवाल रचनावली (4 खण्ड), 1994
- महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली (15 खण्ड), 1995
- डॉ. प्रतापचन्द्र चन्द्र समग्र (2 खण्ड), 1995
- प्रेमचन्द रचनावली (20 खण्ड), 1996-97
- देवकीनन्दन खत्री समग्र (1 खण्ड में सम्पूर्ण) 1997
- श्रीबालकृष्ण ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण) 1997
- कबीर-समग्र (2 खण्ड) 1997
- नेताजी सम्पूर्ण वाङ्मय (12 खण्ड), 1998
- नेताजी कलेक्टेड वर्क्स (10 खण्ड), 1998
- सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ आचार्य नरेन्द्र देव (4 खण्ड), 1998
- श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय (70 खण्ड), 1998
- धर्मवीर भारती ग्रन्थावली (9 खण्ड), 1999
- रघुवीर सहाय रचनावली (6 खण्ड), 2000
- जयप्रकाश नारायण सेलेक्टेड वर्क्स (10 खण्ड), 2000
- द्विजदेव-ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 2000
- राकेश समग्र (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 2001
- द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ लाला लाजपत राय (15 खण्ड), 2003
- स्वामी सहजानन्द सरस्वती रचनावली (6 खण्ड), 2003
- आचार्य नरेन्द्रदेव वाङ्मय (3 खण्ड), 2002-2004
- द कम्प्लीट वर्क्स ऑफ़ श्रीअरविन्द (37 खण्ड), 2003-2006
- रैदास-रचनावली (1 खण्ड), 2003
- गणेशशंकर विद्यार्थी रचनावली (4 खण्ड), 2004
- श्री गुरुजी समग्र (12 खण्ड), 2005
- परसाई-रचनावली (6 खण्ड), 2005

- सावरकर-समग्र (10 खण्ड), 2005
- बाबू गुलाबराय ग्रन्थावली (6 खण्ड), 2005
- मुक्तिबोध-रचनावली (6 खण्ड), 2007
- यशपाल-रचनावली (14 खण्ड), 2007
- बख्शी-ग्रन्थावली (8 खण्ड), 2007
- शहीद भगत सिंह सम्पूर्ण वाङ्मय, 2007
- जैनेन्द्र रचनावली (12 खण्ड), 2008
- धरमपाल-समग्र (10 खण्ड), 2008
- दुष्यन्त कुमार रचनावली (4 खण्ड), 2008
- भगवतीचरण वर्मा रचनावली (14 खण्ड), 2008
- महामनीषी डॉ. हरवंशलाल ओबराय रचनावली (प्रथम खण्ड), 2008
- आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (6 खण्ड), 2008
- सारे सुखन हमारे (फैज अहमद फैज की सम्पूर्ण रचनाएँ एक खण्ड में), 2008
- नामदेव रचनावली (1 खण्ड), 2009
- श्रीउदयनग्रन्थावलिः, 2009
- भाई नन्दलाल ग्रन्थावली (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 2009
- जगदीशचन्द्र माथुर रचनावली (4 खण्ड), 2009
- अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' रचनावली (10 खण्ड), 2010
- डॉ. हरवंशलाल ओबराय समग्र (5 खण्ड), 2010
- दिनकर-रचनावली (14 खण्ड), 2011
- नागार्जुन-रचनावली (7 खण्ड), 2011
- जगदीशचन्द्र-रचनावली (4 खण्ड), 2011
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉ. राममनोहर लोहिया (9 खण्ड), 2011
- मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली (12 खण्ड), 2014
- सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ सी. राजगोपालाचारी (5 खण्ड प्रकाशित, सम्पूर्ण ग्रन्थावली 10 खण्डों में), 2014-2019
- अज्ञेय-रचनावली (13 खण्ड), 2014
- आचार्य रमानाथ झा रचनावली (5 खण्ड), 2014
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर रचनावली (50 खण्ड), 2014
- विराट् पुरुष नानाजी (6 खण्ड), 2014
- राजकमल चौधरी रचनावली (8 खण्ड), 2015
- स्वामी सहजानन्द सरस्वती वाङ्मय (2 खण्ड), 2015

- रामचन्द्र शुक्ल रचनावली (8 खण्ड), 2016
- एनी बेसेण्ट : द कलेक्शन (6 खण्ड), 2016
- सआदत हसन मंटो दस्तावेज़ (5 खण्ड), 2016
- रवीन्द्रनाथ त्यागी रचनावली (8 खण्ड), 2016
- सरमाया : कैफ़ी आजमी समग्र (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 2016
- दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वाङ्मय (15 खण्ड), 2016
- सांग-सम्राट् चन्द्रलाल बादी ग्रन्थावली, 2017
- द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ रवीन्द्रनाथ टैगोर (1 खण्ड में सम्पूर्ण), 2017
- वीरभद्र-रचनावली (2 खण्ड), 2017
- मुक्तिबोध-समग्र (8 खण्ड), 2019
- श्यामनन्दन किशोर रचनावली (5 खण्ड), 2019
- दत्तोपन्त ठेंगड़ी जीवन दर्शन (9 खण्ड), 2019



महामना रचना-संचयन : एक विहंगावलोकन

कि सी दिवंगत लेखक अथवा रचनाकार की सम्पूर्ण प्रकाशित-अप्रकाशित कृतियों का अन्वेषण और संकलन एक अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार सम्पूर्ण सामग्री के एकत्रीकरण के बाद उसे व्यवस्थित रूप से सम्पादित करके ग्रन्थाकार प्रकाशित करना, तत्पश्चात् उसे पुस्तकालयों और आमजन तक उपलब्ध कराना भी कम दुष्कर नहीं है। और किसी बड़े लेखक अथवा साहित्य-सर्जक की समस्त रचनाओं का आलोडन समुद्रमन्थन-जैसा कार्य है। ऐसे किसी बड़े साहित्यकार की सम्पूर्ण कृतियाँ— अप्रकाशित कृति की पाण्डुलिपि (प्राथमिक स्रोत) और प्रकाशित साहित्य के प्रथम संस्करण (प्राथमिक स्रोत) की खोज में किसी समर्पित शोधकर्ता का पूरा जीवन खप जाता है। एक बार सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त हो जाने के बाद उसे ग्रन्थाकार प्रकाशित करने-करवाने तक शोधकर्ता/कर्ताओं की साँस अटकी रहती है। कई बार यह कार्य उस दिवंगत रचनाकार के परिवार के किसी सदस्य (पुत्र, पत्नी या भाई) को करना पड़ता है। इसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं।

मालवीय-साहित्य को संकलित-प्रकाशित करने के प्रारम्भिक प्रयास :

महामना पं. मदनमोहन मालवीय के जीवनकाल में चार बार उनके रचना-संचयन प्रकाशित हुए। प्रथम बार प्रताप प्रेस, कानपुर से 1917 में स्वराज्य पर मालवीयजी (माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय जी के स्वराज्य-सम्बन्धी व्याख्यान) शीर्षक से उनके कुछ भाषणों के संग्रह प्रकाशित हुए। इस संग्रह की कोई प्रति हमें नहीं मिल सकी है।

दूसरी बार मद्रास के प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता, सम्पादक और प्रकाशक श्री गणपति अग्रहारम् अन्नाधुरई अय्यर नटेशन (जी.ए. नटेशन : 1873-1948) ने उनकी चयनित रचनाओं और भाषणों का संकलन 624 पृष्ठों में स्पीचेज़ एण्ड रायटिंग्स ऑफ़

SPEECHES AND WRITINGS
OF
PANDIT MADAN MOHAN MALAVIYA

"Standing in this ancient capital of India, both of Hindu and Muhammadan period—it fills me, my countrymen and countrywomen, with inexpressible sorrow and shame to think that we the descendants of Hindus who ruled for four thousand years in this extensive Empire and the descendants of Mussalmans who ruled here for several hundred years should have so far fallen from our ancient state that we should have to argue our capacity for even a limited measure of autonomy and self-rule."—"From the Delhi Congress Presidential Address: December, 1918."

FIRST EDITION
G. A. NATESAN & CO., MADRAS
PRICE RS. THREE

जी.ए. नटेशन एण्ड कं., मद्रास से प्रकाशित
स्पीचेज़ एण्ड रायटिंग्स ऑफ़ पण्डित मदन मोहन मालवीय

पण्डित मदन मोहन मालवीय शीर्षक से अपने प्रकाशन 'जी.ए. नटेशन एण्ड कं.' से प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में प्रकाशन-वर्ष का उल्लेख नहीं है, किन्तु इसमें संकलित 17 लेख और भाषण सन् 1890 से लेकर 1918 ई. के मध्य के हैं, अतः यह अनुमान लगता है कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन 1919 ई. में हुआ था।

तीसरी बार इसी ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण द ऑनरेबल पण्डित मदन मोहन मालवीय : हिज़ लाइफ़ एण्ड स्पीचेज़ शीर्षक से 'गणेश एण्ड कं.', मद्रास से प्रकाशित हुआ है। 748 पृष्ठों के इस परिवर्धित संस्करण में सन् 1886 से 1918 के मध्य दिए और लिखे गए 37 लेख और भाषणों का संकलन है। मज़े की बात यह है कि इस द्वितीय संस्करण में भी प्रकाशन-वर्ष का उल्लेख नहीं है।

चौथी बार मालवीय जी के निजी सचिव आचार्य सीताराम चतुर्वेदी (1907-2005) ने मालवीय जी की 75वीं वर्षगाँठ (1937 ई.) पर एक विशाल जिल्द में उनका जीवनचरित, लेख तथा भाषण-संग्रह प्रकाशित किया। इसके तीन भागों में प्रथम भाग में मालवीय जी की जीवनी है। द्वितीय भाग में 'पूज्य मालवीय जी के भाषण' हैं, जिसमें मालवीय जी के 57 भाषण संकलित हैं। इस खण्ड की भूमिका में संकलनकर्ता ने लिखा है—

'मालवीय जी के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान केवल आकाश ने सुने हैं। उनमें से प्रायः सभी केवल वायुमण्डल में ही गूँजते रहे, लेखनी उन्हें बन्दी न कर सकी।... पचपन वर्षों से मालवीय जी बोलते ही तो रहे हैं और कहा जाता है कि जितने भाषण मालवीय जी ने दिए हैं, उतने किसी भारतीय नेता ने नहीं दिए।'

तृतीय भाग में 'पूज्य मालवीय जी के लेख' हैं, जिसमें मालवीय जी के 19 लेख संकलित हैं। इस खण्ड की भूमिका में संकलनकर्ता ने लिखा है—

'पूज्य मालवीय जी ने अपने 75 वर्षों के जीवन में न जाने कितने लेख लिखे। उन सबको एकत्र कर छापना तो मनुष्य की शक्ति से ही बाहर है।'



मालवीय जी के जन्मशताब्दी-वर्ष (1961 ई.) में उनकी चयनित रचनाओं को संकलित-प्रकाशित करने के कुछ प्रयास हुए। प्रसिद्ध इतिहासविद् डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल (1904-1966) के सम्पादकत्व में महामना श्री पण्डित मदनमोहन जी मालवीय के लेख और भाषण (भाग 1 : धार्मिक) शीर्षक 341 पृष्ठों का ग्रन्थ अखिल भारतीय मालवीय जन्मशती समारोह समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ, जिसमें मालवीय जी के कुल 28 लेख और भाषण संकलित हैं। इस ग्रन्थ की 'भूमिका' में डॉ. अग्रवाल ने लिखा है—

‘इस संकलन में जो लेख या भाषण आये हैं, वे तो मालवीय जी रूपी समुद्र की केवल एक बूंद के समान हैं। मालवीय जी ने कितना सोचा, कितना कहा और कितना किया- इसका लेखा-जोखा असम्भव-सा है। उन्हीं की प्रेरणा से प्रकाशित ‘सनातनधर्म’ नामक साप्ताहिक के लिए उन्हें यदा कदा जो लिखना पड़ा, वे लेख मालवीय जी की साहित्य-रचना के स्वल्पांश ही हैं। वे जो कुछ कहते, वह साहित्य ही होता था।’¹

ऐसा लगता है कि मालवीय जी के जन्मशताब्दी-वर्ष में उनकी अधिक-से-अधिक कृतियों को प्रकाशित करने की योजना बनी होगी, किन्तु समर्पित विद्वानों की कमी के कारण यह योजना ठण्डे बस्ते में चली गई होगी। क्योंकि बहुत तलाश करने के बाद भी हमें डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा सम्पादित ग्रन्थ का भाग 2 कहीं भी प्राप्त नहीं हो सका और न ही किसी पुस्तक में इसका कोई उल्लेख ही मिलता है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि केवल प्रथम भाग (धार्मिक) ही प्रकाशित हुआ था।

जून, 1962 में मालवीय जी के भतीजे (जयकृष्ण मालवीय के सुपुत्र) पं. पद्मकान्त मालवीय के सम्पादकत्व में मालवीय जी के लेख शीर्षक से मालवीय जी के 57 हिंदी-लेखों का संकलन प्रकाशित हुआ, जिसके सभी लेख ‘अभ्युदय’ के प्रारम्भिक काल के अंकों से लिए गए थे। 282 पृष्ठों का यह ग्रन्थ नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है, जिसकी प्रस्तावना तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने लिखी है। ये सभी ग्रन्थ लम्बे समय से अप्राप्य हैं।

वर्ष 2004 में एक समर्पित शोधकर्ता श्री उमेश दत्त तिवारी ने महामना के भाषण और महामना के लेख शीर्षक से दो ग्रन्थों का प्रकाशन करवाया। इन दोनों ग्रन्थों का प्रकाशन महामना मालवीय फाउण्डेशन, वाराणसी से हुआ है।

1. महामना श्री पण्डित मदनमोहन जी मालवीय के लेख और भाषण (भाग 1 : धार्मिक), भूमिका, पृ. 3.

मालवीय जन्मशती (१९६१) के उपलब्ध में प्रकाशित

महामना
श्री पण्डित मदनमोहन जी मालवीय

के

लेख और भाषण

D-04214

[भाग १—धार्मिक]

923(7)/VAS-M
ACC NO D-04214

प्रकाशक—

वासुदेवशरण

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा महामना की जन्मशती (1961 ई.) पर प्रकाशित
महामना श्री पण्डित मदनमोहन जी मालवीय के लेख और भाषण (भाग 1 : धार्मिक)


मालवीयजी के लेख

सम्पादक
पं० पद्मकान्त मालवीय



नेशनल पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली

पं. पद्मकान्त मालवीय के सम्पादकत्व में जून, 1962 में प्रकाशित
मालवीयजी के लेख



वर्ष 2007 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने तृतीय अन्तरराष्ट्रीय पूर्व-छात्र समागम के अवसर पर **महामना के विचार : एक चयन** शीर्षक ग्रन्थ का प्रकाशन किया, जिसमें मालवीय जी के 18 लेखों और भाषणों का संकलन था। इस ग्रन्थ का सम्पादन अवधेश प्रधान ने किया है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें मालवीय जी द्वारा नागरी-लिपि के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को दिए गए ज्ञापन 'कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन द नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेस एण्ड अवध' का हिंदी-अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने मालवीय जी के 51 लेखों और भाषणों का संकलन **मदनमोहन मालवीय : विचार-यात्रा** शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसका सम्पादन समीर कुमार पाठक ने किया था। उसी वर्ष एक समर्पित शोधकर्ता समीर कुमार पाठक ने मालवीय जी के बहुत-से लेखों और भाषणों का संकलन 'मदनमोहन मालवीय और हिंदी नवजागरण' शीर्षक से 3 भागों में तैयार किया, जिसे यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली ने प्रकाशित किया है।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त मालवीय जी की समस्त सम्पूर्ण लिखित और वाचिक, प्रकाशित और अप्रकाशित वाङ्मय को संकलित और प्रकाशित करने का प्रयास कभी किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था अथवा किसी जुझारू शोधकर्ता ने किया हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता।

पं. मदनमोहन मालवीय ने केवल लेख ही नहीं लिखे और केवल सार्वजनिक भाषण ही नहीं दिये। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में 'सम्पादकीय' लिखे हैं, जिन्हें कभी इकट्ठा नहीं किया गया; उनकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ भी विपुल मात्रा में हैं, जो कभी एकत्र नहीं की गयीं; उन्होंने कितनी ही कविताएँ लिखी हैं, जिनका मर्म समझने का प्रयास नहीं किया गया; उन्होंने न जाने कितने मुक़दमे लड़े, उनके दस्तावेज कभी खंगाले नहीं गये; उन्होंने काउंसिल और परिषद् में न जाने कितने विषयों पर कितने-कितने दिन बहस की, जिनकी कभी छानबीन नहीं की गयी; मालवीय जी द्वारा दिए और प्रकाशित विज्ञापन, विज्ञप्ति, अपीलें और ख़बरें हैं जो दुबारा कभी देखने में नहीं आये— यह सब मालवीय-वाङ्मय है, जिनको एकत्र करने का कार्य विद्वानों को करना है।



3.

महामना का अप्रकाशित-असंकलित साहित्य : अन्वेषण और एकत्रीकरण

पि छले अध्याय में हम मालवीय जी के रचना-संचयन की चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि मालवीय जी के जीवनकाल में और उसके बाद अभी हाल तक उनके अनेक रचना-संचयन प्रकाशित हुए हैं। घूम-फिरकर एक ही सामग्री अधिकांश संचयनों में आई है। यदि किसी शोधकर्ता ने कुछ कष्ट उठाया भी है, तो अंग्रेजी में प्राप्य साहित्य का हिंदी अनुवाद भर कर दिया है। यह समस्त साहित्य अप्रकाशित साहित्य, मालवीय जी के कुल साहित्य का केवल दस प्रतिशत है। शेष नब्बे प्रतिशत साहित्य आज भी अखिलेखागारों में विद्यमान है, जिसके संकलन और प्रकाशन तो दूर की बात, अन्वेषण तक का कोई सार्थक प्रयास विगत एक शताब्दी में नहीं हुआ है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामनरेश त्रिपाठी (1889-1962) ने मालवीय जी के संकलित-असंकलित साहित्य पर अपनी टिप्पणी इन शब्दों में की है :

‘मालवीय जी के लेख और व्याख्यान ही प्रचुरता से मिलते हैं। किसी भी विषय की कोई पुस्तक उन्होंने अभी तक नहीं लिखी। उनके पास लेख और व्याख्यान छपे हुए भी नहीं मिलते। हिंदी और अंग्रेजी में कुछ ख़ास-ख़ास लेखों और व्याख्यानों के संग्रह पुस्तकाकार प्राप्त हैं। कुछ तो सामयिक पत्रों ही तक छपकर रह गये और कुछ कहीं भी नहीं छपे। कौंसिल में दिए हुए उनके भाषण सरकारी गज़ट में छपा ही करते थे, वे अवश्य उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में उनके कुछ चुने हुए व्याख्यानों के दो-एक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। पर मालवीय जी ने लगातार साठ वर्ष तक जो हज़ारों व्याख्यान दिए, उनका संग्रह सहज में हो भी नहीं सकता।’¹

1. तीस दिन मालवीय जी के साथ, रामनरेश त्रिपाठी, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1942, पृ. 106-107.

इस अध्याय में हम इसी असंकलित और अप्रकाशित साहित्य की चर्चा करेंगे।

अभिलेखागारों में उपलब्ध सामग्री :

देश के कुछ बड़े अभिलेखागारों में मालवीय जी से सम्बन्धित मूल सामग्री सुरक्षित है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : 1. प्राइवेट पेपर्स और 2. माइक्रोफिल्म्स।

प्राइवेट पेपर्स (पाण्डुलिपियाँ और माइक्रोफिल्म्स)

दिल्ली का नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (तीन मूर्ति भवन) गैर-सरकारी दस्तावेजों का एक विशाल अभिलेखागार है जहाँ ब्रिटिशकालीन और स्वातन्त्र्योत्तर भारत के 1,100 से अधिक स्वाधीनता सेनानियों, राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, आन्दोलनकारियों, क्रान्तिकारियों, शिक्षाविदों, लेखकों, पत्रकारों, उद्योगपतियों और समाजसेवियों के 'प्राइवेट पेपर्स' और लगभग सवा सौ सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, औद्योगिक संस्थानों के संस्थागत कागजात (इंस्टीट्यूशनल कलेक्शंस) संरक्षित हैं। 'प्राइवेट पेपर्स' (व्यक्तिगत संग्रह) देश-विदेश से, उन विभूतियों के देहावसान के पश्चात् उनके परिवार द्वारा नेहरू स्मारक संग्रहालय को दान किए गए हैं। यह एक बहुत मूल्यवान्, राष्ट्रीय धरोहर है जिसे नेहरू स्मारक संग्रहालय के 'पाण्डुलिपि-अनुभाग' (मेन्युस्क्रिप्ट-सेक्शन) द्वारा विद्वानों को अनुसन्धान हेतु उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ उपलब्ध अधिकांश सामग्री पाण्डुलिपि के रूप में है, जिनको विशेष रसायनों द्वारा और लेमिनेट करके सुरक्षित किया गया है तथा कुछ सामग्री 'माइक्रोफिल्म्स' के रूप में भी है। माइक्रोफिल्म्स पर हम आगे चर्चा करेंगे।

हम बता चुके हैं कि तीन मूर्ति भवन के 'पाण्डुलिपि-अनुभाग' में संगृहीत 'प्राइवेट पेपर्स' में 1,100 से अधिक व्यक्तियों के निजी संग्रह हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी अनेक महानुभावों के निजी संग्रह हैं। विदेशस्थ अनेक अभिलेखागारों में भी 'प्राइवेट पेपर्स' का संग्रह है। पं. मदनमोहन मालवीय जी से सम्बन्धित सामग्री हेतु इनमें से निम्नलिखित 89 महापुरुषों के संग्रह का अवलोकन आवश्यक है :

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (तीन मूर्ति भवन) में अवलोकनीय प्राइवेट पेपर्स :

नाम	कालखण्ड	पेपर्स-कालखण्ड	पाण्डु./माइक्रो./दोनों
माधव श्रीहरि अणे	1880-1968	1918-1968	मूल पाण्डुलिपि
जवाहरलाल नेहरू	1889-1964	1905-1964	दोनों
जी.आर. अभ्यंकर	1876-1936	...	मूल पाण्डुलिपि

नाम	कालखण्ड	पेपर्स-कालखण्ड	पाण्डु./माइक्रो./दोनों
अबुल कलाम आज़ाद	1888-1958	1938-1955	मूल पाण्डुलिपि
गोपाल गणेश आगरकर	1856-1895	1882-1896	मूल पाण्डुलिपि
डॉ. भीमराव अम्बेडकर	1891-1956	1916-1955	माइक्रोफ़िल्म
राजकुमारी अमृत कौर	1889-1964	1924-1963	मूल पाण्डुलिपि
मुख्तार अहमद अंसारी	1880-1936	1911-1935	दोनों
पं. मदनमोहन मालवीय	1861-1946	1902-1942	माइक्रोफ़िल्म
जमनालाल बजाज	1889-1942	1912-1946	दोनों
डॉ. एनी बेसेण्ट	1857-1933	1907-1934	माइक्रोफ़िल्म
भगत सिंह	1907-1931	1919-1930	मूल पाण्डुलिपि
भगवानदास	1869-1958	1907-1958	मूल पाण्डुलिपि
विनोबा भावे	1895-1982	1910-1965	दोनों
डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे	1872-1948	1872-1948	दोनों
डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे	1872-1948	1908-1957	दोनों
दीवान चमनलाल	1892-1973	1930-1968	मूल पाण्डुलिपि
स्पेंसर हर्कोर्ट बटलर	1869-1938	1881-1934	माइक्रोफ़िल्म
मादाम भीखाजी कामा	1861-1936	1895-1975	मूल पाण्डुलिपि
रामानन्द चटर्जी	1865-1943	1895-1945	...
च. विजयराघवाचार्य	1852-1944	1890-1943	मूल पाण्डुलिपि
लॉर्ड चेम्सफोर्ड	1868-1933	1916-1921	माइक्रोफ़िल्म
आर.के. षण्मुखम् चेट्टी	1892-1953	1932-1940	माइक्रोफ़िल्म
सी.वाई. चिन्तामणि	1880-1941	1924-1942	मूल पाण्डुलिपि
सरदार वल्लभभाई पटेल	1875-1950	माइक्रोफ़िल्म
विठ्ठलभाई झबेरभाई पटेल	1871-1933	1926-1929	मूल पाण्डुलिपि
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1884-1963	1904-1962	दोनों
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1884-1963	1935-1941	दोनों
सरोजिनी नायडू	1879-1949	1895-1949	...
सरोजिनी नायडू	1879-1949	1917-1949	...
सरोजिनी नायडू	1879-1949	1912-1958	...
सरोजिनी नायडू	1879-1949	1911-1949	...
सरोजिनी नायडू	1879-1949	1913-1945	...
दादाभाई नौरोजी	1825-1917	1871-1913	...
देशबन्धु चित्तरंजन दास	1870-1925	1892, 1925	माइक्रोफ़िल्म
कालीकिंकर दत्त	1905-1982	1905-1942	मूल पाण्डुलिपि
मोतीलाल नेहरू	1861-1931	1883-1931	मूल पाण्डुलिपि
गोपालकृष्ण गोखळे (देखें सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी पेपर्स)			
दवे फैमिली पेपर्स		1885-1965	मूल पाण्डुलिपि
भूलाभाई देसाई	1877-1946	1898-1953	मूल पाण्डुलिपि

नाम	कालखण्ड	पेपर्स-कालखण्ड	पाण्डु./माइक्रो./दोनों
महादेव देसाई	1892-1942	1924-1942	मूल पाण्डुलिपि
दादा धर्माधिकारी	1899-1985	1929-1974	मूल पाण्डुलिपि
देवदास गाँधी	1900-1957	1920-1957	मूल पाण्डुलिपि
मोहनदास करमचन्द गाँधी	1869-1948	1895-1926	माइक्रोफ़िल्म
मोहनदास करमचन्द गाँधी	1869-1948	1909-1946	मूल पाण्डुलिपि
गाँधीजु टूर इन इण्डिया	1869-1948	1933-1934	माइक्रोफ़िल्म
मा.स. गोळवळकर	1906-1973	1931-1973	माइक्रोफ़िल्म
सेठ गोविन्ददास	1896-1974	1919-1973	मूल पाण्डुलिपि
इक़बाल नारायण गुटू	1878-1966	1927-1962	मूल पाण्डुलिपि
जॉर्ज फ्रांसिस हैमिल्टन	1845-1927	1895-1903	माइक्रोफ़िल्म
लॉर्ड हार्डिंग	1858-1944	1910-1916	माइक्रोफ़िल्म
डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार	1889-1940	1929-1940	माइक्रोफ़िल्म
सैम हिग्गिनबॉटम	1874-1958	1917, 1924-1944	मूल पाण्डुलिपि
हीरालाल शास्त्री	1899-1974	1917-1970	मूल पाण्डुलिपि
घनश्यामदास बिड़ला	1984-1983	1942-1964	मूल पाण्डुलिपि
ए. रंगास्वामी आयंगर	1877-1934	1927-1933	मूल पाण्डुलिपि
एस. श्रीनिवास आयंगर	1874-1941	1922-1941	मूल पाण्डुलिपि
जयप्रकाश नारायण	1902-1979	1929-1983	दोनों
जॉर्ज जोसेफ़	1887-1938	1923-1938	मूल पाण्डुलिपि
सुरेश सिंह कालाकांकर	...	1932-1942	मूल पाण्डुलिपि
एच.वी. कामथ	1907-1982	1933-1983	मूल पाण्डुलिपि
धोण्डो केशव कर्वे	1858-1962	1904-1950	दोनों
कस्तूरभाई लालभाई	1894-1980	1933-1950	माइक्रोफ़िल्म
जी.ए. नटेशन	1873-1948	1899-1948	मूल पाण्डुलिपि
एम.आर. जयकर	1873-1959		
गोविन्द वल्लभ पन्त	1887-1961	1908-1968	दोनों
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास	1879-1961	1900-1959	मूल पाण्डुलिपि
च. राजगोपालाचार्य	1878-1972	1913-1972	माइक्रोफ़िल्म
च. राजगोपालाचार्य	1878-1972	1920-1982	मूल पाण्डुलिपि
च. राजगोपालाचार्य	1878-1972	1878-1972	मूल पाण्डुलिपि
राजकुमारी अमृत कौर	1889-1964	1889-1964	दोनों
लॉर्ड रीडिंग	1860-1935	1921-1926	माइक्रोफ़िल्म
विधान चन्द्र राय	1882-1962	1920-1962	मूल पाण्डुलिपि
आचार्य शिवपूजन सहाय	1893-1963	1912-1663	दोनों
बीरबल साहनी	1891-1949	1920-1946	मूल पाण्डुलिपि
सर तेजबहादुर सप्रू	1875-1949	1911-1949	दोनों
हरबिलास शारदा	1867-1955	1886-1951	मूल पाण्डुलिपि

नाम	कालखण्ड	पेपर्स-कालखण्ड	पाण्डु./माइक्रो./दोनों
विनायक दामोदर सावरकर	1883-1966	1924-1945	माइक्रोफ़िल्म
जी.ई. सेन	...	1914-1982	मूल पाण्डुलिपि
लाला शामलाल	1912-2007	1940-1957	मूल पाण्डुलिपि
पं. दीनदयालु शर्मा	1863-1937	1881-1993	मूल पाण्डुलिपि
हरिहरस्वरूप शर्मा	...	1901-1977	मूल पाण्डुलिपि
पं. झाबरमल्ल शर्मा	1888-1983	...	मूल पाण्डुलिपि
पं. झाबरमल्ल शर्मा	1888-1983	1899-1978	मूल पाण्डुलिपि
लालबहादुर शास्त्री	...	1926-1966	मूल पाण्डुलिपि
मौलाना शौकत अली	1873-1938	1911-1930	माइक्रोफ़िल्म
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	1884-1941	1905-1940	मूल पाण्डुलिपि
विजय प्रताप सिंह राय	1894-1961	1921-1961	मूल पाण्डुलिपि
बी. पट्टाभिषीतारमैया	1880-1959	1929-1959	मूल पाण्डुलिपि
श्रीप्रकाश	1890-1971	1890-1971	मूल पाण्डुलिपि
श्रीप्रकाश	1890-1971	1907-1991	मूल पाण्डुलिपि
सुखदेव थापर	1908-1931	1929-1930	मूल पाण्डुलिपि
पं. सुन्दरलाल	1885-1981	1941-1968	मूल पाण्डुलिपि
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	1891-1941	1914-1940	माइक्रोफ़िल्म
पुरुषोत्तमदास टण्डन	1882-1962	1939-1981	मूल पाण्डुलिपि
लोकमान्य टिळक	1856-1920	1868-1920	माइक्रोफ़िल्म
अब्बास तैय्यबजी	1854-1936	1874-1940	मूल पाण्डुलिपि
बदरुद्दीन तैय्यबजी	1844-1906	1885-1906	मूल पाण्डुलिपि
हरिभाऊ उपाध्याय	1892-1972	1920-1971	दोनों
गणेशशंकर विद्यार्थी	1880-1931	1919-1930	दोनों
मोक्षगुण्डम् विश्वेश्वरैया	1860-1962	1899-1942	मूल पाण्डुलिपि
वालचन्द हीराचन्द	1882-1953	1915-1968	मूल पाण्डुलिपि

संस्थागत पेपर्स :

संस्था-नाम	कालखण्ड	पाण्डु./माइक्रो./दोनों
• ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी	1885	माइक्रोफ़िल्म
• ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी प्रेस-क्लीपिंग	1895-1942	
• अखिल भारतीय हिंदू महासभा	1933-1951	दोनों
• ऑल इण्डिया खादी बोर्ड, वर्धा	1924-1925	माइक्रोफ़िल्म
• ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग	1915	
• ऑल इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन	1934-150	माइक्रोफ़िल्म
• ऑल इण्डिया वुमेन्स कॉन्फ़ेन्स	1930-1987	दोनों
• इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड	1921-1925	दोनों
• आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम	1941-1960	माइक्रोफ़िल्म

संस्था-नाम	कालखण्ड/पाण्डु./माइक्रो./दोनों
• बंगाल रिलीफ़ कमेटी	1943-1945 माइक्रोफ़िल्म
• बॉम्बे प्रदेश काँग्रेस कमेटी	1936-1967 दोनों
• बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन	1885-1922 माइक्रोफ़िल्म
• ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन, अवध	1861-1952 माइक्रोफ़िल्म
• ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स	1890-1937 माइक्रोफ़िल्म
• कैबिनेट पेपर्स	1939-1945
• सिविल डिस्ऑबेडियन्स मूवमेण्ट	1930-1934 माइक्रोफ़िल्म
• सिविल डिस्ऑबेडियन्स मूवमेण्ट	1940-1941 माइक्रोफ़िल्म
• कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ़ महात्मा गाँधी 1894-1948	
• काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी	1935-1940 माइक्रोफ़िल्म
• दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजमेण्ट कमेटी	1886-1947
• डेक्कन सभा	1896-1969 दोनों
• गाँधी सेवा संघ, वर्धा	1929-1948 माइक्रोफ़िल्म
• गाँधी स्मारक संग्रहालय, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद	1901-1948 माइक्रोफ़िल्म
• गोसेवा संघ, वर्धा	1942-1950 माइक्रोफ़िल्म
• ग्राम सेवा मण्डल, वर्धा	1934-1960 माइक्रोफ़िल्म
• गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1922-1982 माइक्रोफ़िल्म
• होमरूल लीग	1916-1931
• इण्डिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, लन्दन	1970-1930 माइक्रोफ़िल्म
• इण्डियन एसोसिएशन	1878-1948 माइक्रोफ़िल्म
• इण्डियन नेशनल सोशल कॉन्फ़ेन्स	1889-1920 माइक्रोफ़िल्म
• मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इन्दौर	1915-1955
• मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी, पार्ट 1	1921-1957
• मारवाड़ी एसोसिएशन, कलकत्ता	1914-1943
• पूना ज़िला काँग्रेस कमेटी	1908-1922
• क्रिट इण्डिया मूवमेण्ट, पेपर्स रिलेटिंग टू सेलेक्शंस	
• फ़ॉर्म सीआईडी रिकॉर्ड्स बॉम्बे एण्ड यूपी	1942-1943
• राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	1938-1963 माइक्रोफ़िल्म
• रेवेल्यूशनरी पैट्रियॉटिक एक्टिविटीज इन द प्री-पार्टिसण्ड पंजाब	1901-1935 माइक्रोफ़िल्म
• सर्वेण्ट ऑफ़ इण्डिया सोसायटी	1897-1976
• युनाइटेड प्रोविंसेस काँग्रेस कमेटी	1928-1965 माइक्रोफ़िल्म
• युनाइटेड प्रोविंसेस डिस्ट्रेस रिलीफ़ कमेटी	1936-1946
• ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी सप्लिमेण्टरी	1917-1969
• मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी	1921-1957

राष्ट्रीय अभिलेखागार में अवलोकनीय प्राइवेट पेपर्स :

- अम्बेडकर-पेपर्स 1920-1954

• बदरुद्दीन तैयबजी पेपर्स	1871-1919
• बनारसीदास चतुर्वेदी पेपर्स	1900-1968
• भूलाभाई देसाई पेपर्स	1899-1965
• चम्पारण सत्याग्रह पेपर्स	1917
• सी.एफ. एण्ड्रूज पेपर्स	1913-1919
• दादाभाई नौरोजी पेपर्स	1852-1917
• जी.एस. खापर्डे पेपर्स	1879-1938
• गोपालकृष्ण गोखले पेपर्स	1889-1915
• गोविन्द वल्लभ पन्त पेपर्स	1908, 1910-1961
• इण्डियन इण्डिपेण्डेंस लीग पेपर्स	1924-1945
• इन्द्र विद्यावाचस्पति पेपर्स	1900-1963
• महात्मा गाँधी पेपर्स	1880-1948
• एम.आर. जयकर पेपर्स	1829-1958
• एन.बी. खरे पेपर्स	1935-1968
• पी.एस. शिवस्वामी अय्यर पेपर्स	1889-1946
• पुरुषोत्तमदास टण्डन पेपर्स	1926-1960
• राजा महेन्द्र प्रताप पेपर्स	1915-1970
• राजेन्द्र प्रसाद पेपर्स	1935-1962
• आर.सी. दत्त पेपर्स	1901-1909
• सम्पूर्णानन्द पेपर्स	1922-1968
• सरोजिनी नायडू पेपर्स	1896-1911
• शान्तिस्वरूप भटनागर पेपर्स	1942-1954
• वी. कृष्णस्वामी अय्यर पेपर्स	1898-1911
• वी.ए. श्रीनिवास शास्त्री पेपर्स	1889-1946
• हर्कोर्ट बटलर पेपर्स	
• पद्मकान्त मालवीय पेपर्स	1907-1969
• नेताजी सुभाषचन्द्र बोस पेपर्स	

अशोक युनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में संरक्षित प्राइवेट पेपर्स :

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पेपर्स


उपर्युक्त में प्रत्येक संग्रह में सैकड़ों से लेकर लाखों दस्तावेज (पत्रे) संगृहीत हैं। स्वाभाविक रूप से जिस महापुरुष का कार्यक्षेत्र और जीवनकाल जितना बड़ा या सीमित है, उसके (पास संगृहीत) कागज़ात भी उतनी ही अधिक या कम संख्या में हैं। उदाहरणार्थ

‘जी.आर. अभ्यंकर प्राइवेट पेपर्स’ में संगृहीत दस्तावेजों से अधिक दस्तावेज ‘माधव श्रीहरि अणे पेपर्स’ में मिलेंगे; उसी प्रकार ‘माधव श्रीहरि अणे पेपर्स’ में विद्यमान दस्तावेजों से अधिक दस्तावेज ‘जवाहरलाल नेहरू पेपर्स’ में मिलेंगे। इन दस्तावेजों में अन्य को प्रेषित हस्तलिखित या टेलीग्राफ (टंकित पत्र), टेलीग्राम (तार), अन्य द्वारा प्रेषित पत्र या तार, अपीलें, विभिन्न आन्दोलनों से सम्बन्धित पैम्पलैट्स, समाचार-पत्रों की कतरनें, बैठकों-सभाओं के वृत्त, प्रकाशित-अप्रकाशित लेख, प्रकाशित-अप्रकाशित भाषण इत्यादि बहुत-सी सामग्री रहती है।

इस संग्रह में वैसी सामग्री भी प्रचुर मात्रा में संगृहीत है जो उस सम्मानित मनीषी को प्रेषित की जाती है। उदाहरण के लिए हस्तलिखित अथवा टंकित हस्ताक्षरित पत्र और टेलीग्राम (तार)। नेहरू स्मारक संग्रहालय के पाण्डुलिपि-अनुभाग में विभिन्न स्वाधीनता-सेनानियों द्वारा अन्य को लिखे गए पत्रों की एक सूची (कैटलॉग) अलग से उपलब्ध है, किन्तु इसे तैयार करने में काफ़ी असावधानी बरती गई है। यहाँ हम केवल एक उदाहरण दे रहे हैं। कैटलॉग के अनुसार पं. मदनमोहन मालवीय और माधव श्रीहरि अणे के मध्य कुल 6 पत्राचार हुए हैं, जबकि ‘माधव श्रीहरि अणे प्राइवेट पेपर्स’ में दोनों के मध्य हुए लगभग पचास से अधिक पत्र मिलते हैं। अतः केवल कैटलॉग पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

इसी प्रकार प्रत्येक निजी संग्रह में वह सामग्री भी प्रचुर मात्रा में होती है जिसे वह मनीषी अपने जीवनकाल में अपनी रुचि के अनुसार एकत्र किया होता है। जैसे अन्य के प्रकाशित-अप्रकाशित लेख, अन्य के प्रकाशित-अप्रकाशित भाषण, विभिन्न आन्दोलनों से जुड़े पैम्पलैट्स, अपीलें, ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से बचे हुए प्रतिबन्धित दस्तावेज इत्यादि।

इस विराट् सामग्री में अनुमानतः चार करोड़ से अधिक दस्तावेज हैं, जिनका आलोडन, अवलोकन और उसमें से मालवीय-साहित्य का संकलन अत्यन्त धैर्य, जिजीविषा, लगन और सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है। इस सामग्री का केवल एक प्रतिशत ही डिजिटलीकरण (पीडीएफ) किया गया है और इसे भी नेहरू स्मारक संग्रहालय के पाण्डुलिपि-अनुभाग में लगे कंप्यूटर में ही देखा जा सकता है, घर बैठे ऑनलाइन नहीं। हम जानते हैं कि किसी महामनीषी के सम्पूर्ण वाङ्मय का संकलन-प्रकाशन सम्पूर्ण प्रयास करके एक ही बार किया जा सकता है, बार-बार नहीं। अतः प्रकाशन से पूर्व समस्त सामग्री का एकत्रीकरण कर लेना होता है। एक बार ग्रन्थमाला का प्रकाशन हो जाने के बाद उसमें नयी सामग्री समाविष्ट करने की कोई गुंजाइश तब तक नहीं रहती जब तक उसके द्वितीय संस्करण के प्रकाशन की तैयारी न हो जाये। यदि दस-बीस वर्ष बाद उस वाङ्मय के द्वितीय संस्करण निकाले जाने की स्थिति आ भी जाती है, तब तक नयी सामग्री को अत्यन्त यत्नपूर्वक सुरक्षित रखना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन



चित्र-क्रमांक 1 : हाईस्पीड प्रोफेशनल स्कैनर

अवश्य है। अतः समस्त सामग्री का एक ही बार में आलोडन कर लेना ही श्रेयस्कर है, चाहे इसमें कितना ही समय क्यों न लगे।

दस्तावेजों का एकत्रीकरण तथा डिजिटलीकरण

सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय परियोजना को क्रियान्वित करने में एक बड़ी चुनौती है दस्तावेजों (पाण्डुलिपियों) का एकत्रीकरण। विभिन्न अभिलेखागारों और संग्रहालयों में धूल खाती फाइलों में विद्यमान सामग्री को ढूँढ़कर निकालना एक दुष्कर कार्य है। फिर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी आती हैं।

देश के कुछ प्रमुख अभिलेखागारों, जैसे— राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में दस्तावेजों (पाण्डुलिपियाँ) के रखरखाव की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा पोषित ये वे स्थान हैं जहाँ दस्तावेजों के रखरखाव में हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। परन्तु यहाँ रखे दस्तावेज कभी नष्ट नहीं होंगे— ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत देश के अधिकांश पुस्तकालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में संगृहीत मूल्यवान् सामग्री को बचाने में एक चवन्नी भी खर्च नहीं की जाती और उस सामग्री की आज भी दुर्गति हो रही है। उनका डिजिटलीकरण तो बहुत दूर की बात, उनको नमी और दीमक से बचाने के साधारण उपाय भी नहीं किए जाते। ऐसी विकट स्थिति में येनकेनप्रकारेण इच्छित सामग्री की छायाप्रति ही प्राप्त कर लेना इस कार्य की इतिश्री नहीं है। यथासम्भव उस सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिये।

जिस अभिलेखागार अथवा संग्रहालय में मालवीय जी से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री विद्यमान है, वहाँ से उस सामग्री की छायाप्रति (फोटोकॉपी) न लेकर प्रोफेशनल स्कैनर (देखें चित्र-क्रमांक 1) की सहायता से दस्तावेजों को स्कैन करके (सॉफ्टकॉपी) प्राप्त करना अधिक लाभप्रद होगा। दीवार पर टंगे उनके चित्र अथवा दस्तावेज, जिसे स्कैन नहीं किया जा सकता, डिजिटल कैमरे की सहायता से उसका चित्र लिया जा सकता है। कारण यह है कि छायाप्रति करने से दस्तावेज के बहुत-से हिस्से धुंधले हो जाते हैं, मिट जाते हैं अथवा काले पड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश-युग के पीले पड़ चुके कागज़ गहरे ग्रे और गुलाबी रंग के टेलीग्राम (तार) तो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। फिर उनको पढ़ना और टंकित करना अति कठिन और कई बार असम्भव हो जाता है।

इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ हमने आगे दो चित्र दिए हैं। ये चित्र 12 अक्टूबर, 1910 को पं. मदनमोहन मालवीय द्वारा गोण्डल के ठाकुर साहिब बहादुर के निजी सचिव को लिखे गए पत्र के हैं जिनमें चित्र-क्रमांक 2 उसकी छायाप्रति है और चित्र-क्रमांक 3 उसका डिजिटल रूप, जिसे स्कैनर की सहायता से डिजिटल किया

4

The All-India Minto Memorial Committee

Allahabad.

12th October, 1901.

The Private Secretary,

to His Highness Maharaja Sahib Sahasur G.G.I., of Gorakhpur.

Dear Sir,

I beg to enclose with this a printed list of the Patrons and Members of the Committee which has been formed to give effect to the proposal to raise the Proclamation Pillar and Minto Park at Allahabad, about which I have addressed you before. I also enclose a list of the subscriptions which have been promised up to date which amount to Rs 57,000/- I request the favour of your bringing these papers before His Highness. We are eagerly awaiting to hear that His Highness has been pleased to extend his esteemed patronage and support to the scheme.

We require a sum of 2½ lakhs more to carry out our proposal to success; and we earnestly hope that His Highness will be pleased to contribute towards it. I need hardly point out that the proposed Memorial will be a unique one in as much as besides being a very acceptable memorial to Lord Minto, it will also commemorate the principles of the famous Proclamation of Queen Victoria which we believe, are dearly valued by both the Princes and the people of India.

His Excellency the Viceroy will be pleased to lay the foundation stone of the Proclamation Pillar on the 9th of November next. We have very little time left before us now for making all

चित्र-क्रमांक 2 : दस्तावेज की छायाप्रति

49
The All-India Minto Memorial Committee.

Allahabad.

12th October, 10.

The Private Secretary,

to His Highness Bahadur Sahib Bahadur G.C.I., of Gondal.

Dear Sir,

I beg to enclose with this a printed list of the Patrons and Members of the Committee which has been formed to give effect to the proposal to raise the Proclamation Pillar and Minto Park at Allahabad, about which I have addressed you before. I also enclose a list of the subscriptions which have been promised so far, and which amount to Rs 37,000/- I request the favour of your laying these papers before His Highness. We are eagerly awaiting to hear that His Highness has been pleased to extend his esteemed patronage and support to the scheme.

We require a sum of 2½ lakhs more to carry our proposals to success; and we earnestly hope that His Highness will be pleased to contribute towards it. I need hardly point out that the proposed memorial will be a unique one in as much as besides being a very acceptable memorial to Lord Minto, it will also commemorate the principles of the famous Proclamation of Queen Victoria which, we believe, are dearly valued by both the Prince and the people of India.

His Excellency the Viceroy will be pleased to lay the foundation stone of the Proclamation Pillar on the 9th of November next. We have very little time left before us now for making all

चित्र-क्रमांक 3 : स्कैनर की सहायता से लिया गया चित्र

गया है। हम देख सकते हैं कि ज़ेरोक्स मशीन की सहायता से की गई छायाप्रति को पढ़ने में भारी कठिनाई है और डिजिटल कॉपी को आसानी से पढ़ा जा सकता है।

दूसरी व्यावहारिक कठिनाई उस छायाप्रति को वर्षों-वर्ष सम्भालने की है। छायाप्रति की स्याही समय के साथ धुंधली पड़ती जाती है। फिर इसका अभिलेखीय महत्त्व समाप्त हो जाता है। लाखों पत्रों को सैकड़ों फ़ाइलों में सुरक्षित रखना और उनका स्थानान्तरण भी सरल नहीं है। किन्तु यदि सारे दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर दिया जाए, तो वे शताब्दियों बाद भी आसानी से मूल रूप में देखे जा सकते हैं और चाहे जितनी बार भी उनका प्रिण्ट लिया जा सकता है, उनकी स्याही कभी फीकी नहीं पड़ती। भविष्य के लिए यह एक अनमोल निधि है, जिसे भविष्य में पं. मदनमोहन मालवीय डिजिटल आर्काइव के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि विश्वभर के शोधार्थी और मालवीयप्रेमी मालवीय जी की सम्पूर्ण कृतियों का अवलोकन और अध्ययन कर सकें।

माइक्रोफ़िल्म्स

दस्तावेजों के एकत्रीकरण के साथ ही एक अत्यन्त श्रमसाध्य कार्य है मालवीय जी के समकालीन समाचार-पत्रों से उनके लेख और भाषण एकत्र करना। आधुनिक समय में पुराने अखबारों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी 16 मिमी या 35 मिमी की माइक्रोफ़िल्में बनाई जा रही हैं जिनको 'माइक्रोफ़िल्म-रीडर' (कंप्यूटरनुमा बड़ी स्क्रीन) पर लगाकर



चित्र-क्रमांक 4 : माइक्रोफ़िल्म-रीडर



माइक्रोफ़िल्म रोल और उसका बॉक्स

पढ़ा जाता है। अनुमान है कि ये माइक्रोफ़िल्म्स पाँच शताब्दियों तक सुरक्षित रह सकते हैं।

दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के 'रेप्रोग्राफी डिवीज़न' में लगभग एक हजार स्वाधीनता सेनानियों के 'प्राइवेट पेपर्स' सहित अनेक पुराने समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि की 20,000 से अधिक माइक्रोफ़िल्म-रोल का विशाल संग्रह है जिसे 'माइक्रोफ़िल्म-रीडर' पर शोधार्थी पढ़ सकते हैं।

उन्हीं विभूतियों के प्राइवेट पेपर्स को माइक्रोफ़िल्म बनाया गया है जिनके वंशजों ने मूल पाण्डुलिपि को दान करने से मना कर दिया है। अधिकांश संस्थाओं ने भी अपने मूल पेपर्स यहाँ दान नहीं किए हैं और उनकी माइक्रोफ़िल्म्स बनाकर मूल पाण्डुलिपि अपने पास रखी है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के 'माइक्रोफ़िल्म-अनुभाग' में मालवीय जी से सम्बन्धित सामग्री के मुख्य स्रोत हैं :

- **पं. मदनमोहन मालवीय प्राइवेट पेपर्स** : यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि ने.स्म.सं.पु. में महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी का प्राइवेट पेपर्स (पाण्डुलिपि) नहीं है। सम्भव है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत कला भवन अथवा मालवीय जी के किसी सम्बन्धी के पास रखी हो। जिस बॉक्स में 'पं. मदनमोहन मालवीय प्राइवेट पेपर्स' का माइक्रोफ़िल्म रोल रखा हुआ है, उसके ऊपर 'भारत कला भवन' लिखा हुआ है, जिससे लगता है कि मूल पाण्डुलिपि भारत कला भवन (काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी) में रखी होगी। किन्तु मज़े की बात है कि भारत कला भवन में संगृहीत मालवीय-पत्रावली का एक भी पत्र इस माइक्रोफ़िल्म में नहीं है। इससे हमारा सन्देह बढ़ जाता है कि मूल पाण्डुलिपि किसके पास संगृहीत है। इस माइक्रोफ़िल्म में जो सामग्री है, उसका विवरण इस प्रकार है : 1. अन्य द्वारा मालवीय जी को लिखे गए पत्र : 191-1942, मालवीय जी द्वारा अन्य को लिखे गए पत्र : 1902-1942 तथा 1918 से 1934 के मध्य प्रकाशित मालवीय जी की कुछ पुस्तकें।
- **अभ्युदय** : देखें अध्याय 7 : पत्रकार मालवीयजी
- **हिन्दी प्रदीप** : देखें अध्याय 7 : पत्रकार मालवीयजी
- **दलीडर** : देखें अध्याय 7 : पत्रकार मालवीयजी
- **हिन्दुस्तान टाइम्स** : देखें अध्याय 7 : पत्रकार मालवीयजी
- **हिन्दुस्तान टाइम्स फाउण्डेड बाई मदन मोहन मालवीय, नयी दिल्ली, 1924.**

माइक्रोफ़िल्म-रीडर के समक्ष बैठकर समाचार-पत्रों की फ़ाइलें देखना निश्चित रूप से एक महान् श्रमसाध्य कार्य है। एक अँधेरे कक्ष में लगे 'माइक्रोफ़िल्म-रीडर' पर किसी अख़बार की माइक्रोफ़िल्म को सेट करके धीरे-धीरे पढ़ा जाता है। आवश्यकतानुसार आगे-पीछे या ऊपर-नीचे करने की सुविधा भी रहती है। पर इस प्रक्रिया में आँखों पर अत्यधिक ज़ोर पड़ता है। लगातार एक घण्टे बैठना भी कठिन है। इस प्रक्रिया में एक वर्ष में सारे समाचार-पत्रों को खंगालना अत्यन्त दुरूह है। किन्तु इसे आसुरी-पराक्रम के साथ किए बिना सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय का कार्य सम्पन्न नहीं होगा। इसी के साथ एक-दो निजी 'माइक्रोफ़िल्म-रीडर' और 'माइक्रोफ़िल्म-प्रिन्टर' की व्यवस्था भी करनी होगी ताकि कार्य शीघ्र पूरा हो सके। अन्यथा अभिलेखागारों में बैठकर 'अभ्युदय', 'द लीडर'-जैसे अख़बारों की माइक्रोफ़िल्म्स देखना और उनकी प्रिंटआउट प्राप्त करना न केवल अत्यन्त समयसाध्य अपितु अत्यधिक व्ययसाध्य भी होगा।

पं. मदनमोहन मालवीय-विरचित पुस्तकें

पं. मदनमोहन मालवीय ने स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों की रचना की थी। कुछ उनके कुछ भाषण भी उनके जीवनकाल में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। सम्प्रति इनमें से कई पुस्तकें अप्राप्य हैं।

हिंदी एवं संस्कृत :

- भारत की मांग ('इण्डियाज़ डिमाण्ड' नामक सुप्रसिद्ध भाषण का हिंदी अनुवाद), अभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, 1917
- सनातनधर्म प्रदीपकः, तारा प्रकाशन, वाराणसी, 1921
- सनातनधर्म संग्रहः
- महामहोपाध्याय पं. आदित्यराम भट्टाचार्य की संक्षिप्त जीवनी, प्रयाग, 1922
- मन्त्रमहिमा अर्थात् ईश्वर का ज्ञान और ध्यान, काशी, 1930
- ईश्वर, गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत् 1989 (1932 ई.) ('कल्याण' में प्रकाशित लेख का पुस्तकाकार संस्करण)
- हिंदू धर्मोपदेश, ज्ञानमण्डल प्रकाशन, वाराणसी, 1933.
- महादेव-माहात्म्यम् (मालवीय जी द्वारा महाभारत के अनुशासनपर्व से संकलित), सनातनधर्म महासभा द्वारा सम्भवतः 1933 में प्रकाशित; 1934 में द्वितीय संस्करण।
- श्री दुर्गापूजा व पशु-बलिदान (मदनमोहन मालवीय जी के विचारों का संग्रह), हीरावल्लभ शास्त्री (संकलनकर्ता), पशुबलि निरोध समिति, कलकत्ता, 1936.
- अन्त्यजोद्धार विधिः, संवत् 1993 (1936 ई.)
- प्रायश्चित्त-विधान

- विवाहे वर शुल्क ग्रहण निषेध व्यवस्था
- सवर्ण विवाह सार, संवत् 2000 (1943 ई.)
- व्याख्यान-सार
- प्रार्थना, शारदा पुस्तक भण्डार, प्रयाग, संवत् 2008 (1951 ई.)
- जलोत्सर्ग-विधि
- गो-माहात्म्य

English :

- *Court Character and Primary Education in the North-West Provinces and Oudh*, Leader Press, Allahabad, 1897.
- *The Condition and Needs of the United Provinces, The Speech delivered by the Hon'ble Pandit Madan Mohan Malaviya B.A. Ll. B. in the Provincial Budget debate in the meeting of the Legislative Council held at Lucknow on April 8, 1904*, Indian Press, Allahabad, 1904.
- *Presidential Address of the Hon'ble Pandit Madan Mohan Malaviya at the Twenty-Forth Indian National Congress held at Lahore 1909*, Leader Press, Allahabad, 1910.
- *The Hindu University of Benares*, Panch Kory Mittra at the Indian Press, 1911.
- *A Criticism of Montagu-Chelmsford Proposals of Indian constitutional reform*, Printed by C.Y. Chintamani at the Leader Press, Allahabad and Published by Krishna Kant Malaviya, 1919.
- *Hon'ble Pandit Madan Mohan Malaviya's Presidential Address at Thirty-Third Indian National Congress, Delhi 1918*, Bombay 1919.
- *The Statutory Commission*, December 1927.
- *Convocation Address at Benares Hindu University on December 14, 1929*, Benares, 1929.
- *The Congress Women-Volunteers Case of Benares : A Criticism of the District Magistrate Judgment*, Benares, 1932.
- *Pandit M.M. Malaviya's Statement on Repression in India upto April 20, 1932*, Gyanmandal Yantralaya, Kashi, April 1932.
- *Presidential Address : Indian National Congress, Calcutta*, 1933
- *The Congress Nationalist Party*, August 1934.
- *Badrinath Temple : Question of Transfer*, Benares, 1934.
- *The Immanence of God*, Geeta Press, Gorakhpur, 1934.
- *Pandit M.M. Malaviya's cable on the situation of India*.
- *Draft Report of the Committee of the Unity Conference*, Allahabad.



4.

मालवीय जी से सम्बन्धित साहित्य के सम्भावित स्थल

नयी दिल्ली

1. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, दिल्ली-110011; #011-23017599
2. राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, 11 मान सिंह रोड, नयी दिल्ली-110001
3. अखिल भारतीय हिंदू महासभा, 'हिंदू महासभा भवन', मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली-110001; #011-23342087
4. आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001
5. संसदीय ग्रंथालय, दिल्ली (श्री सुनील केसरी, निदेशक; दूरभाष : 011-23034017, 23035497; email: s.kesari@sansad.nic.in
6. राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नयी दिल्ली-110 001
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नयी दिल्ली-110 001
8. सस्ता साहित्य मण्डल, कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-110 001, #011-23310505, 41523565
9. डॉ. कर्ण सिंह (जम्मू-कश्मीर के वर्तमान रजिस्ट्रार), 3 न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली-110021; दूरभाष : 011-26115291, 26111744; ई-मेल : karansingh@karansingh.com

उत्तरप्रदेश

1. सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लंका, वाराणसी-221005
2. भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लंका, वाराणसी-221 005
3. महामना मालवीय मूल्य अनुशीलन केन्द्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लंका,
4. मालवीय जी से सम्बन्धित साहित्य के सम्भावित स्थल



दिल्ली-स्थिति नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (तीन मूर्ति भवन),
जहाँ भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के प्राइवेट पेपर्स का सबसे मूल्यवान् संग्रह है।

वाराणसी-221 005

4. पञ्चाङ्ग-अनुभाग, संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005
5. महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002
6. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ऑफिस, वाराणसी-221 001
7. उत्तरप्रदेश राज्य क्षेत्रीय अभिलेखागार, महमूरगंज, वाराणसी
8. श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी-221 001
9. काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी-221001 (श्री कुसुमाकर पाण्डेय, #9810737483; श्री अरुणाकर पाण्डेय, #9910808735)
10. सेण्ट्रल हिंदू ब्वायज स्कूल, कमच्छा, भेलूपुर, वाराणसी
11. सेण्ट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, भेलूपुर, वाराणसी
12. महिला महाविद्यालय, वाराणसी
13. गंगा महासभा, महमूरगंज, वाराणसी-221 010
14. थियोसोफिकल सोसायटी, कमच्छा, वाराणसी-221 010
15. 'रामनगर पैलेस' (काशी नरेश महाराज अनन्तनारायण सिंह का शाही निवास), वाराणसी-221001; (रामनगर क़िला रोड, क्रॉसिंग, रामनगर, वाराणसी-221008, #08726226695; ताज नदेसर पैलेस, नदेसर पैलेस ग्राउण्ड्स, वाराणसी-221002, 0542-6660002; ई-मेल : nadesar.varanasi@tajhotels.com
16. श्री राय कल्याणकृष्ण (स्व. रायकृष्ण दास 1892-1985 के सुपौत्र) का निजी संग्रह ('अमेठी कोठी' रविदास गेट के अन्दर, वाराणसी, #9839042087)
17. डॉ. पृथ्वीकुमार अग्रवाल (स्व. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 1904-1966 के सुपुत्र) का निजी संग्रह (वाराणसी, रविदास गेट के अन्दर).
18. श्री सुधांशु कुमार तिवारी (स्व. उमेश दत्त तिवारी जी के सुपुत्र), महामंत्री, महामना मालवीय फाउंडेशन, महामनापुरी, पोस्ट : काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005; #9415811795, 09415791874, 08920149339; ई-मेल : mmfbhu@gmail.com
19. अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मलेन, सम्मलेन मार्ग, प्रयागराज-211 001 (सम्मलेन पत्रिका : श्रद्धाञ्जलि-विशेषांक)
20. विज्ञान परिषद्, महर्षि दयानन्द मार्ग, प्रयागराज-211 002
21. हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज-211 001 (डॉ. उदयप्रताप सिंह, निदेशक, #09415787367)
22. भारती भवन पुस्तकालय, प्रयागराज-211 003

23. इलाहाबाद लोक पुस्तकालय, चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज
24. इलाहाबाद संग्रहालय, चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज
25. इलाहाबाद उच्च न्यायालय अभिलेखागार, प्रयागराज-211 001
26. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज-211 002
27. मैकडॉनेल हिंदू छात्रावास, कमला नेहरू रोड, पुलिस लाइन, प्रयागराज-211018
28. उत्तरप्रदेश राज्य क्षेत्रीय अभिलेखागार, महात्मा गाँधी मार्ग, प्रयागराज
29. आनन्द भवन-स्वराज भवन (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ऑफिस), प्रयागराज-211001
30. प्रयागराज नगर निगम, 1, सरोजिनी नायडू मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001; #0532-2427221; ई-मेल : osnagarnigam@rediffmail.com
31. न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय (कुलाधिपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी) का निजी संग्रह (#0532-2468664, 09415284633; ई-मेल : gmalaviya@gmail.com
32. अखिल भारतीय सेवा समिति, प्रयागराज
33. संकीर्तन भवन, झूँसी, प्रयागराज; #09826158117, 09425741069
34. क्षेत्रीय अभिलेखागार, शाहगंज, आगरा, उत्तरप्रदेश
35. कल्याणदेव स्मृति संग्रहालय, शुकतीर्थ, शुकताल, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तरप्रदेश
36. श्री प्रियशील चतुर्वेदी 'रतन गुरु' (मालवीय जी के निजी सचिव स्व. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी (1907-2005) के छोटे सुपुत्र का निजी संग्रह, (चुंगी नम्बर 2, 'वेदपाठी भवन', मुज़फ़्फ़रनगर-251 001, उत्तरप्रदेश)
37. रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर-244901, उत्तरप्रदेश
38. उत्तरप्रदेश राजकीय अभिलेखागार, संस्कृति विभाग, बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ; दूरभाष : 0522 -2331813, 2329079; ई-मेल : uparchives.lko@gmail.com
39. गीताप्रेस, गोरखपुर-273 005, उत्तरप्रदेश
40. गीता वाटिका, शाहपुर, गोरखपुर-2730 06, उत्तरप्रदेश
41. श्रीकृष्णजन्मस्थान सेवा संस्थान न्यास, मथुरा-281001, उत्तरप्रदेश
42. ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, श्री मन्दिर गोदा विहार परिसर, गोपेश्वर मार्ग, वृन्दावन-281121, मथुरा, उत्तरप्रदेश, दूरभाष : 09219858901, 08266828277, 09897063169; ई-मेल : bcrivrindavan@gmail.com
43. प्रेम महाविद्यालय इण्टर कॉलेज हाईस्कूल, वृन्दावन-281121, मथुरा
44. डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय', 'चन्द्रकुटी' : छोटी बखरी, देवगढ़, शिवद्वार-231210, सोनभद्र (उ.प्र.), #06306770753, 09473614545, ई-मेल

: drjkssanjay@gmail.com

45. 'राजभवन', पोस्ट कालाकांकर, ज़िला प्रतापगढ़-230001, उत्तरप्रदेश
46. श्री राणा शिवनाथ शरण सिंह (खजूरगाँव के वर्तमान राजा/जमीन्दार), खजूरगाँव, ज़िला : रायबरेली, उत्तरप्रदेश-229216
47. महाराजा जयेन्द्र प्रताप सिंह (बलरामपुर के वर्तमान रणजा), 'नीलबाग पैलेस', बलरामपुर-271201, उत्तरप्रदेश, #09415036402

मध्यप्रदेश

1. माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय एवं शोध-संस्थान, माधवराव सप्रे मार्ग, मुख्य मार्ग क्रमांक 3, भोपाल-462003, मध्यप्रदेश; निदेशक : पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर, # 09425011467, 0755-2559042, 2552868; ई-मेल : sapresangrahalaya@yahoo.com, vijayduttshridhar@yahoo.com
2. 'जयविलास पैलेस' (ग्वालियर-नरेश महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही निवास), ग्वालियर-470009, मध्यप्रदेश; #0751-2372390, 2371230, 2371446; ई-मेल : prs@jaivilasmuseum.org, shashiranaajaivilas@gmail.com, shashirana@jaivilasmuseum.org, munmun@jaivilasmuseum.org
3. 'लालबाग पैलेस' (इन्दौर की महारानी सौ. उषा देवी का शाही निवास), नई दुनिया, रेवेन्यू कॉलोनी, इन्दौर नगर, इन्दौर-452007 (मध्यप्रदेश)
4. कुँवर आदित्यप्रताप सिंह (सुपुत्र गीतर्षि प्रो. सुमेर सिंह 'शैलेश'), 'उषा-कमल : वाणीविहार', कुलगवाँ, सतना, (म.प्र.), #06260187659

महाराष्ट्र

1. गोपालकृष्ण गोखळेज हाउस, बी.एम.सी.सी. रोड, डेक्कन जिमखाना, शिवाजी नगर, पुणे-411004 (महाराष्ट्र)
2. सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, 'विपुल', 28/16, बी.जी. खेर मार्ग, मुम्बई-400006 (श्री नरेश भाई, #9619858361)
3. भारतीय विद्या भवन, 29, के.एम. मुंशी रोड, गामदेवी, मुम्बई-400007; #022-23631261
4. महात्मा गाँधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ, गाँधी हिल्स, मानस मन्दिर, वर्धा, महाराष्ट्र-442005

तेलंगाना

1. निज़ाम संग्रहालय, राजकुमारी दुरूह शेहवार अस्पताल के बगल में, हैदराबाद-500 002, तेलंगाना; #040-24521029; ई-मेल : heh_njpt@yahoo.com
2. सालारजंग संग्रहालय, माइनर फंक्शन हॉल के निकट, दारुलशफा, हैदराबाद-500002, तेलंगाना; #040-24576443, 24523211; ई-मेल : salarjungmuseum@gmail.com
3. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, तेलंगाना-500 004
4. 'चौमोहल्ला पैलेस' (हैदराबाद के निज़ाम मुक़र्रम जाह का शाही निवास), 20-4-236, मोती गली, ख़िलवत, हैदराबाद, तेलंगाना-500 002; #040-24522032

पश्चिम बंगाल

1. एशियाटिक सोसायटी, 1, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016, प. बंगाल, #033-2229 0779, 2229 7251, 2249 7250, 2217 2355; ई-मेल : gs.asiatic@gmail.com, theasiaticsociety@gmail.com
2. भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016, प. बंगाल; #033-2252 1790, 2252 1790; ई-मेल : info@indianmuseumkolkata.org
3. राष्ट्रीय पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी), बेल्वेडेरे, ब्लॉक ए, अलीपुर, कोलकाता-700027, प. बंगाल; #033-24791381-87, 24792968, 2479 2467; ई-मेल : dgnl.kol-culture@nic.in, nldirector@rediffmail.com
4. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, 1, क्रीन्स वे, मैदान, कोलकाता-700 071, प. बंगाल; #033-22231890-91, 22235142, ई-मेल : victomem@gmail.com
5. 'कासिमबाज़ार राजबाड़ी' (कासिमबाज़ार के वर्तमान महाराजा प्रशान्त राय का शाही निवास-स्थान), पोस्टऑफिस, 12, कासिमबाज़ार रोड, रानीनगर, कासिमबाज़ार-742 102 (पश्चिम बंगाल); 1/2 हरीश मुखर्जी रोड, लाला लाजपत राय सारिणी, कोलकाता-700 020 (सम्पर्क-सूत्र : कुँवर पल्लव राय, महाराजा प्रशान्त राय के सुपुत्र)

गुजरात

1. गाँधी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात-380027

2. स्वराज आश्रम, बारडोली, गुजरात-394 601 (श्रीमती योगिनी चौहान, संचालिका, #9825494341)
3. नवजीवन ट्रस्ट, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380 014
4. श्री राजेन्द्रसिंह राणा (11वीं से 15वीं लोकसभा, 1996 से 2014 तक भावनगर, गुजरात से सांसद); (सरदार सिंह राणा, 1870-1957, के सुपुत्र, श्री क्रांतिवीर सरदारसिंह राणा सेवा ट्रस्ट के संचालक), 206, अष्टविनायक सिटी मॉल, वाघावाड़ी रोड, भावनगर, गुजरात; ई-मेल : ranasardarsinhji@gmail.com

बिहार

1. सेण्ट्रल लाइब्रेरी, ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा-846004, बिहार
2. केन्द्रीय पुस्तकालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा-846008, बिहार; दूरभाष : 062727-222178, 248944; ई-मेल : ksdsureg@gmail.com / ksdsuvc@gmail.com
3. महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउण्डेशन, 'कल्याणी निवास', कामेश्वरनगर, दरभंगा-846 008 (श्रुतिकर झा, ओ.एस.डी.; #06272-246091; 9931837954, 9470482059; ई-मेल : mkskfoundation@gmail.com)
4. 'हथुआ राज पैलेस' (हथुआ-राजपरिवार के वर्तमान शाही वंशज महाराज बहादुर मृगेन्द्र प्रताप साही का शाही निवास-स्थान), हथुआ, गोपालगंज, बिहार-841436
5. बिहार-हिंदी-साहित्य-सम्मलेन, कदमकुआँ, पटना-800 004
6. परिषद् पुस्तकालय, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना-800 004
7. श्री रमन दत्त झा, 'राधा-निवास', सुनील प्रॉपर्टीज के सामने, मिथिला कॉलोनी, नासरीगंज, दानापुर, पटना-801503; #7979092928; ई-मेल : ramanduttjha@gmail.com

तमिळनाडु

1. थियोसोफिकल सोसायटी, अड्यार, तमिळनाडु-600 020

कर्नाटक

1. 'मैसूर पैलेस' (मैसूर के वर्तमान शासक महाराजा श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडेयार बहादुर का शाही निवास-स्थान), ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर,

मैसूरु पैलेस बोर्ड, मैसूरु पैलेस, सयाजीराव रोड, अग्रहारा, चामराजपुरा, मैसूरु-570001, कर्नाटक; दूरभाष : 0821 242 1051; ई-मेल : dd@mysorepalace.gov.in, ddmysorepalace@gmail.com

हरियाणा

1. अशोक यूनिवर्सिटी, राजीव गाँधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत-131029, हरियाणा; दूरभाष : 0130 230 0000; ई-मेल : info@ashoka.edu.in

राजस्थान

1. 'सिटी पैलेस' (उदयपुर-संरक्षक श्रीजी अरविन्द सिंह मेवाड़ का शाही निवास), उदयपुर-313001, राजस्थान (श्री मयंक गुप्ता, उप सचिव, विकास, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन इटरनल मेवाड़, 09829078851; #0294 2419021-9; ई-मेल : mmcf@eternalmewar.in, shriji.secretariat@eternalmewar.in, secretariat.asm@eternalmewar.in)
2. 'लालगढ़ पैलेस' (बीकानेर-नरेश महाराज श्री रविराज सिंह बहादुर का शाही निवास), बीकानेर-334 001, राजस्थान
3. 'राजनिवास पैलेस' (धौलपुर नरेश महाराज राणा हेमंत सिंह का शाही निवास), धौलपुर-328 001, राजस्थान
4. 'उम्मैद भवन पैलेस' (जोधपुर-नरेश महाराजा गज सिंह का शाही निवास), कैंट एरिया, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर-342006, राजस्थान
5. 'पृथ्वी-विलास पैलेस' (झालावाड़-नरेश महाराज राणा चंद्रजीत सिंह जी देव बहादुर का शाही निवास), झालावाड़-326001, राजस्थान
6. 'फूलबाग पैलेस' (अलवर-नरेश राजर्षि सवाई महाराजा जितेन्द्र सिंह वीरेन्द्र शिरोमणि देव का शाही निवास स्थान), रघु मार्ग, स्कीम नंबर 5, अलकापुरी, अलवर-301 001 (राजस्थान)
7. 'बृजराज भवन पैलेस होटल' (कोटा के वर्तमान महाराव श्री बृजराज सिंह बहादुर का शाही निवास-स्थान), सिविल लाइन्स, नयापुरा, कोटा, राजस्थान-324 001

विदेशों में

विदेशों में उपलब्ध सामग्री के लिए देखें अगला अध्याय : 'विदेशों में विद्यमान मालवीय-साहित्य'।



विदेशों में विद्यमान मालवीय-साहित्य

पं. मदनमोहन मालवीय द्वारा रचित कुछ ऐसे साहित्य विदेशी पुस्तकालयों में विद्यमान हैं, जिनकी प्रति भारतीय पुस्तकालयों में भी नहीं है अथवा भारत में अप्राप्य है। इनका विवरण इस प्रकार है :

लाइब्रेरी ऑफ़ काँग्रेस, वाशिंगटन में संगृहीत दुर्लभ मालवीय-साहित्य :

- श्री दुर्गापूजा व पशु-बलिदान (मदनमोहन मालवीय जी के विचारों का संग्रह), हीरावल्लभ शास्त्री (संकलनकर्ता), पशुबलि-निरोध-समिति, कलकत्ता, 1936.
- मन्त्रमहिमा अर्थात् ईश्वर का ज्ञान और ध्यान पुस्तक की माइक्रोफ़िल्म, मदनमोहन मालवीय, काशी, 1930.

ब्रिटिश लाइब्रेरी, लन्दन में संगृहीत दुर्लभ मालवीय-साहित्य :

- कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन द नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेस एण्ड अवध, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 1897 (कुल पृष्ठ 100)
- प्रोसीडिंग ऑफ़ द स्पेशल कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ दी हिंदू महासभा : हेल्ड एट बेलगाम अण्डर द प्रेसीडेण्टशिप ऑफ़ पण्डित मदनमोहन मालवीय ऑन द ट्वण्टी सेवेंथ एण्ड ट्वण्टी एट्थ दिसम्बर 1924, बनारस, 1925 (कुल पृष्ठ 20)
- प्रेसीडेंशियल एड्रेस ऑफ़ द ऑनरेबल पण्डित मदनमोहन मालवीय एट द ट्वण्टी फोर्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड अट लाहौर 1909, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1910 (कुल पृष्ठ 30)
- द काँग्रेस वूमेन-वॉलंटियर्स केस ऑफ़ बनारस : ए क्रिटिसिज़्म ऑफ़ द

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जजमेण्ट, लेखक : मदनमोहन मालवीय, बनारस, 1932
(कुल पृष्ठ 51)

- ऑनरेबल पण्डित मदनमोहन मालवीयाज प्रेसीडेंशियल एड्रेस थर्टी-थर्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस, दिल्ली 1918, बम्बई, 1919 (कुल पृष्ठ 34)
- द कण्डीशन एण्ड नीड्स ऑफ़ द युनाइटेड प्रोविंसेस, द स्पीच डिलेवर्ड बाइ द ऑनरेबल पण्डित मदनमोहन मालवीय बी.ए., एलएल.बी. इन द प्रोविंसियल बजट डिबेट एट द मीटिंग ऑफ़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड एट लखनऊ ऑन अप्रैल 08, 1904, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 1904 (कुल पृष्ठ 20); पता : ब्रिटिश लाइब्रेरी : एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, 96, ह्यूस्टन रोड, लन्दन, इंग्लैण्ड, एनडब्ल्यू 1, 2डीबी, दूरभाष : 020 7412 7873, ई-मेल : apac-enquiries@bl.uk

पं. मदनमोहन मालवीय से सीधे सम्बन्धित दस्तावेज

- विषय : मालवीय जी की सन् 1923 की डायरी और अपने सचिव वी.ए. सुन्दरम् (1896-1967) को लिखे गए 11 पत्र। स्थान : Unter den Linden 8, Potsdamer Strasse 33, Westhafenstrasse 1, Berlin, Germany¹
- विषय : कॉरस्पॉण्डेण्ट, कालखण्ड : जनवरी-दिसम्बर 1935, सन्दर्भ : Mss Eur F178/1, वेब-लिंक : <http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/96919cf6-3887-49d0-93d6-ef6cd69c9fe8>
- विषय : भरतपुर के मामले में राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन, कालखण्ड : 1931, सन्दर्भ : IOR/R/1/1/2104, फाइल-नं. : 189-P(S)/1931, वेब-लिंक : <http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/612ed437-1f25-420d-a8b6-1224765186ae>
- विषय : राजपुताना-राज्यों में कुँवर महेन्द्र प्रताप के साथ राजनीतिक दौरे-सम्बन्धी रिपोर्ट, कालखण्ड : 1909, सन्दर्भ : IOR/R/1/1/1074, फाइल-नं. : 189-P(S)/1931, वेब-लिंक : <http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/bc5de763-49be-4e2d-863b-76d02e82660a>
- विषय : मालवीय जी ने अपने पुत्र रमाकान्त मालवीय के लिए उदयपुर (मेवाड़)

1. वी.ए. सुन्दरम् के दौहित्र, मार्क अल्बानो-मूलर द्वारा प्रदत्त, मार्क अल्बानो-मूलर का सम्पर्क-सूत्र : Marc Albano-Muller, Maretstrasse 45, 21073 Hamburg / Germany; Tel: +49-40-3038 4483.

राज्य में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील पुरुषोत्तमदास टण्डन के लिए नाभा राज्य में नौकरियाँ प्राप्त कीं, **कालखण्ड** : 1916, **सन्दर्भ** : IOR/R/1/1/829, **फाइल-नं.** : I B(S) Dec 1916 446-448, **वेब-लिंक** : <http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/dd2790bb-42e9-493d-b7f0-6675c1286cf8>

- **विषय** : Correspondence of Gopal Krishna Gokhale (1866-1915), Professor of History and Political Economy, Fergusson College, Bombay 1886-1904; Indian political leader; Member, Indian National Congress 1889, Joint Secretary 1895, President 1905; founded Servants of India Society 1905; Member, Governor-General's Legislative Council 1902-15. [Rough list available on request], **कालखण्ड** : 1890-1915, **सन्दर्भ** : IOR Pos 11697-11710, **वेब-लिंक** : <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/f4f38779-32b9-415f-b39f-d487f22461d3>
- **विषय** : प्रसिद्ध भौतिकविज्ञानी श्री अल्बर्ट आइंस्टीन को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आमन्त्रण का पत्र¹, **कालखण्ड** : 29 अक्टूबर, 1931, **सन्दर्भ** : Albert Einstein Archives in Jerusalem, IsraelArchival Call Number : 45-515, **वेबलिंक** : <http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000004772>

विदेशस्थ अभिलेखागारों में अवलोकनीय प्राइवेट पेपर्स :

- **हार्कोर्ट बटलर पेपर्स** (ब्रिटिश लाइब्रेरी : एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन) : Papers of Sir Harcourt Butler, Indian Civil Service 1890-1928, Governor of United Provinces 1918-22, Governor of Burma 1923-27, Reference: Mss Eur F116; 112 items, **कालखण्ड** : 1881-1938, **सन्दर्भ** : M s s E u r F 1 1 6 , **वेब-लिंक** : <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/47aa6ae8-eee3-492c-b4ec-a81b6fe8baa6>
- **कर्ज़न पेपर्स** (ब्रिटिश लाइब्रेरी : एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन) 1866-1925 : Curzon Collection: correspondence and papers of George Nathaniel Curzon, Marquess Curzon..., Reference: Mss Eur F111-112

1. ऐसा कहा जाता है कि मालवीय जी ने प्रसिद्ध रसायनज्ञ अर्नेस्ट रदरफोर्ड (1871-1937) को भी पत्र लिखकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आमन्त्रित किया था, किन्तु ऐसा कोई पत्र बहुत तलाश करने भी हमें नहीं प्राप्त हो सका है। सन् 1974 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स द्वारा प्रकाशित 'रदरफोर्ड कॉरस्पॉण्डेंस कैटलॉग' में भी मालवीय जी के पत्र का उल्लेख नहीं है।

- मोर्ले पेपर्स (ब्रिटिश लाइब्रेरी : एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन) 1905-1911 : Morley Collection: papers of John Morley, Viscount Morley of Blackburn (1838-1923), as Secretary of State for India 1905-10 and 1911, Reference: Mss Eur D573
- पेपर्स ऑफ़ द अर्ल ऑफ़ हैलीफैक्स एज वायसराय ऑफ़ इण्डिया (लॉर्ड इरविन) 1926-1931 (ब्रिटिश लाइब्रेरी : एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन) : Reference: HALIFAX/C152 अथवा Mss Eur C152
- एनी बेसेण्ट पेपर्स (डॉ. ए. सील कलेक्शन, कैम्ब्रिज, लन्दन)
- हार्डिंग कलेक्शन अथवा लॉर्ड हार्डिंग पेपर्स (कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लन्दन), अवधि : 1880-1922 ई., सामग्री : 25 बक्सों में 175 वॉल्यूम्स, लिंक : <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/b3c80c7e-83df-3748-986d-722512a13581?terms=malaviya>; पता : **Cambridge University Library**, West Road, Cambridge CB3 9DR, England, United Kingdom, Tel.: +44 (0)1223 333000, e-mail: <mailto:mss@lib.cam.ac.uk>
- पैट्रिक गैडीज़ पेपर्स : दिनांक 19.7.1916 को मालवीय जी द्वारा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पैट्रिक गैडीज़ (1854-1932) को लिखा गया पत्र, लिंक : <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/375a1d5a-7159-3e8d-b07c-853dac6e81f7?component=2178cba3-06a6-39ae-adbc-82ae3a00d32e>; पता : **University of Strathclyde**, 101 St. James Road, Glasgow G4 0NS, Scotland, UK, Tel.: +44 (0)141 548 2497; e-mail: archives@strath.ac.uk

इण्टरनेट से प्राप्त सामग्री :

- www.archive.org
- www.nationalarchives.nic.in/
- www.nehrumemorial.nic.in/en/
- http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1

मालवीय जी से सम्बन्धित सामग्री इंटरनेट पर, अभिलेखागारों में जाकर ‘ऑनलाइन सर्च’ करने से पूर्व कुछ बातें जाननी महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों में मालवीय जी का उपनाम ‘Malaviya’, ‘Malviya’, ‘Maliviya’, ‘Malaveeya’, ‘Malveeya’— ये सब लिखे मिलते हैं। इसमें भी बीसवीं शताब्दी के पहले दशक तक के दस्तावेजों में अनेक स्थानों पर ‘Malviya’, ‘Maliviya’ और ‘Malavya’ भी मिलते हैं। अतः उपर्युक्त सभी शब्दों का सहारा लेकर ‘ऑनलाइन सर्च’ करना बेहतर होगा।

6.

विषय-वर्गीकरण (खण्ड-विभाजन)

सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के कितने खण्ड हो सकते हैं, इसका निर्धारण मालवीय जी का सम्पूर्ण जीवनचरित जाने बिना कभी नहीं हो सकता। कुछेक बिन्दुओं के आधार पर खण्ड तय कर देना तो भयंकर भूल होगी। हमारे विचार से मालवीय जी के जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर खण्डों का निर्धारण किया जाना चाहिये। ये बिन्दु कालक्रमानुसार इस प्रकार हो सकते हैं :

- 'निर्वाणाञ्जलि' का लेखन, 1877
- 'मकरन्द', 'मस्त', आदि उपनामों से ब्रजभाषा में स्वरचित कविताएँ, पद, दोहे, भजन इत्यादि
- 'हिन्दी-प्रदीप' (सं. बालकृष्ण भट्ट) में प्रकाशित लेख
- 'देशी तिजारत कम्पनी' के संस्थापक (इलाहाबाद, 1881)
- 'मध्य हिंदू समाज' के संस्थापक (इलाहाबाद, सितम्बर 1884)
- 'हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा' के सदस्य, 1884
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय अधिवेशनों में दिए गए भाषण और प्रस्ताव (1886-1937) : विस्तार के लिए देखें : अध्याय 8
- भारतधर्म महामण्डल के संस्थापक (हरिद्वार, 1887)
- 'द इण्डियन यूनियन' (प्रधान सम्पादक श्री अयोध्यानाथ कुंजरू (1840-1892) में प्रकाशित सम्पादकीय, लेख एवं टिप्पणियाँ (1885-1890)
- 'हिन्दोस्थान' (हिंदी-दैनिक, कालाकांकर) में प्रकाशित सम्पादकीय, लेख और टिप्पणियाँ (जुलाई 1887-1891?)
- भारती भवन पुस्तकालय की स्थापना (इलाहाबाद, नवम्बर 1889)
- मुकद्दमों के दस्तावेज (1891-)
- काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य (वाराणसी, 1893-1946)

- कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन द नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेस एण्ड अवध (लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1897)
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट एवं सिण्डिकेट की बैठकों में दिए गए उद्बोधन (1899-1910), दीक्षान्त भाषण (दिसम्बर, 1937)
- काँग्रेस का संविधान (दिसम्बर, 1899)
- 'मैक्डॉनल हिंदू बोर्डिंग हाउस' की स्थापना (इलाहाबाद, 1901)
- लेजिस्लेटिव काउन्सिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एण्ड अवध में दिए के सदस्य (1902-1909)
- गौरी पाठशाला इंटर कॉलेज की स्थापना (इलाहाबाद, 1904)
- काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, कुलपति एवं रेक्टर (1904-1946)
- गंगा महासभा की स्थापना (हरिद्वार, 1905)
- इण्डियन इण्डस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस (1905-1916) के अधिवेशनों में दिए गए भाषण
- 'अभ्युदय' (हिंदी-साप्ताहिक, प्रयाग) में प्रकाशित सम्पादकीय, लेख, टिप्पणियाँ और भाषण (जनवरी 1907-1946)
- डीसेण्ट्रलाइजेशन कमीशन के समक्ष बयान (13 फरवरी, 1908)
- 'द लीडर' में प्रकाशित सम्पादकीय, लेख और टिप्पणियाँ (1909-1911)
- अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना (1910-)
- अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय अधिवेशनों में दिए गए भाषण, प्रस्ताव और पत्रक
- अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्म महासभा की स्थापना एवं कार्य
- ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम कॉलेज पेपर्स
- इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए गए भाषण (1910-1920)
- अखिल भारतीय सेवा समिति (1914-1946)
- इण्डियन इण्डस्ट्रियल कमीशन (1916-1918) की बैठकों में दिए गए भाषण और नोट्स
- गंगा-समझौता (हरिद्वार, 1916) का प्रारूप
- अस्पृश्यता-निवारण, मन्त्रदीक्षा, घर-वापसी
- इम्पीरियल वॉर कॉन्फ्रेंस (दिल्ली, 1918) में दिया गया भाषण
- ए क्रिटिसिज्म ऑफ माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स ऑफ इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स (अगस्त, 1918)
- सर्चिंग क्वेश्चन अपॉन मार्शल लॉ इन द पंजाब (लन्दन, 1919)
- भगवद्गीता-प्रवचन, एकादशी-प्रवचन, जन्माष्टमी-प्रवचन, भागवत-प्रवचन, शिवरात्रि-प्रवचन

- महामहोपाध्याय पं. आदित्यराम भट्टाचार्य की संक्षिप्त जीवनी (प्रयाग, 1922)
- लेजिस्लेटिव असेम्बली में दिए गए भाषण (1924-1930)
- अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन (दिल्ली, 1919) में दिया गया भाषण
- दुर्गाणा मन्दिर की स्थापना (अमृतसर, 1924)
- 'विश्व पञ्चाङ्ग' का सम्पादन (पञ्चाङ्ग-अनुभाग, ज्योतिष-विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 1925-)
- 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के चेयरमैन (1925-1946)
- 'द स्टेटुटोरी कमीशन' शीर्षक पुस्तिका का प्रकाशन (दिसम्बर, 1927)
- रॉयल कमीशन के समक्ष बयान (22 फरवरी, 1927)
- 'कल्याण' (सं. हनुमानप्रसाद पोद्दार; गीताप्रेस, गोरखपुर) में प्रकाशित लेख और शुभांशुसंग्रह (1927-1946)
- सर्वदलीय सम्मेलन (1928) में दिया गया भाषण
- 'सनातनधर्म प्रदीपक: मन्त्र-महिमा' शीर्षक पुस्तिका का प्रकाशन (1928)
- 'मन्त्रमहिमा अर्थात् ईश्वर का ज्ञान और ध्यान' (काशी, 1930)
- विश्वनाथ मन्दिर का शिलान्यास (काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मार्च, 1931)
- फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ (1931-1933) के सम्मेलनों में दिए गए भाषण।
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तथा लन्दन में अन्यत्र दिए गए भाषण (लन्दन, 1931)
- 'द काँग्रेस बुमेन वॉलंटियर्स केस ऑफ बनारस : अ क्रिटिसिज़्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जजमेण्ट' (बनारस, 1932)
- पण्डित मदन मोहन मालवीयाज़ स्टेटमेण्ट ऑन रीप्रेसन इन इण्डिया अप टू अप्रैल 20, 1932 (अप्रैल, 1932)
- पूना-समझौता दस्तावेज (सितम्बर, 1932)
- 'हिंदू धर्मोपदेश' (वाराणसी, 1933)
- 'सनातनधर्म' (हिंदी-साप्ताहिक, अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्म महासभा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, सं. भुवनेश्वरप्रसाद 'माधव', आचार्य सीताराम चतुर्वेदी तथा पं. गयाप्रसाद ज्योतिषी) में प्रकाशित लेख और भाषण (1933-1946)
- 'महादेवमाहात्म्यम्' (महाभारत के अनुशासनपर्व से संकलित, सनातनधर्म महासभा द्वारा सम्भवतः 1933 में प्रकाशित)
- 'हिंदू नेशनल इण्टर कॉलेज' की स्थापना (देहरादून, 1933)
- बद्दीनाथ टेम्पल : क्लेश्वर ऑफ ट्रांसफर (15 जनवरी, 1934)
- द काँग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी : व्हाट इट स्टैण्ड फॉर, हवाई एवरी इण्डियन शुड सपोर्ट इट

(माधव श्रीहरि अणे के साथ सहलेखन), अगस्त, 1934

- 'पशु-बलिदान व देवीपूजा' (अक्टूबर, 1935)
- अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन (इन्दौर, नवम्बर 1935) में दिया गया भाषण
- 'अन्त्यजोद्धार विधिः' (1936 ई.)
- अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन (तिरुपति, 1940) में पढ़ा गया भाषण।
- सवर्ण विवाह सार, संवत् 2000 (1943 ई.)
- हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स
- प्रार्थना (महात्मा गाँधी के साथ सहलेखन), 1951
- विभिन्न आन्दोलनों से सम्बन्धित पैम्पलैट्स, ब्रिटिश सरकार को दिए गए विभिन्न ज्ञापन, इत्यादि इत्यादि।
- संस्कृत में लिखे गए अभिलेख, अभिनन्दन पत्र, सूक्तियाँ-सुभाषित
- पुस्तकों की भूमिका, प्रस्तावना और सम्मति
- अन्य विभूतियों के विषय में लिखे गए लेख और श्रद्धाञ्जलि
- पत्रावली
- चित्रावली

उपर्युक्त सूची के आधार पर सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के खण्डों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रखी जा सकती है :

- **खण्ड 1** : सिद्धस्थ पत्रकार-1 : 'हिन्दोस्थान' (हिंदी-दैनिक, कालाकांकर, 1887-1891) (इस खण्ड के परिशिष्ट में 'निर्वाणाञ्जलि'; 'मकरन्द', 'मस्त' आदि उपनामों से स्वरचित कविताएँ, पद, दोहे, भजन इत्यादि; 'मर्यादा' (सं. बालकृष्ण भट्ट) में प्रकाशित रचनाएँ; 1897 में इलाहाबाद से प्रकाशित 'कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन द नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंस एण्ड अवध' दिये जायें)
- **खण्ड 2** : सिद्धस्थ पत्रकार-2 : 'अभ्युदय' (हिंदी-साप्ताहिक, प्रयाग, 1907-1909)
- **खण्ड 3** : सिद्धस्थ पत्रकार-3 : 'द लीडर' (अंग्रेजी-दैनिक, प्रयाग, 1909-1911) (इस खण्ड के परिशिष्ट में 'द इण्डियन यूनियन' में प्रकाशित सम्पादकीय और लेख तथा महामना के अन्य अंग्रेजी प्रकाशित-अप्रकाशित लेख ले लिए जायें, 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' से सम्बन्धित दस्तावेज)
- **खण्ड 4** : विधिवेत्ता (1891-)
- **खण्ड 5** : राजनीतिक भाषण 1 : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस : भाषण और प्रस्ताव (1886-1946)

- **खण्ड 6** : राजनीतिक भाषण 2 : स्वराज्य आन्दोलन से जुड़े सभा-सम्मेलनों, जैसे— स्वदेशी कन्फ्रेंस, सर्वदलीय सम्मेलन (1928), द काँग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, गोलमेज सम्मेलन (लन्दन, 1931), इत्यादि में दिए गए भाषण
- **खण्ड 7** : गैर-राजनीतिक भाषण 2 : अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हिंदू सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन (1910, 1919), काशी नागरी प्रचारिणी सभा, अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन (दिल्ली, 1919), अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन (इन्दौर, 1935), अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन (तिरुपति, 1940) इत्यादि; जातीय सभा-सम्मेलनों में दिए गए भाषण
- **खण्ड 8** : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट एवं सिण्डिकेट की बैठकों में दिए गए उद्बोधन (1899-1910), दीक्षान्त भाषण (दिसम्बर, 1937)।
- **खण्ड 9** : लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ़ युनाइटेड प्रोविसेंस ऑफ़ आगरा एण्ड अवध (1902-1909) में दिए गए भाषण। (परिशिष्ट में डीसेण्ट्रेलाइजेशन कमीशन के समक्ष गवाही, 13 फरवरी, 1908)
- **खण्ड 10** : इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (1910-1920) में दिए गए भाषण।
- **खण्ड 11** : इण्डियन इण्डस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस (1905-1916), इण्डियन इण्डस्ट्रीयल कमीशन (1916-18) की बैठकों में दिए गए भाषण और नोट्स, फेडरेशन ऑफ़ इण्डियन चैम्बर ऑफ़ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ (1931-1933) के सम्मेलनों में दिए गए भाषण।
- **खण्ड 12** : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (1905-1946) इस खण्ड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके विभिन्न विभागों तथा संकायों की स्थापना और भवन-निर्माण के सम्बन्ध में आहूत बैठकों में दिए गए भाषण, ज्ञापन, अपीलें, प्रस्ताव और पैम्प्लैट्स, उपकुलपतित्व-काल के दस्तावेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आनेवाले अतिथियों के स्वागत में लिखे गए अभिनन्दन-पत्र, दीक्षान्त भाषण, विद्यार्थियों को दिए गए प्रमाण-पत्र इत्यादि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 'मिनट्स' प्रकाशित हैं जिनसे विश्वविद्यालय के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है।
- **खण्ड 13** : लेजिस्लेटिव असेम्बली (1924-1930) में दिए गए भाषण। (परिशिष्ट में रॉयल कमीशन के समक्ष गवाही, 22 फरवरी, 1927)
- **खण्ड 14** : राजनीतिक लेख : 'ए क्रिटिसिज़्म ऑफ़ माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रोपोज़ल्स ऑफ़ इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म' (अगस्त, 1918), 'सर्विग केश्वन अपॉन मार्शल लॉ इन द पंजाब' (1919), 'द स्टेटुटोरी कमीशन' (दिसम्बर, 1927), 'पण्डित मदन मोहन मालवीयज़ स्टेटमेण्ट अन रीप्रेसन इन इण्डिया अपटू अप्रैल 20,

1932' (1932), 'ह्याट हैप्पेण्ड एट कैलकटा' (1933), इत्यादि।

- **खण्ड 15** : विविध कार्य : मैकडॉनल हिंदू ब्वायज़ हॉस्टल, अखिल भारतीय सेवा समिति, हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स, स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन, अखिल भारतीय स्वदेशी संघ, महामना द्वारा देश के अन्य स्थानों पर स्थापित शिक्षण-संस्थाएँ।
- **खण्ड 16** : सनातनधर्म के उन्नायक-1 (हिंदी-साप्ताहिक 'सनातनधर्म' में प्रकाशित गीता-प्रवचन, शिवरात्रि-प्रवचन, जन्माष्टमी-प्रवचन, एकादशी-प्रवचन, भागवत-प्रवचन)।
- **खण्ड 17** : सनातनधर्म के उन्नायक-2 (महामना के हिंदूधर्म-विषयक अन्य लेख और पुस्तकें) : 'कल्याण' (हिंदी-मासिक, गीताप्रेस, गोरखपुर) और हिंदूधर्म-विषयक अन्य फुटकर प्रकाशित-अप्रकाशित लेख; 'धर्मोपदेश', 'सनातनधर्म प्रदीपक' : मन्त्र-महिमा' (1928), 'ईश्वर' (गीताप्रेस, गोरखपुर, 1932 ई.), 'महादेवमाहात्म्यम्' (महाभारत के अनुशासनपर्व से संकलित, सनातनधर्म महासभा द्वारा सम्भवतः 1933 में प्रकाशित), 'श्री दुर्गापूजा व पशु-बलिदान' (कलकत्ता, 1936), अंत्यजोद्धारविधिः' (1936 ई.), 'सवर्ण विवाह सार' (1943 ई.), 'प्रार्थना' (1951 ई.) इत्यादि।
- **खण्ड 18** : सनातनधर्म के उन्नायक-3 (महामना के कार्य) : गंगा महासभा (हरिद्वार) और गंगा-समझौता, (हरिद्वार, मथुरा और काशी-स्थित) गोशालाएँ, कथा-सत्याग्रह (हरिद्वार, 1937), अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्म महासभा, कुम्भ-मेले, अस्पृश्यता-निवारण, मन्त्रदीक्षा, घर-वापसी, मन्दिर (विश्वनाथ मन्दिर, ब्रह्मनाथ मन्दिर, दुर्गाणा मन्दिर, संकटमोचन मन्दिर इत्यादि) और घाट-निर्माण, संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के पुनरुद्धार हेतु किए गए प्रयास, 'ब्रह्मनाथ टेम्पल : क्लेशन ऑफ ट्रांसफर' (जनवरी, 1934), अखिल भारतीय विक्रम परिषद्, संस्कृत में लिखे गए सुभाषित-सूक्तियाँ, इत्यादि)
- **खण्ड 19** : महापुरुषों को महामना की आदराञ्जलि (महामना द्वारा अन्य विभूतियों के विषय में लिखे गए लेख और श्रद्धाञ्जलि), पुस्तकों की भूमिका तथा शुभाशंसाएँ; विश्व पञ्चाङ्ग में प्रकाशित सम्पादकीय (1925-?)
- **खण्ड 20** : पत्रावली

उपर्युक्त सूची अन्तिम नहीं है अपितु एक आधार है। सम्पूर्ण सामग्री के एकत्रीकरण के पश्चात् इसमें संशोधन-परिवर्धन सम्भव है।



मालवीय जी की पत्रकारिता और उनके लेख

मा लवीय जी भारत में पत्रकारिता के नीति-नियन्ता और उस दौर के सफलतम सम्पादकों में थे। प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' और 'हिन्दी प्रदीप' आदि पत्रिकाओं के लिए लिखा। आगे चलकर 'हिन्दोस्थान', 'इण्डियन यूनियन', 'अभ्युदय' और 'लीडर' का सम्पादन किया। इनके अतिरिक्त 'मर्यादा' और 'सनातनधर्म' के प्रकाशन से भी सम्बद्ध रहे। 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' के जीवनपर्यंत चेयरमैन रहे। गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित 'कल्याण' और 'कल्याण-कल्पतरु' के लिए भी ये लेख भेजा करते थे। इन सभी पत्र-पत्रिकाओं के पुराने अंकों को तलाशने और इनमें मालवीय जी द्वारा लिखे गए लेख, कविताएँ और सम्पादकीय प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसे अत्यन्त धैर्य और मनोयोगपूर्वक करना पड़ेगा।

- **इण्डियन यूनियन** : मालवीय जी सम्भवतः 1885 से 1890 तक अथवा 1889-1892 तक 'इण्डियन यूनियन' नामक एक अंग्रेजी-साप्ताहिक के सम्पादन कार्य से जुड़े थे। इस पत्र के नाम को लेकर बहुत भ्रान्तियाँ हैं। अधिकांश विद्वान् इसे 'इण्डियन ओपीनियन' कहते हैं, जो ग़लत है; क्योंकि 'इण्डियन ओपीनियन' तो गाँधी जी का पत्र था। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 'तीस दिन मालवीय जी के साथ' में मालवीय जी के साथ हुए संवादों को लिपिबद्ध किया है। उसमें उन्होंने लिखा है—

'जनता में विचारों के प्रचार के लिए पण्डित आदित्यराम ने 'इण्डियन यूनियन' नाम से अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। पण्डितजी को उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कुछ लेख प्रायः उन्हीं को लिखने पड़ते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ा था। उन्होंने पत्र का सम्पादन छोड़ दिया, तब सम्पादन का काम मालवीयजी ने ले लिया और 1885 से 1889 या 90 तक उन्होंने

सम्पादन किया। 1890 में मालवीयजी ने भी उसका सम्पादन छोड़ दिया।'^{1,2}

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उक्त पत्र का नाम 'इण्डियन यूनियन' ही था, न कि 'इण्डियन ओपीनियन'। महामना के जीवनीलेखक वेंकटेश नारायण तिवारी ने लिखा है— 'इंडियन यूनियन का सम्पादन करते हुए मालवीय जी ने वकालत की परीक्षा दी और उसमें वह उत्तीर्ण हुए।'³ इस कथन से यह प्रतीत होता है कि मालवीय जी ने इण्डियन यूनियन का सम्पादन-कार्य 'हिन्दोस्थान' छोड़ने के बाद और वकालत प्रारम्भ करने से पूर्व सम्भाला था।

- **हिन्दोस्थान** : कालाकांकर के ताल्लुकेदार राजा रामपाल सिंह (1849-1909) द्वारा 1883 में लन्दन से हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू-मिश्रित लेखों से युक्त दैनिक 'हिन्दोस्थान' का प्रारम्भ किया गया। 1885 में वह इस पत्र को भारत ले आये और हिंदी में कालाकांकर से प्रारम्भ किया। इस तरह 'हिन्दोस्थान' को हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। मालवीय जी इस पत्र से सन् 1887 में जुड़े थे, किन्तु त्यागपत्र कब दिया, इसकी तिथि अनिश्चित है। कारण यह है कि मालवीय जी के सभी जीवनी-लेखकों ने जुलाई 1889 में नौकरी छोड़ने की बात की है, किन्तु 11 मार्च, 1891 को मालवीय जी ने कालाकांकर से बालमुकुन्द गुप्त को लेख भेजने के सम्बन्ध में पत्र लिखा है।⁴ इससे प्रतीत होता है कि मालवीय जी 1891 या उसके भी बाद तक 'हिन्दोस्थान' से सम्बद्ध रहे थे। 'हिन्दोस्थान' के कुछ अंक भारतीय पुस्तकालय, अलीपुर, कोलकाता में विद्यमान हैं और कुछ महात्मा गाँधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में संगृहीत हैं।
- **हिन्दी प्रदीप** : इस मासिक पत्रिका की स्थापना पं. बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में प्रयाग में की थी। मालवीयजी भी इसमें लिखा करते थे। ने.स्मा.सं.पु. में 'हिन्दी प्रदीप' के निम्नलिखित अंकों की माइक्रोफिल्म्स हैं : 1877 (सितम्बर-दिसम्बर), 1878 से 1907 की सम्पूर्ण फाइलें, 1908 की जनवरी-अप्रैल। माधवराव सप्रे संग्रहालय में 'हिन्दी प्रदीप' के निम्नलिखित वर्षों के सभी अंक सुरक्षित हैं : 1880, 1888-1892 और 1896 ई.।

1. तीस दिन मालवीयजी के साथ, रामनरेश त्रिपाठी, सस्ता साहित्य मण्डल, 1942, पृ. 53.
2. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, खण्ड 11, पृ. 176 पर उल्लेख है कि मालवीय जी सन् 1889 से 1892 तक 'इण्डियन यूनियन' के सम्पादक रहे थे।
3. पं. मदनमोहन मालवीय की जीवनी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1962, पृ. 27.
4. बालमुकुन्द गुप्त स्मारक ग्रन्थ, झाबरमल्ल शर्मा एवं बनारसीदास चतुर्वेदी (सं.), 1950, पृ. 44.

- **अभ्युदय** : मालवीय जी के सभी जीवनीकारों ने उद्धृत किया है कि मालवीय जी के सम्पादकत्व में हिंदी-साप्ताहिक 'अभ्युदय' का शुभारम्भ वसन्त पञ्चमी, वि.सं. 1963 (1907 ई.) को हुआ। यद्यपि यह केवल अन्धानुकरण है। तथ्य यह है कि मालवीय जी के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' का शुभारम्भ वसन्त पञ्चमी, वि.सं. 1963 (1907 ई.) को नहीं हुआ। वर्ष 1907 में वसन्त पञ्चमी, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी को पड़ी थी और दिनांक 22.01.1907 को मालवीय जी ने पं. श्रीधर पाठक को पत्र में लिखा है कि 'आगामी मंगलवार (अर्थात् 29.1.1907) को अभ्युदय का प्रथम अंक प्रकाशित होगा'। यह सूत्र पकड़कर हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं संग्रहालय के माइक्रोफ़िल्म-अनुभाग में 'अभ्युदय' के कई अंक रखे हैं। वहाँ 'अभ्युदय' का प्रवेशांक तथा अंक 2 उपलब्ध

श्री:

कालाकाकर

११-३-६१

प्रिय मुन्शी बालमुकुन्दजी,

आपका ६ का कार्ड पहुँचा, जो लेख आप भेजेगे, उनका जबतक मैं यहाँ हूँ, उचित आदर किया जायगा, यदि आप कन्सेट बिलके विरुद्ध अपनी संमति प्रकाश करना चाहते हैं तो अवश्य क्रीजिये, मैं छाप दूंगा। यद्यपि मैं समझता हूँ बिलके उठा लेनेके लिये लेख लिखना बिलकुल निष्फल है,


महर्षि मण्डलमे दीनदयालुजी क्या करना चाहते हैं, किस प्रकारके लोगोके आनेकी आशा है, यह सब दीनदयालुजीसे पता लगाकर लिखिये, आजकल वे कहाँ है सो भी लिखिये,

मैं हरिद्वारमें अबकी बर उपस्थित होनेको बहुत उत्सुक हूँ किन्तु जा सकनेकी आशा बहुत कम है,

आपका

मदनमोहन

बालमुकुन्द गुप्त स्मारक ग्रन्थ, झाबरमल्ल शर्मा एवं बनारसीदास चतुर्वेदी (सं.), 1950, पृ. 44.



सत्यमेव जयते

Motto in Sanskrit: 'A daily book journal.'

Quote: 'How little we realize, how few truths we know. He who shows appreciation shares the vision.'

Industry and Impunity

Dr. Gopalan Dasgupta

काठाजंकर रविवार २४ नवम्बर सन् १९८६ ई०

भाग १

दक्षिण टिप्पणी

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

इसका (आकाशवाणी) की ओर फिर ध्यान देना है क्योंकि इस विषय में विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

अपना नहीं है पूरा का आधाता है व राज्या का दिव्य सभ्यता विक्टर उभे दक्षिण नाम विक्टर जिन

नहीं है, अंक 3 से लेकर आगे के लगभग सभी अंक उपलब्ध हैं। इनका क्रम इस प्रकार है :

1. जिल्द 1, संख्या 3 : मंगलवार, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, वि.सं. 1963 (अर्थात् 12 फरवरी, 1907)
2. भाग 1, संख्या 4 : मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, वि.सं. 1963 (अर्थात् 19 फरवरी, 1907)
3. भाग 1, संख्या 5 : मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, संवत् 1963 (26 फरवरी, 1907 ई.) यहाँ से 'अभ्युदय' के प्रत्येक अंक में अंग्रेजी-तिथि का भी उल्लेख होने लगा।
4. भाग 1, संख्या 6 : मंगलवार, चैत्र कृष्ण पञ्चमी, संवत् 1963 (05 मार्च, 1907)
5. इत्यादि।

इस तरह हम देखते हैं कि 'अभ्युदय' प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था और उसका अंक 3 मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी को; अंक 4 मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी को; अंक 5 मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी को; अंक 6 मंगलवार, दिनांक 05 मार्च को; अंक 7 मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1907 ई.क को प्रकाशित हुआ। इसे उल्टे क्रम में देखने पर अंक 02 मंगलवार, दिनांक 05 फरवरी, 1907 को अंक 01 (प्रवेशांक) मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी, 1907 ई. (माघ शुक्ल पूर्णिमा, वि.सं. 1963) को प्रकाशित हुआ था— यह तथ्य मालवीय जी के पत्र से भी मेल खा जाता है।

पं. मदनमोहन मालवीय ने 1909 तक इस समाचार-पत्र का सम्पादन किया। बाद में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, महामना मालवीय के भतीजे (जयकृष्ण मालवीय के सुपुत्र) पं. कृष्णकान्त मालवीय, कृष्णकान्त मालवीय के सुपुत्र पं. पद्मकान्त मालवीय, रामभरोस मालवीय, धर्मवीर भारती और देवदत्त शास्त्री इसके सम्पादक रहे। ने.स्मा.सं.पु. में 'अभ्युदय' के प्रवेशांक तथा अंक 2 को छोड़कर 1907 की सम्पूर्ण, 1908 की सम्पूर्ण, 1909 में केवल जनवरी की, 1912 में फरवरी-दिसम्बर तक की, 1913 में जनवरी से अप्रैल तक की तथा 1914 से 1920 तक की सम्पूर्ण है। इसी प्रकार 1921 में जनवरी से अक्टूबर तक की, 1922 से 1935 तक की सम्पूर्ण, 1936 में जनवरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1937 से 1941 तक सम्पूर्ण, 1942 में केवल जनवरी की, 1945 में जून से दिसम्बर तथा 1946 की सम्पूर्ण फाइलों की माइक्रोफ़िल्म्स सुरक्षित हैं। माधवराव सप्रे संग्रहालय में 'अभ्युदय' के सन् 1917 और 1946 के अंक संगृहीत हैं। 'अभ्युदय' में प्रकाशित

बहुत-से लेखों और सम्पादकीय टिप्पणियों में मालवीय जी का नाम नहीं छपा है। ऐसे लेखों को पहचानने और प्रमाणित करने में कार्यकुशलता का परिचय देना होगा। पं. पद्मकान्त मालवीय ने 'अभ्युदय' में प्रकाशित मालवीय जी के 57 लेखों का संकलन जून 1962 में प्रकाशित कराया है।

- **द लीडर** : दिनांक 24 अक्टूबर, 1909 ई. (विजयदशमी, वि.सं. 1966) को पं. मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में इलाहाबाद से अंग्रेजी-दैनिक 'द लीडर' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इलाहाबाद में एक राष्ट्रीय दैनिक का अभाव दूर करने के लिए मोतीलाल नेहरू (1861-1931) की अध्यक्षता में कम्पनी बनाई गई, जिसमें मदनमोहन मालवीय, सर तेजबहादुर सपू (1875-1949), सच्चिदानन्द सिन्हा (1871-1950) प्रभृति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। इलाहाबाद में सन् 1903 से प्रकाशित हो रहे 'इण्डियन पीपुल' का 'द लीडर' में विलय हो गया। साथ ही 'इण्डियन पीपुल' के सम्पादक नगेन्द्रनाथ और उनके सहकारी सी.वाई. चिन्तामणि भी 'लीडर' के सम्पादन से जुड़ गये। सन् 1911 में जब नगेन्द्रनाथ 'ट्रिब्यून' के सम्पादक होकर लाहौर चले गए, तब सी.वाई. चिन्तामणि 'लीडर' के सम्पादक हो गये। आरम्भ में 'लीडर' की प्रसार-संख्या और विज्ञापन कम थे, तब आर्थिक कठिनाइयों के चलते प्रारम्भिक सम्पादकों पर काम का अत्यधिक बोझ था। ने.स्मा.सं.पु. में 'द लीडर' के निम्नलिखित अंकों की माइक्रोफ़िल्म्स हैं : 1909 : अक्टूबर-दिसम्बर; 1910 : जनवरी-मई, अक्टूबर-दिसम्बर; 1912 : जनवरी-अक्टूबर; 1913 : फरवरी-दिसम्बर; 1914-1927 की सम्पूर्ण; 1928 की जनवरी से जून; 1929 की सम्पूर्ण; 1930 की जनवरी, अप्रैल से दिसम्बर; 1931 की अप्रैल से सितम्बर; 1932 की जनवरी-फरवरी, अप्रैल से दिसम्बर; 1933-1937 की सम्पूर्ण; 1938 की फरवरी से दिसम्बर; 1939 की अप्रैल से दिसम्बर; 1940-1946 तक सम्पूर्ण। 1933 की जुलाई अप्राप्य। 'लीडर' की कुछ फाइलें प्रयाग के भारती भवन पुस्तकालय में भी संगृहीत हैं।
- **'मर्यादा' के प्रकाशक (1910-1920 ई.)** : मालवीय जी कभी भी 'मर्यादा' के सम्पादक नहीं थे जैसा कि उनके अनेक जीवनीकारों ने उच्छृंखलापूर्वक लिख मारा है। नवम्बर, 1910 में लक्ष्मीधर वाजपेयी के सम्पादकत्व में अभ्युदय प्रेस से हिंदी-मासिक 'मर्यादा' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था और कृष्णकान्त मालवीय उसके सहकारी बनाए गए थे। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख 'मर्यादा' शीर्षक से राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन (1882-1962) ने लिखा था। 10 वर्षों तक इस पत्रिका को प्रयाग से निकालने के बाद कृष्णकान्त मालवीय ने इसका प्रकाशन ज्ञानमण्डल लि., काशी को सौंप दिया। सन 1921 ई. से श्री शिवप्रसाद गुप्त (1883-1944) के

संचालन में और डॉ. सम्पूर्णानन्द (1891-1969) के सम्पादकत्व में 'मर्यादा' ज्ञानमण्डल से प्रकाशित हुई। असहयोग आन्दोलन में उनके जेल चले जाने पर धनपतराय (प्रेमचन्द : 1880-1936) स्थानापन्न सम्पादक हुए। 'मर्यादा' अपने समय की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका थी। प्रेमचन्द की आरम्भिक कहानियाँ इसी में प्रकाशित हुईं। लक्ष्मीधर वाजपेयी के बाद इस पत्रिका के सम्पादक क्रमशः डॉ. सम्पूर्णानन्द, प्रेमचन्द और बनारसीदास चतुर्वेदी (1892-1985) थे। अप्रैल 1923 में यह पत्रिका अनिवार्य कारणों से बन्द हो गई। इसका अन्तिम अंक 'प्रवासी-विशेषांक' के रूप में बनारसीदास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में निकला, जो अपनी विशिष्ट लेख सामग्री के कारण ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। वर्ष 1915 के 'मर्यादा' के अंक, माधवराव सप्रे संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

- **द हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी-दैनिक) के चेयरमैन (1925-1946 ई.) :** दिनांक 15.9.1924 को महात्मा गाँधी ने दिल्ली में 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' अख़बार का उद्घाटन किया था। मालवीय जी और तारा सिंह इसकी प्रबन्ध समिति में थे। प्रबन्ध अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक मास्टर सुन्दर सिंह लायलपुरी थे। 24.9.1924 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' अख़बार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। सम्भवतः फरवरी-मार्च 1925 में मालवीयजी ने लाला लाजपत राय (1865-1928) के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक से 40,000/- रुपये का ऋण लेकर 20,000/- में 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' अख़बार को खरीद लिया और शेष 20,000/- अख़बार चलाने के लिए अपने पास रखा। 1927 में घनश्यामदास बिड़ला (1894-1983) ने इसे ₹89,252/- में खरीद लिया, किन्तु मालवीय जी इसके 1946 तक चेयरमैन बने रहे। दिसम्बर 1927 में हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस से मालवीय जी द्वारा लिखित *The Statutory Commission* शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। ने.स्मा.सं.पु. में हिन्दुस्तान टाइम्स फाउण्डेड बाई मदन मोहन मालवीय, नयी दिल्ली 1924' की माइक्रोफ़िल्म है। यही नहीं यहाँ 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पुराने कई अंकों की माइक्रोफ़िल्म्स भी संगृहीत हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है : 1924 (अक्टूबर-दिसम्बर), 1925 (जनवरी-मार्च, जुलाई-दिसम्बर), 1926 (जनवरी, मार्च, मई, अगस्त-दिसम्बर), 1927 (फरवरी-दिसम्बर), 1928 (जनवरी-फरवरी, अप्रैल-नवम्बर), 1931 (जनवरी-फरवरी, अप्रैल-मई, सितम्बर-दिसम्बर), 1932-1941, 1942 (जनवरी-अगस्त), 1943, 1944 (जनवरी-अगस्त), 1945-1946 ई.। माधवराव सप्रे संग्रहालय में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सन् 1925, 1935, 1938, 1943 से 1946 तक के सभी अंक उपलब्ध हैं।
- **'सनातनधर्म' (हिंदी-साप्ताहिक) के प्रेरक एवं संरक्षक : 1933-1947 ई.।**

वार्षिक मूल्य ३।
४- मास का ५।
द्विमासिक ९।
एक अंक २२ पत्र आता ॥

श्री हरि:

Telephone No. 77.

प्र० आ० सनातनधर्म महासभा का साप्ताहिक मुखपत्र

सनातन धर्म

जो दृष्टि रखे धर्म को, तेहि रखे करतार ।

संस्कार तथा संवाक्य—पं० मदनमोहन मालवीय जी

वर्ष १

काशी, वि० पौष कृष्ण १२ शुक्लवार, सं० १९९० वि० : भा० १४ दिसम्बर सन् १९३३ ई०

पृष्ठ २२

सूय्य मालवीय जी महाराज का स्कातर्को को उपदेश




राज्येन ब्रह्मचर्येण याग्येनाप्य जियथा ।
दुःशुभकृत्याः कर्तव्येति सैवमस्तिः महा भद्रम् ॥
मदन मोहन मालवीय

हिंदी-साप्ताहिक 'सनातनधर्म', वर्ष 1, अंक 22, पौष कृष्ण द्वादशी, वि.सं. 1990 (14 दिसम्बर, 1933 ई.) : 'विश्वविद्यालय-अंक' का मुखपृष्ठ

अखिल भारतीय सनातनधर्म महासभा के साप्ताहिक मुखपत्र 'सनातनधर्म' का प्रवेशांक दिनांक 20 जुलाई, 1933 को प्रकाशित हुआ था। इसके सम्पादक क्रमशः भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र 'माधव', आचार्य सीताराम चतुर्वेदी (1907-2005) और पं. गयाप्रसाद ज्योतिषी थे। वर्ष 1933 के सनातनधर्म के अंक माधवराव सप्रे संग्रहालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगृहीत हैं। इनमें से 52 अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं।

- 'कल्याण' : महान् आध्यात्मिक विभूति और सम्पादकाचार्य भाईजी श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार (1892-1971) के अनुरोध पर मालवीय जी 'कल्याण' (हिंदी-मासिक) और 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी-मासिक) के लिए गीताप्रेस, गोरखपुर को नियमित लेख भेजा करते थे। 'कल्याण' और 'कल्याण-कल्पतरु' में प्रकाशित उनके निम्नलिखित लेखों का पता चला है :

1. 'रामायण का नित्य पाठ करो' (वर्ष 5, संख्या 1, जुलाई 1930, रामायणांक, पृ. 28)
2. 'महाभारत और श्रीमद्भागवत' (वर्ष 6, संख्या 1-2, अगस्त 1931, श्रीकृष्णांक, पृ.)
3. 'जगत् में सबसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कौन है? ईश्वर' (वर्ष 7, संख्या 1, अगस्त, 1932, ईश्वरांक, पृ. 32-41)। यह लेख पुस्तक रूप में भी उसी वर्ष गीताप्रेस ने प्रकाशित किया था। सन् 1934 में इस पुस्तक का 38 पृष्ठों का अंग्रेजी संस्करण *The Immanence of God* शीर्षक से गीताप्रेस ने प्रकाशित किया। परन्तु यह अंग्रेजी-अनुवाद स्वयं मालवीय जी ने किया था अथवा किसी अन्य ने, इसका उल्लेख अंग्रेजी संस्करण में नहीं है।
4. 'My Devout Prayer' (Kalyāṇa Kalpataru, January 1935)
5. 'गीता धर्म की निधि है', (वर्ष 14, संख्या 1, अगस्त 1939, गीता-तत्त्वांक, पृ. 55)
6. 'श्रीमद्भागवत की महिमा' (वर्ष 16, संख्या 1, अगस्त 1941, भागवतांक, पृ. 11-12)
7. 'पूज्य मालवीयजी का अन्तिम पूरा वक्तव्य' (मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा, संवत् 2003, पूज्यपाद महामना मालवीयजीकी पुण्यस्मृतिमें— श्राद्धोपलक्ष्यपर, पृ. 3-5)



भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशनों में दिए गए भाषण और प्रस्ताव

महामना मालवीय सन् 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में काँग्रेस के सम्पर्क में आ गए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने 85 वर्षीय जीवनकाल में लगभग छः दशक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में रहकर देश की सेवा की थी। इसमें भी लगभग पचास वर्ष तो अत्यन्त सक्रिय रहे। इसलिए सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के खण्डों में प्रथम खण्ड तो काँग्रेस से सम्बन्धित ही होना चाहिए। सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के खण्डों की पूर्व-सूची का प्रथम खण्ड 'महामना : भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महान् सेनानी' रखा गया है जिससे इस खण्ड की विषयवस्तु पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती। मालवीय जी सन् 1886 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से जुड़े और 1937 ई. तक इसके प्रायः सभी राष्ट्रीय अधिवेशनों में सहभागिता की। बीच के कुछ अधिवेशनों में अन्यत्र अथवा जेल में होने के कारण शामिल न हो सके। एक-दो बार ऐसा भी हुआ जब पूरे अधिवेशन में मालवीय जी ने कोई भाषण नहीं दिया। इन पाँच दशकों में मालवीय जी ने कुल 4 बार (लाहौर, 1909; दिल्ली, 1918; दिल्ली, 1932 और कलकत्ता, 1933) काँग्रेस के 'राष्ट्रपति' (राष्ट्रीय अध्यक्ष— उस समय काँग्रेस-अध्यक्ष को 'राष्ट्रपति' कहा जाता था) पद को भी सुशोभित किया। सन् 1937 में 76-वर्षीय मालवीय जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और काँग्रेस की बैठकों में जाना धीरे-धीरे कम कर दिया। काँग्रेस के अधिवेशन में वह अपना लिखित सन्देश भेज देते थे। इस प्रकार 1886 से 1940 के मध्य मालवीय जी ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी, काँग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठकों, काँग्रेस के राष्ट्रीय और प्रान्तीय अधिवेशनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। सौभाग्य से काँग्रेस के 1886 से 1937 तक हुए प्रायः सभी राष्ट्रीय अधिवेशनों की रिपोर्ट्स (प्रोसीडिंग्स) प्रकाशित हैं। इनकी सूची इस प्रकार है :

1. रिपोर्ट ऑफ द सैकेण्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कैलकटा ऑन द ट्वण्टी

- सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1886.
2. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1887, लन्दन, 1888.
 3. रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट एलाहाबाद ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1888.
 4. रिपोर्ट ऑफ़ द फिफ्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1889.
 5. रिपोर्ट ऑफ़ द सिक्स्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कैलकटा ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1890, लन्दन, 1891.
 6. रिपोर्ट ऑफ़ द सेवेन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट नागपुर ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1891.
 7. रिपोर्ट ऑफ़ द एट्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट इलाहाबाद ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1892.
 8. रिपोर्ट ऑफ़ द नाइन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लाहौर, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1893, कलकत्ता, 1894.
 9. रिपोर्ट ऑफ़ द टेन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1894, मद्रास, 1895.
 10. रिपोर्ट ऑफ़ द एलेवन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट पूना, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड थर्तीएथ डेसेम्बर, 1895, पूना, 1896.
 11. रिपोर्ट ऑफ़ द टुवेल्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कैलकटा, ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ, थर्तीएथ एण्ड थर्ती फर्स्ट डेसेम्बर, 1896, कलकत्ता, 1897.
 12. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्तीन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट अमरावती, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1897, बम्बई, 1898.
 13. रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्तीन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास, ऑन द ट्वण्टी नाइन्थ, थर्ती एण्ड थर्ती फर्स्ट डेसेम्बर, 1898, मद्रास, 1899.
 14. रिपोर्ट ऑफ़ द फिफ्तीन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, ऑन द




REPORT OF THE THIRTY-THIRD SESSION OF THE

Report of the
Thirty third session of the

**INDIAN
NATIONAL
CONGRESS**

held at Delhi on the
26th, 28th, 29th, 30th, 31st
December, 1918.



PRINTED BY A. T. RAY AT THE L. M. H. PRESS, DELHI,
1919.

- ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीयथ डेसेम्बर, 1899, 1900.
15. रिपोर्ट ऑफ़ द सिक्सटीथ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लाहौर, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1900, द ट्रिब्यून प्रेस, लाहौर, 1901.
 16. रिपोर्ट ऑफ़ द सेवनटीथ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कैलकटा, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर, 1901, कैलकटा 1902.
 17. रिपोर्ट ऑफ़ द एटीन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट अहमदाबाद, ऑन द ट्वण्टी थर्ड, ट्वण्टी फोर्थ एण्ड ट्वण्टी सिक्स्थ डेसेम्बर, 1902, बम्बई, 1903.
 18. रिपोर्ट ऑफ़ द नाइनटीन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास, ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीयथ डेसेम्बर, 1903, जी.ए. नटेशन एण्ड कं., मद्रास, 1904.
 19. रिपोर्ट ऑफ़ द ट्वण्टीयथ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर 1904, बॉम्बे, 1905.
 20. द ट्वण्टी फर्स्ट इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बनारस, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर 1905, मद्रास, 1906.
 21. द ट्वण्टी सेकेण्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड इन कैलकटा, दिसम्बर 26-29, 1906, कैलकटा, जनवरी, 1907.
 22. रिपोर्ट ऑफ़ द प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द ट्वेण्टी-थर्ड नाइन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीयथ डेसेम्बर 1908, मद्रास, 1909.
 23. रिपोर्ट ऑफ़ द प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द ट्वेण्टी-फोर्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लाहौर ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर 1909, लाहौर, 1910.
 24. प्रेसीडेंशियल एड्रेस ऑफ़ द ऑनरेबल पण्डित मदनमोहन मालवीय एट द ट्वण्टी फोर्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड अट लाहौर 1909, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1910 (कुल पृष्ठ 30)
 25. रिपोर्ट ऑफ़ द ट्वण्टी फिफ्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट इलाहाबाद, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर 1910, इलाहाबाद, 1911.
 26. रिपोर्ट ऑफ़ द प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द ट्वेण्टी-सिक्स्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड

- एट कैलकटा, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर, 1911.
27. रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्वेण्टी-सेवन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बाँकीपुर ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर, 1912.
 28. रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्वेण्टी-एट्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कराची, ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर, 1913.
 29. रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्वेण्टी-नाइन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट मद्रास ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीयथ डेसेम्बर, 1914, मद्रास, 1915.
 30. रिपोर्ट ऑफ द थर्तीयथ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे, ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1915, बम्बई, 1916.
 31. रिपोर्ट ऑफ द थर्टी फर्स्ट इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लखनऊ ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ एण्ड थर्तीयथ डेसेम्बर, 1916, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1917.
 32. प्रोसीडिंग्स ऑफ द ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी एण्ड द मुस्लिम लीग रिफॉर्म कमेटी हेल्ड एट द इण्डियन एसोसिएशन रूमस कलकत्ता, 1916
 33. रिपोर्ट ऑफ द थर्टी सेकेण्ड सेशन ऑफ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कैलकटा ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी एट्थ एण्ड ट्वण्टी नाइन्थ डेसेम्बर, 1917, कलकत्ता, 1918.
 34. रिपोर्ट ऑफ द थर्टी थर्ड सेशन ऑफ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट दिल्ली ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ, थर्टी एण्ड थर्टी फर्स्ट डेसेम्बर, 1918, दिल्ली, 1919.
 35. ऑनरेबल पण्डित मदनमोहन मालवीयाज् प्रेसीडेंशियल एड्रेस थर्टी-थर्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस, दिल्ली 1918, बम्बई, 1919 (कुल पृष्ठ 34)
 36. रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे ऑन द ट्वण्टी नाइन्थ, थर्टी एण्ड थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट, 1918.
 37. रिपोर्ट ऑफ द थर्टी फोर्थ सेशन ऑफ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट अमृतसर ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी एट्थ, थर्टी, थर्टी फर्स्ट डेसेम्बर, 1919 एण्ड फर्स्ट जैनुअरी, 1920, अमृतसर, 1922.

38. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टी फिफ्थ सेशन ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट नागपुर ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी एट्थ, थर्टीयथ एण्ड थर्टी फर्स्ट डेसेम्बर, 1920, नागपुर
39. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टी सिक्स्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट अहमदाबाद ऑन द ट्वण्टी सेवन्थ एण्ड ट्वण्टी एट्थ डेसेम्बर, 1921, अहमदाबाद
40. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टी सेवन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट गया ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ, ट्वण्टी सेवन्थ, ट्वण्टी नाइन्थ, थर्टीयथ एण्ड थर्टी फर्स्ट डेसेम्बर, 1922, पटना, 1923.
41. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टी-एट्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कोकानाडा ऑन द ट्वण्टी एट्थ, ट्वण्टी नाइन्थ, थर्टीयथ एण्ड थर्टी फर्स्ट डेसेम्बर, 1923, साबरमती, 1924.
42. रिपोर्ट ऑफ़ द थर्टी-नाइन्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट बेलगाँव ऑन द ट्वण्टी सिक्स्थ एण्ड ट्वण्टी सेवन्थ डेसेम्बर, 1924.
43. रिपोर्ट ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस फोर्टीएथ सेशन, कानपुर, 1925, मद्रास
44. रिपोर्ट ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस फोर्टी-फर्स्ट सेशन, गौहाटी (असम), 1926, मद्रास
45. रिपोर्ट ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस फोर्टी-फर्स्ट सेशन, मद्रास, 1927, मद्रास
46. फोर्टी-थर्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस, कलकत्ता, 1928
47. इण्डियन नेशनल काँग्रेस : रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्टी-फोर्थ एनुअल सेशन हेल्ड एट लाजपत नगर, लाहौर, ऑन डेसम्बर ट्वण्टी फिफ्थ टू थर्टी-फर्स्ट, 1929.
48. रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्टी-फिफ्थ इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट कराची, 1931.
49. प्रेसीडेंशियल एड्रेस : इण्डियन नेशनल काँग्रेस, मदनमोहन मालवीय, कैलकटा, 1933.
50. रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्टी-एट्थ एनुअल सेशन ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट अब्दुल गफ्फार नगर, बॉम्बे, इन ऑक्टूबर 1934.
51. रिपोर्ट ऑफ़ द फोर्टी-नाइन्थ सेशन ऑफ़ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट लखनऊ इन एप्रिल 1936.
52. रिपोर्ट ऑफ़ द फिफ्थी-फर्स्ट इण्डियन नेशनल काँग्रेस, हरिपुरा (डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात), 1938.
53. रिपोर्ट ऑफ़ द फिफ्थी-सैकेण्ड इण्डियन नेशनल काँग्रेस हेल्ड एट त्रिपुरी (डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, महाकोसल), 1939.
44. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1920-1923, इलाहाबाद, 1924

APPENDIX I

GREETINGS AND FELICITATIONS

Innumerable messages greeting the Congress Session and wishing it all success came from all parts of India, Burma, Ceylon and outside. They were both from notable persons as also from foreign friendly institutions and associations wishing well with the Congress. And the messages of greetings from Indians overseas came from all over the world and bore a stamp of love that they bear to the motherland. The following are some of the noteworthy ones:

Pandit Madan Mohan Malaviya, one of the oldest living congressmen and ex-President wrote from Shivakoti, Allahabad:

"My greetings to Congress and to all fellow-workers assembled at Haripura. Being under treatment, I regret I am unable to attend this great and important Session; but I will be with you in spirit and shall be praying for your success. I have no doubt the Congress will best advise the country how to effectively combat the Federation which has been laid down by Parliament and to impress upon Great Britain that for peace and friendship between India and England, India must cease to be a dependency and become a free and independent country with a constitution framed by her own people and calculated to enable her to promote her own needs and interests."

मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) में सम्मिलित नहीं हुए थे, किन्तु उन्होंने अपना लिखित शुभकामना-सन्देश प्रेषित किया था। रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ द फिफ्टी-फर्स्ट इण्डियन नेशनल काँग्रेस, हरिपुरा (डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात), 1938, पेज 216.

55. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1924, इलाहाबाद, 1925
56. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1925, इलाहाबाद, 1925
57. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1926, मद्रास, 1927
58. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1928, इलाहाबाद, 1929
59. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1930-1934, इलाहाबाद
60. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1934-1936, इलाहाबाद, 1936
61. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 1936-1937, इलाहाबाद
62. द इण्डियन नेशनल काँग्रेस फरवरी 1938 टू जनवरी 1939, इलाहाबाद

8. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशनों में दिए गए भाषण और प्रस्ताव

63. काँग्रेस प्रेसीडेंसियल एड्रेस, फर्स्ट सीरीज़ (1885-1910), जी.ए. नटेशन, मद्रास
64. काँग्रेस प्रेसीडेंसियन एड्रेस, सैकेण्ड सीरीज़ (1911-1934), जी.ए. नटेशन, मद्रास, दिसम्बर, 1934 ई.

उपर्युक्त प्रोसीडिंग्स और रिपोर्ट्स में काँग्रेस-अधिवेशनों में दिए गए नेताओं के भाषण और पारित प्रस्ताव प्रकाशित हैं, जिनमें से मालवीय जी के भाषण और प्रस्ताव सावधानीपूर्वक एकत्र करना होगा। इसी विषय से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है :

- मालवीय जी ने काँग्रेस के अनेक राष्ट्रीय अधिवेशनों में एक से अधिक बार सम्बोधन किया है। अनेक बार प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है। प्रोसीडिंग्स से यह जानकारी मिलती है। इनमें से केवल मुख्य भाषण को ही नहीं वरन् समस्त भाषण को एकत्र करना होगा।
- मालवीय जी संयुक्त-प्रान्तीय काँग्रेस (सम्प्रति उत्तरप्रदेश काँग्रेस) में भी सक्रिय थे और इस प्रान्तीय काँग्रेस के भी अधिवेशनों में भी नियमित रूप से सम्मिलित होते थे। कुछ प्रान्तीय अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की (उदाहरण के लिए मार्च 1908 में लखनऊ में आयोजित द्वितीय प्रान्तीय अधिवेशन)। इन प्रान्तीय अधिवेशनों की प्रोसीडिंग्स प्रकाशित है अथवा नहीं, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है।
- मालवीय जी अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटियों और प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियों की अनगिनत बैठकों में भी सम्मिलित हुए थे, जिसकी मिनट्स नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में विद्यमान 'अल इण्डिया काँग्रेस कमेटी पेपर्स' में तथा अनेक स्वाधीनता सेनानियों के प्राइवेट पेपर्स में संगृहीत हैं। इन सारे मिनट्स को सावधानीपूर्वक एकत्र करना और उनसे मालवीय जी के उद्धरण को नवनीत के समान निकालना सागर-मन्थन जैसा कठिन कार्य है। किन्तु इस कार्य को किए बिना इस खण्ड की तैयारी सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करने पर पता चलता है कि सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय में केवल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से सम्बन्धित कम-से-कम 2 खण्ड तो अवश्य बन जायेंगे, 3 खण्ड भी बन सकते हैं।



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में दिए गए भाषण और अन्य कार्य

मालवीय जी ने 1891 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेण्ट्रल कॉलेज से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 10 मार्च, 1899 को वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य चुने गये। सन् 1900 में वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि-विभाग में हिंदू और मोहम्मडन-विधि (क़ानून) से सम्बन्धित परीक्षा के परीक्षक भी थे। दिनांक 04 मार्च, 1901 को वह विधि-संकाय के सदस्य निर्वाचित हुए। 13 नवम्बर, 1905 ई. को वह पुनः विधि संकाय के सदस्य निर्वाचित हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मालवीय जी की उपस्थिति में आयोजित बैठकों के निम्नलिखित प्रोसीडिंग्स प्राप्त हो गए हैं :

1. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1899-1900, इलाहाबाद, 1900
2. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1900-1901, इलाहाबाद, 1901
3. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1901-1902, इलाहाबाद, 1902
4. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1902-1903, इलाहाबाद, 1903
5. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1905-1906, इलाहाबाद, 1906
6. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1906-1907, इलाहाबाद, 1907
7. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1907, इलाहाबाद, 1908
8. यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलाहाबाद, मिन्ट्स फॉर द ईयर 1908, इलाहाबाद, 1909

University of Allahabad.

MINUTES

FOR THE YEAR

1902-1903.



Allahabad

PRINTED AT THE PIONEER PRESS

1903

9. यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मिनट्स फॉर द ई यार 1909, इलाहाबाद, 1910

10. यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मिनट्स फॉर द ई यार 1910, इलाहाबाद, 1911

उपर्युक्त प्रोसीडिंग्स में निम्नलिखित बैठकों की कार्यवाहियाँ प्रकाशित हैं :

- 13 नवम्बर, 1899 ई. : वर्ष 1899-1900 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 05-06 मार्च, 1900 ई. : वर्ष 1899-00 की सीनेट की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया।
- 09 अगस्त, 1901 ई. : वर्ष 1901-02 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 03 मार्च, 1902 ई. : वर्ष 1901-02 की सीनेट की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया।
- 07 मार्च, 1902 ई. : वर्ष 1901-02 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 06 नवम्बर, 1902 ई. : वर्ष 1902-03 की सीनेट की बैठक में सहभागिता।
- 04 सितम्बर, 1905 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 13 नवम्बर, 1905 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की वार्षिक बैठक में सम्मिलित।
- 14 नवम्बर, 1905 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की वार्षिक बैठक में भाग

9. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में दिए गए भाषण...

HINDU AND MAHOMEDAN LAW.

Dr. MANAR MOHAR MAHARAJA, B.A., LL.B., Advocate.

1. Give some authorities for the rule that where a custom is proved to exist it will override the written text of the law. What would be the nature of the evidence required to establish such a custom?
2. Give a summary of the main points of difference between the Hindu shrota and the Deoband Schools.
3. What are the results of a valid adoption? Discuss the validity of the adoption of an infant.
4. What do you understand by 'Depository property'? What are the modes of alienation sanctioned over such property under the Mitakshra—
 - (a) by a Hindu as against his sons;
 - (b) by the manager of a joint family who is not the father of the other members;
 - (c) by a single coparcener.

State if there is any difference between the law on the last point in Benares, Bengal, Bombay and Madras.

5. State the law as to the right of a Hindu widow in respect of accumulations made by her from the estate inherited by her husband. Would the rule accruing during the last year of the widow's life pass to her own representatives or to her husband's?
6. State the principal grounds of exclusion from inheritance recognised by the Hindu and the Mahomedan Law, and show how they have been affected by modern legislation.
7. Define:—

Zakat, Khoola, Jiddat, Makruhal, Mowajjal, Mowajjal, Tahab-i-mowajjalat, Tahab-i-makruhal.
8. State in their proper order the four dattes which are said to belong to the property of a deceased Mahomedan.

A Mahomedan dies leaving 500 aighas of Sir land, and three wives, three sons, three sons' sons and two daughters. To what portion, if any, of this land, is each of these entitled?
9. Define wakf. A Mahomedan Zemindar executes a deed whereby he conveys the whole of his property to the trustees of the M. A. O. College, Aligarh, and declares that two-thirds of the income of the property shall be always and unconditionally devoted to the purposes of education, and one-third of the income shall be given to him for his life and to his children after him.

Is this deed valid?
10. What are the rights of a Mahomedan widow whose dower remains unpaid against the estate of her deceased husband—
 - (a) when she has obtained lawful possession of the estate;
 - (b) when she has not.

लिया।

- 08 दिसम्बर, 1905 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की वार्षिक बैठक में सहभागिता।
- 08 जनवरी, 1906 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 09 मार्च, 1906 ई. : वर्ष 1905-'06 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 12 मार्च, 1906 ई. : वर्ष 1905-'06 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 12 नवम्बर, 1906 ई. : वर्ष 1906-'07 की सीनेट की वार्षिक बैठक में सम्मिलित।
- 14 नवम्बर, 1906 ई. : वर्ष 1906-'07 की विधि संकाय की वार्षिक बैठक में सम्मिलित।
- 08 दिसम्बर, 1906 ई. : वर्ष 1906-'07 की सीनेट के तथा मानद फेलो की वार्षिक बैठक में सम्मिलित।
- 12 मार्च, 1907 ई. : वर्ष 1906-'07 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 12 अगस्त, 1907 ई. : वर्ष 1907-'08 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 11 नवम्बर, 1907 ई. : वर्ष 1907-'08 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 12 नवम्बर, 1907 ई. : वर्ष 1907-'08 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 14 नवम्बर, 1907 ई. : वर्ष 1907-'08 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 16 नवम्बर, 1907 ई. : वर्ष 1907-'08 की विधि संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 13 जनवरी, 1908 ई. : वर्ष 1908 की सीनेट की बैठक में सम्मिलित।
- 05 फरवरी, 1908 ई. : वर्ष 1908 की विधि-संकाय की बैठक में सम्मिलित।
- 14 अगस्त, 1908 ई. : वर्ष 1908 की सीनेट की साधारण बैठक में सम्मिलित।
- 12 मार्च, 1909 ई. : वर्ष 1909 की सीनेट की साधारण बैठक में सम्मिलित।
- 11 मार्च, 1910 ई. : वर्ष 1910 की सीनेट की साधारण बैठक में सम्मिलित।



इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए गए भाषण

मा लवीय-साहित्य के अध्येता इस तथ्य से अवगत हैं कि मालवीय जी के जीवन का प्रायः एक चौथाई समय (लगभग 22 वर्ष) ब्रिटिश भारतीय संसद में व्यतीत हुआ था। इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है :

- 1902-1909 ? : लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ आगरा एण्ड अवध (इलाहाबाद) (सम्प्रति उत्तरप्रदेश विधान परिषद्, लखनऊ)¹
- 1910-1920 : इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (कलकत्ता, शिमला और दिल्ली)
- 1924-1930 : सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (दिल्ली)

सन् 1910 में मालवीय जी प्रान्तीय काउंसिल के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' (इसे 'इण्डियन लेजिस्लेटिव काउंसिल' भी कहा जाता है) के सदस्य निर्वाचित हुए। दिनांक 25 जनवरी, 1910 को उन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेण्ट हाउस (सम्प्रति राजभवन, कोलकाता) में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। दिनांक 22 मार्च, 1920 को उनका काउंसिल में अन्तिम उद्बोधन हुआ। यहाँ हम उदाहरणार्थ सन् 1910 से 1913 के मध्य, काउंसिल की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं :

1. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ आगरा एण्ड अवध की प्रोसीडिंग्स *Abstract of the proceedings of the Legislative Council for the North-Western Provinces and Oudh* शीर्षक से प्रकाशित है और इसकी फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में संगृहीत हैं।

अप्रैल 1909 से मार्च 1910 की काउंसिल :

दिनांक 25 जनवरी, 1910 को मालवीय जी द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उस सत्र की कुल 10 बैठकें हुईं, जिनमें मालवीय जी ने 8 में हिस्सा लिया था—

1. **दिनांक 25 जनवरी, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में पं. मदनमोहन मालवीय जी, गोपालकृष्ण गोखले, सच्चिदानन्द सिन्हा सहित कुल 55 नये सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की थी। काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिण्टो ने नये सदस्यों का स्वागत करते हुए काउंसिल की गौरवशाली परम्परा पर भाषण दिया तथा काउंसिल 28 जनवरी, 1910 तक स्थगित कर दी गयी।
2. **दिनांक 08 फरवरी, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में केवल प्रेस विधेयक पर चर्चा हुई थी और मालवीय जी ने भी बहस में भाग लिया था।
3. **दिनांक 25 फरवरी, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी— 1. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 2. इण्डियन स्टाम्प (अमेण्डमेण्ट) बिल, 3. कोर्ट-फीस (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. इण्डियन टैरिफ (अमेण्डमेण्ट) बिल, 5. डॉरिन बिल और 6. इण्डेण्टर्ड लेबर फ़ार नेटाल। इस दिन मालवीय जी उपस्थित थे, किन्तु और उन्होंने डॉरिन बिल के समर्थन में मतदान किया था।
4. **दिनांक 04 मार्च, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. इलेक्ट्रीसिटी बिल, 2. इण्डियन म्यूजियम बिल, 3. इण्डियन स्टाम्प (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. कोर्ट फीस (अमेण्डमेण्ट) बिल और 5. इण्डियन टैरिफ (अमेण्डमेण्ट) बिल। इनमें मालवीय जी ने केवल इण्डियन टैरिफ (अमेण्डमेण्ट) बिल पर हुई बहस में हिस्सा लिया था तथा कोर्ट-फीस (अमेण्डमेण्ट) बिल और इण्डियन टैरिफ (अमेण्डमेण्ट) बिल के पक्ष में मतदान किया था।
5. **दिनांक 05 मार्च, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में केवल वित्तीय विवरण पर चर्चा हुई थी और मालवीय जी ने भी बहस में भाग लिया था और मतदान किया था।
6. **दिनांक 09 मार्च, 1910** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित

काउंसिल में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी— 1. फैमिन रिलीफ़, 2. रेवेन्यू एण्ड एक्सपेण्डेचर, 3. साइंटिफिक एण्ड अदर माइनर डिपार्टमेण्ट्स, 4. सिंचाई, 5. एजुकेशन, 6. सैनिटेशन, 7. कस्टम्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ़, स्टेशनरी एण्ड प्रिण्टिंग तथा 8. रेलवे। उपर्युक्त में मालवीय जी ने सिंचाई तथा रेलवे पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया और मतदान किया था।

7. दिनांक 18 मार्च, 1910 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी बिल, 2. इण्डियन म्यूज़ियम बिल, 3. सेण्ट्रल प्रोविंसेस कोर्ट्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. ग्लैण्डर्स एण्ड फर्सी लॉ (अमेण्डमेण्ट) बिल, 5. प्रिजन्स (अमेण्डमेण्ट) बिल तथा 6. प्राथमिक शिक्षा। उपर्युक्त में मालवीय जी ने केवल प्राथमिक शिक्षा पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था।
8. दिनांक 23 मार्च, 1910 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी— 1. बजट फॉर 1910-11, 2. ग्लैण्डर्स एण्ड फर्सी लॉ अमेण्डमेण्ट बिल, 3. प्रिजन्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. पेटेण्ट्स एण्ड डिज़ाइन्स बिल, 5. इण्डियन इमीग्रेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल और 6. पॉलिटेक्निक कॉलेज। उपर्युक्त में मालवीय जी ने केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया तथा मतदान किया था।
9. दिनांक 29 मार्च, 1910 : मालवीय जी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था।
10. दिनांक 30 मार्च, 1910 : मालवीय जी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था।

अप्रैल 1910 से मार्च 1911 की काउंसिल :

सत्र अप्रैल 1910 से मार्च 1911 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल 15 बैठकें हुईं, जिनमें मालवीय जी ने 12 में हिस्सा लिया था—

1. दिनांक 05 अगस्त, 1910 : इस दिन शिमला में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. कैण्टोमेण्ट्स बिल, 2. आर्मी बिल और 3. इण्डियन सेंसस बिल। उपर्युक्त में मालवीय जी ने कैण्टोमेण्ट्स बिल पर हुई बहस में हिस्सा लिया था।
2. दिनांक 06 अगस्त, 1910 : इस दिन शिमला में आयोजित काउंसिल में केवल कण्टीन्यूइंग बिल पर चर्चा हुई थी और मालवीय जी ने भी बहस में भाग लिया था।
3. दिनांक 03 जनवरी, 1911 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।

4. **दिनांक 24 जनवरी, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी : 1. रेट्स फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स ऑन रेलवेज, 2. प्रश्नोत्तर-सत्र, 3. पेटेण्ट्स एण्ड डिजाइन्स बिल, 4. क्रिमिनल ट्राइब्स बिल, 5. इण्डियन पोर्ट्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 6. इण्डियन ट्रामवेज (अमेण्डमेण्ट) बिल, 7. आर्मी, 8. साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन, 9. हाफ एसेट्स ऑफ लैण्ड-रेवेन्यू, 10. साइंटिफिक सर्विसेस, 11. काउंसिल रेगुलेशंस और 12. एक्जेक्युटिव काउंसिल फॉर द युनाइटेड प्रोविंसेस। उपर्युक्त में पूज्य मालवीय जी ने काउंसिल रेगुलेशंस तथा एक्जेक्युटिव काउंसिल फॉर द युनाइटेड प्रोविंसेस पर अपना सम्बोधन दिया और मतदान किया था।
5. **दिनांक 25 जनवरी, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी : 1. प्रश्नोत्तर-सत्र और 2. इन्क्रीज इन पब्लिक एक्सपेण्डेचर। उपर्युक्त में मालवीय जी ने इन्क्रीज इन पब्लिक एक्सपेण्डेचर पर भाषण दिया था।
6. **दिनांक 31 जनवरी, 1911** : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
7. **दिनांक 01 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 2. पेटेण्ट्स एण्ड डिजाइन्स बिल, 3. क्रिमिनल ट्राइब्स बिल, 4. इण्डियन पोर्ट्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 5. इण्डियन ट्रामवेज (अमेण्डमेण्ट) बिल, 6. इण्डियन फैक्ट्रीज बिल, 7. बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मैरेज्स रजिस्ट्रेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, 8. इण्डियन यूनिवर्सिटीज (अमेण्डमेण्ट) बिल, 9. को-ऑपरेटिव सोसायटीज बिल, 10. स्पेशल मैरेज (अमेण्डमेण्ट) बिल और 11. इण्डियन प्रेस (अमेण्डमेण्ट) बिल। उपर्युक्त में मालवीय जी ने इण्डियन यूनिवर्सिटीज (अमेण्डमेण्ट) बिल पर हुई बहस में हिस्सा लिया था।
8. **दिनांक 07 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. इण्डियन पेपर्स करेंसी (अमेण्डमेण्ट) बिल, 3. इण्डियन टैरिफ (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 5. ओपियम फण्ड, 6. तम्बाकू-ड्यूटीज, 7. फीस इन प्राइमरी स्कूल्स, 8. सैनिटेशन (ईस्टर्न बंगाल एण्ड असम), 9. प्रपोज्ड ग्राण्ट टू ईस्टर्न बंगाल एण्ड असम फॉर एजुकेशन, 10. स्पेशल ग्राण्ट (लोअर प्रोविंसेस), 11. हाई कोर्ट फॉर द पंजाब और 12. शेयर ऑफ लैण्ड रेवेन्यू (युनाइटेड प्रोविंसेस)। उपर्युक्त में मालवीय जी ने प्रश्नोत्तर-सत्र तथा शेयर ऑफ

ABSTRACT OF PROCEEDING
OF
THE COUNCIL OF THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA
ASSEMBLED FOR THE PURPOSE OF MAKING
LAWS AND REGULATIONS,
April 1910 - March 1911

VOLUME XLIX



Published by Authority of the Governor General.

CALCUTTA :
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRINTING, INDIA.
1911

लैण्ड रेवेन्यू (युनाइटेड प्रोविंसेस) विषय पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था।

9. **दिनांक 08 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. सब्सिडी फॉर वर्नाक्यूलर न्यूजपेपर्स, 2. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 3. ओपियम, 4. इण्टरप्रेटेशन ऑफ रूल्स, 5. मिण्ट, 6. फैमिन ग्राण्ट, 7. प्रोटेक्टिव इरिगेशन, 8. एकाउण्ट एण्ड ऑडिट, 9. रजिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स ऑफ लॉ, जेल्स, पुलिस, मेडिकल, 10. लाइब्रेरी फॉर काउंसिल चेम्बर, 11. पुलिस (नॉर्थ-वेस्ट फ्रण्टियर प्रोविंसेस), 12. इरिगेशन, लैण्ड-रेवेन्यू, एट्सैक्ट्रा, 13. साइंटिफिक डिपार्टमेण्ट्स, 14. साल्ट, एक्साइज़, एट्सैक्ट्रा, 15. टेलीग्राफ्स, 16. रेलवेज़, 17. साल्ट, 18. कस्टम्स, 19. पोस्टऑफिस और 20. एजुकेशन। मालवीय जी ने सब्सिडी फॉर वर्नाक्यूलर न्यूजपेपर्स बिल के पक्ष में मतदान किया था।
10. **दिनांक 09 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. एक्साइज़ कॉटन ड्यूटीज़ और 2. ड्यूटी ऑन सुगर। उपर्युक्त में मालवीय जी ने एक्साइज़ कॉटन ड्यूटीज़ के पक्ष में मतदान किया था तथा ड्यूटी ऑन सुगर पर उद्बोधन दिया था।
11. **दिनांक 16 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर सत्र, 2. इण्डियन पेपर करेंसी (अमेण्डमेण्ट) बिल, 3. आर्मी बिल, 4. बथर्स, डेथ्स एण्ड मैरेज़ रजिस्ट्रेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, 5. प्रेवेंसन ऑफ़ सैडीटियस मीटिंग बिल और 6. प्राथमिक शिक्षा विधेयक। उपर्युक्त में मालवीय जी ने प्रश्नोत्तर-सत्र तथा प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर सम्बोधन किया था।
12. **दिनांक 17 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. मुसलमान वक्फ़ वैलिडेटिंग बिल और 2. सार्वजनिक सेवा में रोज़गार। इनमें से मालवीय जी ने सार्वजनिक सेवा में रोज़गार विषय पर उद्बोधन दिया था।
13. **दिनांक 20 मार्च, 1911** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. इनकम टैक्स फैक्ट्रीज़, 2. प्रश्नोत्तर-सत्र और 3. प्रेवेंसन ऑफ़ सैडीटियस मीटिंग बिल। उपर्युक्त में पूज्य मालवीय जी ने प्रश्नोत्तर-सत्र में तथा प्रेवेंसन ऑफ़ सैडीटियस मीटिंग बिल पर अपना सम्बोधन दिया तथा बिल के पक्ष में मतदान किया था।

14. दिनांक 21 मार्च, 1911 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
15. दिनांक 27 मार्च, 1911 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र और 2. बजट। उपर्युक्त में मालवीय जी ने दोनों चर्चाओं में हिस्सा लिया था।

अप्रैल 1911 से मार्च 1912 की काउंसिल :

सत्र अप्रैल 1911 से मार्च 1912 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल 17 बैठकें हुईं, जिनमें मालवीय जी ने 9 में हिस्सा लिया था—

1. दिनांक 11 सितम्बर, 1911 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
2. दिनांक 18 सितम्बर, 1911 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
3. दिनांक 22 सितम्बर, 1911 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
4. दिनांक 10 जनवरी, 1912 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
5. दिनांक 23 फरवरी, 1912 : मालवीय जी ने अनुपस्थित थे।
6. दिनांक 26 फरवरी, 1912 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. वाइल्ड बर्ड्स एण्ड एनिमल प्रोटेक्शन बिल तथा 3. स्पेशल मैरेज् अमेण्डमेण्ट बिल। उपर्युक्त में मालवीय जी ने स्पेशल मैरेज् अमेण्डमेण्ट बिल पर भाषण दिया था।
7. दिनांक 27 फरवरी, 1912 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्न-प्रक्रिया, 2. प्रश्नोत्तर-सत्र, 3. स्पेशल मैरेज् अमेण्डमेण्ट बिल, 4. लाइफ् एश्योरेंस कम्पनीज्, 5. प्रोविडेण्ट इन्श्योरेंस सोसायटीज् तथा 6. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। उपर्युक्त में मालवीय जी ने स्पेशल मैरेज् अमेण्डमेण्ट बिल तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विषय पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया था।
8. दिनांक 28 फरवरी, 1912 : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. स्पेशल मैरेज् बिल, 2. इण्डियन लुनैसी बिल, 3. प्रिज़नर्स इनकम तथा 4. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। उपर्युक्त में मालवीय जी ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर हुई चर्चा में भाग लिया था।
9. दिनांक 01 मार्च, 1912 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।

10. **दिनांक 04 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में केवल इण्डेण्ट्योर्ड लेबर विषय पर चर्चा हुई थी। मालवीय जी ने चर्चा में हिस्सा लिया और इसके पक्ष में मतदान किया था।
11. **दिनांक 07 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 3. प्रोविंसियल ग्राण्ट (युनाइटेड प्रोविंसेस), 4. एक्सपेण्डेचर ऑन न्यू डेलही और 5. प्रोविंसियल ग्राण्ट्स। उपर्युक्त में मालवीय जी ने प्रोविंसियल ग्राण्ट (युनाइटेड प्रोविंसेस) तथा एक्सपेण्डेचर ऑन न्यू डेलही विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया था तथा एक्सपेण्डेचर ऑन न्यू डेलही के पक्ष में मतदान किया था।
12. **दिनांक 08 मार्च, 1912** : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
13. **दिनांक 13 मार्च, 1912** : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
14. **दिनांक 18 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. लाइफ एश्योरेंस कम्पनीज़ बिल, 3. डेलिगेशन बिल तथा 4. द एजुकेशन बिल। उपर्युक्त में मालवीय जी ने केवल प्रश्नोत्तर-सत्र में हिस्सा लिया था।
15. **दिनांक 19 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर चर्चा हुई थी और मालवीय जी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया था।
16. **दिनांक 22 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. बज़ट फॉर 1912-13, 3. सस्पेंशन ऑफ़ रूल्स ऑफ़ बिज़नेस, 4. गोल्ड-करेंसी, 5. गोल्ड स्टैण्डर्ड रिज़र्व और इण्डियन कम्पनीज़ बिल। उपर्युक्त में मालवीय जी ने केवल प्रश्नोत्तर-सत्र में हिस्सा लिया और गोल्ड स्टैण्डर्ड रिज़र्व के पक्ष में मतदान किया।
17. **दिनांक 25 मार्च, 1912** : इस दिन गवर्नमेण्ट हाउस कलकत्ता में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. बंगाल, बिहार एण्ड असम लॉस बिल तथा 3. बज़ट फॉर 1912-13। उपर्युक्त में मालवीय जी ने बज़ट-चर्चा में हिस्सा लिया था।

अप्रैल 1912 से मार्च 1913 की काउंसिल :

सत्र अप्रैल 1912 से मार्च 1913 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल 14 बैठकें हुईं, जिनमें मालवीय जी ने 3 में हिस्सा लिया था—

1. दिनांक 10 सितम्बर, 1912 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
2. दिनांक 18 सितम्बर, 1912 : इस दिन वायसरीगल लॉज, शिमला में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. वन्य पक्षी एवं पशु सुरक्षा अधिनियम, 3. प्रेसीडेंसी स्मॉल काउज् कोर्ट्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 4. इण्डियन एक्स्ट्राडिशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, 5. तलाक विधेयक, 6. लोकल ऑथरिटीज (इमर्जेन्सी) लोन्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, 7. मोटर वेकल इण्टरनेशनल सर्कुलेशन बिल तथा डेल्ही लॉस बिल, 8. ऑफिसियल ट्रस्टीज बिल, 9. फीमेल स्लेव ट्रेड सप्रेसन बिल, 10. महिला एवं कन्या सुरक्षा विधेयक तथा 11. प्रोटेक्शन ऑफ माइनर फीमेल बिल्स। उपर्युक्त में मालवीय जी ने महिला एवं कन्या सुरक्षा विधेयक पर भाषण दिया था।
3. दिनांक 27 जनवरी, 1913 : इस दिन काउंसिल चेम्बर, इम्पीरियल सेक्रेटेरियेट, दिल्ली में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. इण्डियन कम्पनीज बिल, 3. इण्डियन एक्स्ट्राडिशन बिल, 4. एडमिनिस्ट्रटर जेनरल'स बिल, 5. ऑफिसियल ट्रस्टीज बिल और 6. ह्वाइट फॉस्फोरस मैचेस प्रोहिबिशन बिल। मालवीय जी ने पुनः शपथ लिया था।
4. दिनांक 17 फरवरी, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
5. दिनांक 25 फरवरी, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
6. दिनांक 01 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
7. दिनांक 05 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
8. दिनांक 07 मार्च, 1913 : इस दिन काउंसिल चेम्बर, इम्पीरियल सेक्रेटेरियेट, दिल्ली में आयोजित काउंसिल में निम्नलिखित पर चर्चा हुई थी— 1. प्रश्नोत्तर-सत्र, 2. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट, 3. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग प्रोविंसियल सेटलमेण्ट मद्रास, 4. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग एडिशल एसाइनमेण्ट फॉर रिक्यूरिंग एक्सपेण्डेचर ऑन एजुकेशन फॉर द युनाइटेड प्रोविंसेस, 5. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग इन्क्रीज ऑफ एलॉटमेण्ट फॉर नॉन-रीकुरिंग ग्राण्ट्स फॉर एजुकेशन, सैनितेशन, एक्सेक्ट्रा, फॉर बिहार एण्ड उड़ीसा, 6. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग इन्क्रीज ऑफ ग्राण्ट टु मेजर प्रोविंसेस फॉर रिकुरिंग एक्सपेण्डेचर ऑन एजुकेशन एण्ड सैनितेशन फॉर डेवलपमेण्ट

ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, 7. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग एडिशनल ग्राण्ट्स फॉर सैनिटेशन इन बंगाल, 8. रेसोल्यूशन रिगार्डिंग सेपरेशन ऑन ज्युडिशियल एण्ड एक्सेक्युटिव फंक्शन्स तथा 9. फायनेंसियल स्टेटमेण्ट। उपर्युक्त में मालवीय जी ने रेसोल्यूशन रिगार्डिंग एडिशल एसाइनमेण्ट फॉर रिक्विरिंग एक्सपेण्डेचर ऑन एजुकेशन फॉर द युनाइटेड प्रोविंसेस तथा रेसोल्यूशन रिगार्डिंग सेपरेशन ऑन ज्युडिशियल एण्ड एक्सेक्युटिव फंक्शन्स पर उद्बोधन दिया तथा रेसोल्यूशन रिगार्डिंग सेपरेशन ऑन ज्युडिशियल एण्ड एक्सेक्युटिव फंक्शन्स के पक्ष में मतदान किया था।

9. दिनांक 08 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
10. दिनांक 11 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
11. दिनांक 17 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
12. दिनांक 19 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
13. दिनांक 20 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।
14. दिनांक 24 मार्च, 1913 : मालवीय जी अनुपस्थित थे।




काशी हिंदू विश्वविद्यालय पेपर्स

काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की पृष्ठभूमि को जाने बिना इससे सम्बन्धित दस्तावेजों का अन्वेषण करना सम्भव नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पं. मदनमोहन मालवीय जी की एक महान् और अनुपम कृति है। वैसे तो नालन्दा विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रयाग और काशी के मध्य गंगा के तट पर एक महान् शिक्षाकेन्द्र की स्थापना की कल्पना मालवीय जी के मस्तिष्क में विद्यार्थी-जीवन से ही थी, किन्तु यह कल्पना धरातल पर तब आई जब सन् 1904 में काशी के मिण्ट हाउस में काशी नरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह (1889-1911) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात् अक्टूबर, 1905 में मालवीय जी ने प्रस्तावित काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पहला प्रॉस्पैक्टस प्रकाशित और वितरित किया। उस समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना-सम्बन्धी प्रयासों में तेजी आई और मालवीय जी अपनी वकालत छोड़कर देशभर का प्रवास करके जनमत तथा धन-संग्रह के कार्य में जुट गये।

दिनांक 31 दिसम्बर, 1905 को टाउन हॉल, काशी में बेरार के बी.एन. महाजनी की अध्यक्षता तथा भारत के लगभग प्रत्येक प्रान्त के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हिंदू विश्वविद्यालय की विस्तृत चर्चा हुई। दिनांक 20-29 जनवरी, 1906 को प्रयाग में पुरी गोवर्धनमठ के तत्कालीन जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री मधुसूदनतीर्थ (1898-1925) की अध्यक्षता में आयोजित सनातनधर्म महासभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विचार को स्वीकृति दी गयी।

दिनांक 10 दिसम्बर, 1908 को मालवीय जी ने संयुक्त प्रान्त के गवर्नर के निजी सचिव को पत्र लिखकर 'भारतीय विश्वविद्यालय' की संशोधित रूपरेखा से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रमुख राजा-महाराजाओं, ज़मीन्दारों और सेठ-

साहूकारों से विपुल मात्रा में पत्राचार करके विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता हेतु अनुरोध करना प्रारम्भ किया। सन् 1911 में मालवीय जी ने इलाहाबाद से 'द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस : हवाई इट इज वाण्टेड, ह्याट इट एम्स एट' शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित करके देशभर में वितरित करवाई और उसे अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराया। अप्रैल 1911 में इलाहाबाद में मालवीय जी की मुलाकात एनी बेसेण्ट से हुई और दोनों ने काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एकसाथ काम करने का संकल्प लिया। 15 जुलाई, 1911 को मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की सहायता की अपील निकाली। जुलाई-अक्टूबर



1911 के मध्य मालवीय जी ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करने हेतु किउरी-सिधौली के राजा रामपाल सिंह, पं. दीनदयालु शर्मा और बाबू गंगाप्रसाद वर्मा के साथ फैजाबाद, जौनपुर, बाँकीपुर, गोरखपुर, कानपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखनऊ, कलकत्ता, फरीदपुर, मालदा, रावलपिण्डी, लाहौर, अमृतसर और मुजफ्फरनगर का भ्रमण किया। दिनांक 10 अक्टूबर, 1911 को मालवीय जी ने दरभंगा-नरेश महाराजा सर रामेश्वर सिंह बहादुर के साथ प्रस्तावित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और शिक्षा-सदस्य सर हर्कोर्ट बटलर से शिमला में मुलाकात की।

दिनांक 22 अक्टूबर, 1911 को मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में काशी में दरभंगा-नरेश महाराजा सर रामेश्वर सिंह बहादुर, डॉ. एनी बेसेण्ट, सुन्दरलाल, गंगाप्रसाद वर्मा, भगवानदास तथा ईश्वरशरण से भेंट की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना-सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किये। दिनांक 28 नवम्बर, 1911 को दरभंगा-नरेश की अध्यक्षता में इलाहाबाद के दरभंगा किले में आयोजित बैठक में पं. मालवीय, डॉ. एनी बेसेण्ट आदि अनेक गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में प्रस्तावित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संविधान का खाका खींचा गया। 15 दिसम्बर, 1911 को दरभंगा के तत्कालीन महाराजा रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में 1860 के

अधिनियम 21 के अंतर्गत 'हिंदू यूनिवर्सिटी सोसायटी' का पंजीकरण हुआ। 01 जनवरी, 1912 को प्रयाग में 'हिंदू यूनिवर्सिटी सोसायटी' का कार्यालय खुला। फरवरी 1913 में मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतिनिधिमण्डल (महाराजा दरभंगा और जोधपुर-नरेश) के साथ काठियावाड़, इन्दौर और बम्बई की यात्राएँ की।

दिनांक 22 मार्च, 1915 को तत्कालीन शिक्षा-सचिव सर हर्कोर्ट बटलर ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 'द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल' प्रस्तुत किया, जिस पर काउंसिल के सदस्य मालवीय जी ने कई-कई दिनों तक विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन दिया। 27 नवम्बर, 1915 को सेण्ट्रल हिंदू कॉलेज का प्रभार हिंदू यूनिवर्सिटी सोसायटी को सौंप दिया गया। अन्त में दिनांक 25 मार्च, 1916 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा '1915 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम' 01 अप्रैल, 1916 से लागू किया गया। इस तरह महामना मालवीय जी के भगीरथ प्रयास से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैसूर-नरेश महाराजा कृष्णराज वाडेयार चतुर्थ (1894-1940) को विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर (कुलाधिपति) और रायबहादुर डॉ. सर सुन्दरलाल (1857-1918) को प्रथम वाइस-चांसलर (कुलपति) नियुक्त किया गया।

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों और आवास के निर्माण के लिए काशी नरेश से गंगा-तट पर लगभग 1,300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। महात्मा गाँधी, एनी बेसेण्ट, देश के अनेक राजा-महाराजाओं और महान् शिक्षाविदों की उपस्थिति में दिनांक 04 फरवरी, 1916 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। उस स्थल पर पहले से बसे लोगों को अन्यत्र बसाया गया, सड़कों का निर्माण किया गया और 1918 में भारत और यूरोप के प्रमुख वास्तुविदों द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण प्रारम्भ हुआ।

दिनांक 19 जनवरी, 1919 को मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। दिनांक 29 नवम्बर, 1919 को ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिन्धिया (1886-1925) की अध्यक्षता में आयोजित काशी हिंदू विश्वविद्यालय कोर्ट की तीसरी वार्षिक बैठक में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति पुनः नियुक्त किया गया। दिनांक 30 नवम्बर, 1922 को मालवीय जी इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 20 दिसम्बर, 1925 को मालवीय जी इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 30 नवम्बर, 1928 को इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 30 नवम्बर, 1931 को इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 29 नवम्बर, 1934 को इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 27 नवम्बर, 1937 को मालवीय जी इस पद पर अन्तिम बार पुनर्निर्वाचित हुए। दिनांक 17 सितम्बर, 1939 को मालवीय जी ने प्रसिद्ध दार्शनिक और

Benares Hindu University,

MINUTES

VOL. I

July 1916 to June 1917



Allahabad

PRINTED AT THE INDIAN PRESS

1917

जुलाई 1916 से 1930 (?) के मध्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिनट्स', जिनसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में पं. मालवीय जी की भूमिका के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

प्राध्यापक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975) को कुलपति का पदभार सौंप दिया और स्वयं मृत्युपर्यंत रेक्टर (कुलाधिसचिव) के पद पर कार्य किया ।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मालवीय जी द्वारा लिखित और वाचित सामग्री और दस्तावेजों को मोटे तौर पर 10 भागों में विभक्त किया जा सकता है :

1. **स्थापना-पूर्व जारी किए गए पैम्पलैट्स, प्रस्ताव, ज्ञापन, अपीलें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रॉस्पैक्टस, इत्यादि** : ये दस्तावेज बड़ी संख्या में दरभंगा-स्थित तीन अभिलेखागारों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यमान हैं ।
2. **स्थापना-पूर्व इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत 'द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल' पर मालवीय जी के सम्बोधन** : इससे सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्राप्य हैं जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले खण्ड में जाने चाहिये ।
3. **स्थापना-पूर्व राजा-महाराजाओं, सेठ-साहूकारों और अंग्रेज-अफसरों से किए गए पत्राचार तथा दानप्राप्ति की रसीदें** : ये पत्र बड़ी संख्या में राजा-महाराजाओं के निजी संग्रहों में विद्यमान हैं तथा कुछ पुस्तकों में भी प्रकाशित हैं जिन्हें वहाँ से प्राप्त करने की आवश्यकता है । उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर रियासतों से किए गए पत्र-व्यवहार प्राप्त कर लिए गए हैं । इसी प्रकार दरभंगा, काशी, कासिमबाजार आदि देश की अन्य रियासतों के राजा-महाराजाओं को लिखे गए पत्र भी प्राप्त करने आवश्यक हैं । बिड़ला आदि को लिखे गए पत्र नेहरू स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित हैं । अंग्रेज-अफसरों को लिखे गए पत्रों में से कुछ पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में और कुछ विदेशस्थ अभिलेखागारों में हैं । सूची के लिए देखें : अध्याय 5 : 'विदेशों में विद्यमान मालवीय-साहित्य' ।
4. **स्थापना-पूर्व एनी बेसेण्ट से सेण्ट्रल हिंदू कॉलेज का अधिग्रहण तथा काशी नरेश से विश्वविद्यालय-निर्माण हेतु भूमि-अधिग्रहण-सम्बन्धी दस्तावेज** ।
5. **स्थापना के अवसर पर प्रेषित निमन्त्रण-पत्र, स्थापना के अवसर पर लिखे गए संस्कृत-अभिलेख** : वी.ए. सुन्दरम् (1896-1967) के सम्पादकत्व में 1936 में प्रकाशित ग्रन्थ 'बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1905-1935' ।
6. **स्थापना-पश्चात् काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, सीनेट, सिण्डिकेट, काउंसिल, बोर्ड ऑफ एप्वांटमेण्ट्स और कोर्ट की बैठकों के मिनट्स** : सन् 1916 से 1946 के मध्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित

‘बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिनट्स’ और ‘बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैलेण्डर’ । काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय मेंबीएचयू मिनट्स के निम्नलिखित अंक संगृहीत हैं :

Vol. I	July 1916 to June 1917
Vol. III A	July 1918 to December 1918
Vol. V-B	January 1921 to June 1921
Vol. IX-A	July 1924 to December 1924
Vol. IX-B	January 1925 to June 1925
Vol. XV-B	July to December 1930

7. स्थापना-पश्चात् देशी-विदेशी शिल्पकारों और वास्तुविदों से किए गए पत्राचार : दिनांक 19 जुलाई, 1916 को ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पैट्रिक गैडीज़ को लिखा गया पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्ट्रैचक्लाइडे अभिलेखागार में विद्यमान है ।
8. दीक्षान्त भाषण, अन्य शैक्षणिक आयोजनों में दिए गए भाषण : काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभिलेखागार, ‘सनातनधर्म’ के विभिन्न अंक, काशी से प्रकाशित समाचार-पत्र, कोनवोकेशन एंड्रेस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑन दिसम्बर 14, 1929, बनारस, 1929 (कुल पृष्ठ 41)
9. कुलपतित्व काल (1919-1939) के दस्तावेज, विभिन्न संकायों/विभागों की स्थापना-सम्बन्धी दस्तावेज, प्राध्यापकों की नियुक्ति-सम्बन्धी पत्र, छात्रों को दिए गए प्रमाण-पत्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पधारे अतिथियों के स्वागत में लिखे गए अभिनन्दन-पत्र, इत्यादि : काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभिलेखागार, ‘सनातनधर्म’ के विभिन्न अंक, इत्यादि ।
10. रेक्टर (कुलाधिसचिव) काल (1939-1946) के दस्तावेज

इनके अतिरिक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित ‘द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैगज़ीन’ और ‘द जर्नल ऑफ़ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी’ से भी बहुत-से तथ्यों की जानकारी मिल सकती है ।



12.

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दिए गए भाषण और टिप्पणियाँ

लन्दन में सितम्बर से दिसम्बर, 1931 के मध्य आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मालवीय जी ने महात्मा गाँधी, सरोजिनी नायडू, घनश्यामदास बिड़ला आदि के साथ काँग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उसकी अनेक बैठकों में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से सम्बन्धित प्राथमिक स्रोत इस प्रकार हैं :

1. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेण्ट जेम्स पैलेस : डेलिगेट्स फ्रॉम द इण्डियन स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश इण्डिया (लन्दन, 1931)
2. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस (सेकेण्ड सेशन) 07 सितम्बर 1931-01 दिसम्बर, 1931 : प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द प्लानरी सेशन, कलकत्ता, 1932.
3. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस (सेकेण्ड सेशन) 07 सितम्बर 1931-01 दिसम्बर, 1931 : प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एण्ड मायनॉरिटीज कमेटी, वॉल्यूम 1, कलकत्ता, 1932.
4. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस (सेकेण्ड सेशन) 07 सितम्बर 1931-01 दिसम्बर, 1931 : प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एण्ड मायनॉरिटीज कमेटी, वॉल्यूम 2, कलकत्ता, 1932.
5. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस (सेकेण्ड सेशन) 07 सितम्बर 1931-01 दिसम्बर, 1931 : प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एण्ड मायनॉरिटीज कमेटी, वॉल्यूम 3, कलकत्ता, 1932.
6. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस : 07 सितम्बर-01 दिसम्बर, 1931 : रिपोर्ट्स ऑफ़ कमेटीज़, कलकत्ता, 1932.
7. इण्डियन राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस (सेकेण्ड सेशन) 07 सितम्बर 1931-01



Indian Round Table Conference

(SECOND SESSION)

7th September, 1931—1st December, 1931

PROCEEDINGS

OF

FEDERAL STRUCTURE COMMITTEE

AND

MINORITIES COMMITTEE

(Volume II)



CALCUTTA: GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLICATION BRANCH
1932

दिसम्बर, 1931 : सब-कमेटी रिपोर्ट्स; एण्ड प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेण्ट, कलकत्ता, 1932.

8. द राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस : इण्डियाज़ डिमाण्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस : स्पीचेज बाई द किंग, द प्रीमियर, द ब्रिटिश पार्टी लीडर्स एण्ड द रीप्रजेण्टेटिव्स ऑफ़ प्रिन्सेस एण्ड पीपुल ऑफ़ इण्डिया, जी.ए. नटेशन एण्ड कं., मद्रास, 1931.
9. गाँधीजी इन इंग्लैण्ड : एण्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द सैकेण्ड राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी.जी. पॉल एण्ड कं., लन्दन, 1932.

इन प्रोसीडिंग्स में मालवीय जी की उपस्थितिवाली निम्नलिखित बैठकों की रिपोर्ट्स प्रकाशित हैं :

1. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 25वीं बैठक, 18 सितम्बर, 1931 ई.
2. मायनॉरिटीज़ कमेटी की सातवीं बैठक, 28 सितम्बर, 1931 ई.
3. मायनॉरिटीज़ कमेटी की आठवीं बैठक, 01 अक्टूबर, 1931 ई.
4. मायनॉरिटीज़ कमेटी की नवीं बैठक, 08 अक्टूबर, 1931 ई.
5. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 35वीं बैठक, 15 अक्टूबर, 1931 ई.
6. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 44वीं बैठक, 02 नवम्बर, 1931 ई.
7. मायनॉरिटीज़ कमेटी की दसवीं बैठक, 13 नवम्बर, 1931 ई.
8. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 45वीं बैठक, 04 नवम्बर, 1931 ई.
9. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 46वीं बैठक, 16 नवम्बर, 1931 ई.
10. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 47वीं बैठक, 17 नवम्बर, 1931 ई.
11. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 48वीं बैठक, 18 नवम्बर, 1931 ई.
12. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 49वीं बैठक, 19 नवम्बर, 1931 ई.
13. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 50वीं बैठक, 24 नवम्बर, 1931 ई.
14. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 51वीं बैठक, 25 नवम्बर, 1931 ई.
15. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 52वीं बैठक, 26 नवम्बर, 1931 ई.
16. फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी की 53वीं बैठक, 27 नवम्बर, 1931 ई.
17. सैकेण्ड प्लानरी सेशन, 30 नवम्बर, 1931 ई.

गोलमेज सम्मेलन की प्रोसीडिंग्स के अतिरिक्त सम्मेलन में सहभागिता कर रहे कुछ अन्य विभूतियों की उस सम्मेलन से सम्बन्धित डायरियाँ और यात्रा-वृत्तान्त प्रकाशित हैं, जिनमें मालवीय जी के उद्धरण प्रकाशित हैं। इनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं :

1. मुञ्जे डायरी, डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे की लन्दन-यात्रा से सम्बन्धित अप्रकाशित डायरी, डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे पेपर्स, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं

डायरी के कुछ पन्ने

[दूसरी गोलमेज परिषद् में गाँधीजी के साथ]

लेखक

घनश्यामदाम बिड़ला

सर्वोच्च साहित्य माला १०६वाँ ग्रंथ
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

पुस्तकालय, नयी दिल्ली के पाण्डुलिपि-अनुभाग में संगृहीत।

2. इंग्लैण्ड में महात्माजी, महादेव देसाई, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, जून 1932.
3. डायरी के कुछ पन्ने (दूसरी गोलमेज परिषद् में गाँधीजी के साथ), घनश्यामदास बिड़ला, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, नवम्बर 1940.



मालवीय जी द्वारा लिखित पुस्तकों की भूमिका, सम्मति, शुभाशंसा

अपने देश में लेखकों द्वारा अपनी पुस्तक के प्रारम्भ में (लेखकीय 'प्रस्तावना' से ठीक पहले) उस विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों से 'सम्मति' (प्रशंसा-पत्र) अथवा 'भूमिका' लिखवाने का एक आम चलन है। प्रायः किसी भी विषय पर गम्भीर शोध-कार्य में पुस्तक की ज़िल्द (फ़्लैप) पर अथवा अन्दर के प्रारम्भिक पृष्ठों में किसी विद्वान् की 'भूमिका' या 'सम्मति' मिल जाती है। मालवीय जी-विरचित रचनाओं के अन्वेषण के क्रम में बहुत तलाश करने पर उनके द्वारा लिखित, 13 पुस्तकों की भूमिका अथवा शुभाशंसा (सम्मति) का भी पता चला है—

1. वाट इण्डिया वाण्ट्स : ऑटोनोमी विदिन द एम्पायर, लेखक : जी.ए. नटेशन, प्रकाशक : जी.ए. नटेशन एण्ड कं., मद्रास, 1917.
2. लोकमान्य तिलक का जीवन चरित्र (जीवनी), लेखक : विनायक सीतराम सरवटे, प्रकाशक : हिंदी साहित्य मन्दिर, 1920/1921.
3. क़लाम-ए-रब्बानी (भगवद्गीता का उर्दू-अनुवाद), पं. योगीराज नज़र सोहावनी, 1934.
4. इन वुड्स ऑफ़ गॉड रियलाइज़ेशन (द कम्प्लीट वर्क्स ऑफ़ स्वामी रामतीर्थ, वल्यूम 10), प्रकाशक : रामतीर्थ प्रतिष्ठान, द रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ, 1939
5. हिंदू अमेरिका (अमेरिका में हिंदू संस्कृति पर शोध-ग्रन्थ), लेखक : चमनलाल, प्रकाशक : न्यू बुक कं., बम्बई, प्रथम संस्करण, जुलाई, 1940.
6. राजस्थानी वीरों का संघर्ष वीर हम्मीर (ऐतिहासिक नाटक) लेखक : शिवप्रसाद 'चारण' एम.ए., प्रकाशक : महर्षि मालवीय इतिहास परिषद्, उपासना मन्दिर, दुगड्डा, गढ़वाल, प्रकाशन-तिथि मुद्रित नहीं।

7. पथिक कविता कौमुदी, लेखक : रामनरेश त्रिपाठी
8. सनातन-धर्मोद्धारः, लेखक : उमापति द्विवेदी (नकछेदराम शर्मा), प्रकाशक : काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रेस, 1942.
9. रूरल इण्डिया (पीसैण्ट्स पोवैर्टी, इट्स कॉउजेज़ एण्ड क्योर), लेखक : चौधरी मुख्तार सिंह, प्रकाशक : लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1946.
10. सेवाग्राम, लेखक : सोहनलाल द्विवेदी, इण्डियन प्रेस लि., इलाहाबाद, 1946
11. गोविन्द वल्लभ पन्त (जीवनी), लेखक : बसन्त कुमार तिवारी, प्रकाशक : न्यू लिटरेचर, इलाहाबाद, 1947.
12. कल्याण-कल्पतरु, सम्पादक : चिम्नलाल गोस्वामी तथा कृष्णदास, वॉल्यूम 15, अंक 1, अगस्त, 1949, पृ. 3-4.

ऐसी और भी पुस्तकों में उनकी लिखी भूमिका प्राप्त हो सकती है।

‘ब्रह्मविद्या’ (द अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन) में उल्लेख है कि ‘एन एप्रोच टू द रामायण, लेखक : डॉ. सी. नारायण मेनन, प्रकाशक : एस.सी. गुहा, गाँधीग्राम, वाराणसी, 1942’ में मालवीय जी की भूमिका है।¹ ‘द इण्डियन रिव्यू’ में उल्लेख है कि उक्त पुस्तक का प्रकाशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है।¹ किन्तु बहुत प्रयास के बाद भी यह पुस्तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

डॉ. विद्यानिवास मिश्र (1928-2005) ने उल्लेख किया है कि मालवीयजी ने रूपनारायण पाण्डेय के ग्रन्थ ‘शुकोक्ति सुधासागर’ की भूमिका लिखी थी,² किन्तु उक्त पुस्तक में न तो मालवीयजी की भूमिका है न श्री पाण्डेय ने अपनी प्रस्तावना में मालवीयजी का कोई उल्लेख ही किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि विद्यानिवास मिश्र ने केवल सुनी-सुनाई बात पर ऐसा लिखा है।



1. ‘ब्रह्मविद्या’ (द अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन), वॉल्यूम 7, पार्ट 1, ऑक्टोबर नम्बर, 17 फरवरी 1943, पृ. 222.
2. इण्डियन रिव्यू, जी.ए. नटेशन (सं.), वॉल्यूम 43, नं. 9, सितम्बर 1942, पृ. 481.
3. ‘परम भागवत मालवीयजी महाराज’, भारतीय मनीषा के अग्रदूत पं. मदनमोहन मालवीय, डॉ. चन्द्रकला पाडिया तथा डॉ. भावना मिश्रा (सं.), विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2001, पृ. 3.

महामना का संस्कृत गद्य-पद्य साहित्य

सं

स्कृत-वाङ्मय के विदग्ध पण्डित पद्मभूषण आचार्य पं. बलदेव उपाध्याय (1899-1999) ने लिखा है :

‘महामना मालवीय जी को काशी की पाण्डित्य परम्परा का अनुयायी मानना सर्वथा उचित है। कारण यह है कि जिनसे इन्होंने संस्कृतविद्या पढ़ी, भारतीय संस्कृति के प्रति गाढ़ अनुरक्ति प्राप्त की तथा देववाणी के प्रचार-प्रसार की प्रेरणा उपलब्ध की वे उनके गुरु महामहोपाध्याय आदित्यराम भट्टाचार्य, कैलासचन्द्र शिरोमणि के शिष्य होने के नाते काशी की वैदुषी से मण्डित संस्कृतज्ञ विद्वान् थे। महामना संस्कृत के स्वयं पण्डित थे ही, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापना कर उसे प्रामुख्य भी प्रदान किया। फलतः देववाणी के प्रचार-प्रसार में उनका कार्य सुवर्णाक्षरों में अंकित किए जाने की योग्यता रखता है।’¹

मालवीय जी संस्कृत में सुन्दर गद्य-पद्यों की भी रचना करते थे। उन्होंने संस्कृत में अनेक गम्भीर भक्तिमूलक रचनाओं तथा विद्यार्थियों के योग्य सदुपदेशों, धर्मोपदेशों आदि की रचना की थी जो अनेक स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। उनके द्वारा 22 श्लोकों में रचित हिन्दूधर्मोपदेशः नामक स्तोत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। जिसका आरम्भ उन्होंने संघे शक्तिः कलौ युगे नामक ध्येय-वाक्य से किया है। प्रयाग में माघ कृष्ण एकादशी से प्रतिपदा, वि.सं. 1984 तक होनेवाली सनातनधर्म महासभा का पद्यबद्ध निमन्त्रण-पत्र स्वयं मालवीय जी ने तैयार किया था जो इस प्रकार है—

1. काशी की पाण्डित्य परम्परा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1983, पृ. 107.

प्रार्थना निवेदनम्

नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ।
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य प्रार्थये धर्मवर्धनम् ॥ 1 ॥
श्रुति-स्मृति-पुराणोक्तः वर्णाश्रमविभूषितः ।
पुण्यः सत्यदमोपेता धर्मः श्रेष्ठः सनातनः ॥ 2 ॥
यस्य संस्थापनार्थाय काले काले जगद्गुरुः ।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ह्यात्मानं सृजति स्वयम् ॥ 3 ॥
रथार्थं यस्य धर्मस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ।
वैश्याः शूद्रा महाभागा अर्थान् प्राणाँश्च तत्यजुः ॥ 4 ॥
कलिना पीडितः सोऽयं दुरवस्थामवापितः ।
अज्ञानेन स्वकीयानामन्येषामाक्रमेण च ॥ 5 ॥
हे नाथ! हे रमानाथ विश्वनाथार्तिनाशन ।
सत्यां कुरु प्रतिज्ञां स्वां पातुं पुनरिहाव्रज ॥ 6 ॥
धर्मज्ञानप्रचारार्थं जातिरक्षार्थमेव च ।
विश्वनजन्यां मतिं यच्छ उद्धर्षय मनांसि नः ॥ 7 ॥
तीर्थराजे प्रयागे वै माघे मास्यसिते दले ।
विदुषां धर्मकामानां भविष्यति महासभा ॥ 8 ॥
तत्रागत्य तु कर्तव्यो विचारः शास्त्रसम्मतः ।
उपायाश्चिन्तनीयाश्च धर्मरक्षाप्रसाधकाः ॥ 9 ॥
इतीयं प्रार्थना हृद्या स्वीकर्तव्या मनीषिभिः ।
धर्मरक्षाविवृद्धयर्थी ह्यनुग्राह्यो निवेदकः ॥ 10 ॥

—मालवीयो मदनमोहनः ॥¹

महामना ने कुछ पत्र-व्यवहार भी संस्कृत में किया था। दिनांक 05 सितम्बर, 1933 को डॉ. श्रीनाथ तिकू को संस्कृत में पत्र लिखा था।²

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पधारनेवाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में मालवीय जी ने संस्कृत में कई अभिनन्दन-पत्र लिखे थे। दिनांक 14 अक्टूबर, 1933 को उन्होंने कोचीन के महाराज रामवर्मा XVII (1932-1941) को काशी हिंदू

1. प्रज्ञा (मालवीय जन्मशती विशेषांक), भाग 6, 1961, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पृ. 161.

2. शारदा लिपि दीपिका, डॉ. श्रीनाथ तिकू, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, नयी दिल्ली, 1988, पृ. 16.

विश्वविद्यालय की ओर से संस्कृत-गद्य में मानपत्र भेंट किया था।¹ दिनांक 09 फरवरी, 1935 को उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काञ्ची कामकोटि मठ के तत्कालीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महास्वामीगल (1894-1994) के स्वागत के लिए संस्कृत-पद्य में 'स्वागताभिनन्दन-पत्र' लिखा था।²

माघ शुक्ल प्रतिपदा, वि.सं. 1972 (04 फरवरी, 1916 ई.) को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय नींव में रखे गए ताम्रपत्राभिलेख की रचना मालवीय जी ने ही की थी।³ इसी प्रकार चैत्र कृष्ण चतुर्थी, वि.सं. 1987 (07 मार्च, 1931 ई.) को श्रीविश्वनाथ मन्दिर (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) की आधारशिला में जो ताम्रपत्रांकित श्लोक हिमालय के सिद्ध सन्त तपोनिधि स्वामी श्री कृष्णाश्रम जी द्वारा प्रस्थापित किये गये, वे भी महामना मालवीय द्वारा विरचित थे।



-
1. सनातनधर्म, वर्ष 1, अंक 14, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, गुरुवार, वि.सं. 1990 (19 अक्टूबर, 1933 ई.), पृ. 4.
 2. सनातनधर्म, वर्ष 2, अंक 37, चैत्र कृष्ण अष्टमी, गुरुवार, वि.सं. 1991 (28.3.1935 ई.), पृ. 16; श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश-जगद्गुरु-श्री 1008 शंकर भगवत्पादानां गंगादितीर्थविजययात्रा, प्रकाशक : राय बहादुर सदाचारोत्तेजक धर्मभास्कर माधवराम सण्टः इत्यादि, 1993 विक्रमी
 3. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1905-1935, वी.ए. सुन्दरम् (सं.), काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1936, पृ.277-280.

मालवीय जी का पत्र-साहित्य

पत्र, किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं जो उसके जीवन के बहुत-से अधखुले पृष्ठ खोलते हैं। इसलिए साहित्य की विभिन्न विधाओं में पत्र-साहित्य को भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारत के सभी बड़े राजनेताओं की भाँति मालवीय जी ने भी बड़ी संख्या में पत्र लिखे हैं। अनुमान है कि उनके लगभग एक हजार पत्र हो सकते हैं। ये पत्र विभिन्न देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं, राजनेताओं, अंग्रेज़-अफ़सरों, साहित्यकारों, इतिहासकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, छात्रों, सामाजिक संस्थाओं, प्रोफेसरों, प्रशासकों और सगे-सम्बन्धियों को लिखे गए हैं। मालवीय जी द्वारा लिखित पत्रों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित्त अर्थसंग्रह हेतु किए गए पत्राचार बड़ी संख्या में हैं। मालवीय जी द्वारा लिखित कुछ ही पत्र प्रकाशित हैं जो उनके जीवनीकारों ने संकलित किए हैं। किन्तु उनके सैकड़ों पत्र आज भी अप्रकाशित हैं जो विभिन्न अभिलेखागारों में विद्यमान 'प्राइवेट पेपर्स' (देखें अध्याय 3 : महामना का अप्रकाशित-असंकलित साहित्य : अन्वेषण और एकत्रीकरण), भारत कला भवन (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) और कुछ निजी संग्रहों में संगृहीत हैं। महात्मा गाँधी को लिखे गए पत्र साबरमती आश्रम संग्रहालय तथा नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद में सुरक्षित हैं। बहुत-से राजनेताओं और साहित्यकारों के पत्र-संग्रह प्रकाशित हैं जिन्हें अवश्य देखा जाना चाहिये। निजी संग्रहों में संगृहीत पत्रों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अपील की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाले जा सकते हैं।

मालवीय जी के पत्रों को सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के एक पृथक् खण्ड में कालक्रमानुसार प्रकाशित किया जा सकता है अथवा सभी पत्रों को निम्नलिखित विषयों के अनुसार—

- काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, दान के सन्दर्भ में ब्रिटिश सरकार और राजा-

- महाराजाओं, उद्योगपतियों, प्रो वाइस चांसलर आदि को लिखे गए पत्र,
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के संगठन, बैठकें और प्रचार के सन्दर्भ में लिखे गए पत्र,
 - अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संगठन और प्रचार के सन्दर्भ में लिखे गए पत्र,
 - काँग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संगठन और प्रचार के सन्दर्भ में लिखे गए पत्र,
 - स्वराज्य-आन्दोलन से जुड़े अन्य विषय, जैसे— जलियाँवाला बाग काण्ड, असहयोग आन्दोलन, ख़िलाफ़त आन्दोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन, मुस्लिम समस्या, इत्यादि
 - असेम्बली और काउंसिल के विषयों से सम्बन्धित पत्र,
 - हिंदी-भाषा और नागरी-लिपि के प्रचार के सन्दर्भ में लिखे गए पत्र,
 - धार्मिक विषयों, जैसे— सनातनधर्म, मन्दिर, घाट, कुम्भ, मंत्रदीक्षा, अस्पृश्यता-निवारण, आदि के सम्बन्ध में लिखे गए पत्र,
 - लेखकों और साहित्यकारों को लिखे गए पत्र,
 - सगे-सम्बन्धियों को लिखे गए पत्र,
 - अन्य।

—वर्गीकरण करके उनसे सम्बन्धित खण्डों के अन्त में भी दिया जा सकता है। परन्तु सभी पत्रों को एक स्वतन्त्र जिल्द में प्रकाशित करने के दो लाभ हैं। पहला यह कि इससे मालवीय जी का पत्र-साहित्य एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायेगा। दूसरा यह कि मालवीय जी ने सर्वाधिक पत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए ब्रिटिश सरकार को, निर्माण हेतु राजा-महाराजाओं को और सीनेट/सिण्डिकेट के सदस्यों को लिखे हैं। कुलपतित्व काल में भी बहुत-से पत्र लिखे हैं। अन्य विषयों पर लिखे गए पत्र कम संख्या में हैं।

महामना मालवीय जी ने बड़ी संख्या में पत्र लिखे हैं। ये पत्र 'ऑटोग्राफ़' (टंकित) और 'होलोग्राफ़' (हस्तलिखित)—दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। बहुत-से पत्र निजी संग्रहों में ही हैं जो पुस्तकों में प्रकाशित हो गए हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- 26.4.1889 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 04.5.1889 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 05.02.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 06.3.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 11.3.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 20.3.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 07.4.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 24.5.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को

- 06.10.1891 : बालमुकुन्द गुप्त को
- 24.02.1902 : राधाकृष्ण को
- 22.01.1907 : पं. श्रीधर पाठक को
- 26.02.1907 : आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को
- 10.12.1908 : संयुक्त प्रान्त के गवर्नर के निजी सचिव को
- 12.10.1910 : गोण्डल के ठाकुर सिंह बहादुर को
- 15.4.1911 : बीकानेर नरेश के निजी सचिव को
- 11.7.1911 : एनी बेसेण्ट को
- 14.7.1911 : बीकानेर नरेश महाराजा गंगा सिंह को
- 13.9.1911 : बंगीय साहित्य परिषद् को
- 27.8.1912 : उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को
- 05.02.1914 : रायबहादुर पं. श्यामबिहारी मिश्र को
- 11.4.1915 : दीनदयालु जी को दो पत्र
- 23.4.1915 : एस.वी. सांघवी (बम्बई) को
- 19.7.1916 : ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पैट्रिक गैडीज़ को
- 25.7.1916 : कासिमबाज़ार के महाराजा सर मणीन्द्र चन्द्र नन्दी (1860-1929) को
- 21.4.1917 : बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के निजी सचिव को
- 08.10.1917 : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को
- 30.01.1918 : बीकानेर-नरेश के निजी सचिव को
- 06.02.1919 : लोकमान्य टिळक को
- 07.9.1919 : प्रो. आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव को
- 24.9.1919 : बीकानेर-नरेश को
- 17.11.1919 : महात्मा गाँधी को
- 11.12.1919 : पं. गोकर्णनाथ मिश्र को
- 23.12.1919 : इंदर के महाराजाधिराज मेजर जनरल सर प्रताप सिंह साहिब बहादुर को
- 23.12.1919 : जोधपुर के महाराजाधिराज मेजर जनरल सर प्रताप सिंहजी साहिब बहादुर को
- 30.12.1919 : विलियम हण्टर को
- 14.5.1920 : जोधपुर के प्रधानमंत्री राव बहादुर पं. सुखदेव प्रसाद को
- 24.5.1920 : मारवाड़ स्टेट, जोधपुर के फाइनेंस मेम्बर को

- 30.7.1920 : मारवाड़ स्टेट, जोधपुर के फाइनेंस मेम्बर को
- 02.9.1920 : कर्नल हैमिल्टन को
- 03.12.1921 : सर आशुतोष मुखर्जी को
- 04.12.1921 : प्रिंस ऑफ वेल्स को
- 14.12.1921 : महात्मा गाँधी को
- 16.12.1921 : महात्मा गाँधी को
- 20.12.1921 : महात्मा गाँधी को
- 24.01.1922 : एम.आर. जयकर को
- 26.01.1922 : एम.आर. जयकर को
- 31.01.1922 : एम.आर. जयकर को
- 01.02.1922 : एम.आर. जयकर को
- 04.02.1922 : एम.आर. जयकर को
- फरवरी, 1922 : महात्मा गाँधी को
- 03.3.1922 : एम.आर. जयकर को
- 04.3.1922 : एम.आर. जयकर को
- 24.10.1923 : जोधपुर के प्रधानमंत्री राव बहादुर पं. सुखदेव प्रसाद को
- 19.4.1924 : महात्मा गाँधी को
- 25.4.1924 : डी.एल. ड्रेक ब्रोकमैन को
- 10.6.1925 : बीकानेर-नरेश के निजी सचिव को
- 11.12.1926 : डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे को
- 09.6.1927 : मैसूर के दीवान को
- 28.11.1927 : जोधपुर के महाराजा साहिब को
- 05.4.1928 : रायकृष्ण दास को
- 28.7.1928 : जमनालाल बजाज को
- 12.12.1928 : महात्मा गाँधी को
- 14.02.1931 : वायसराय लॉर्ड इरविन को
- 29.10.1931 : अल्बर्ट आइंस्टीन को
- 07.8.1932 : डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी को
- 15.8.1932 : देवेन्द्र सत्यार्थी को
- 16.01.1933 : गोस्वामी गोकुलनाथ को
- 18.5.1933 : रवीन्द्रनाथ ठाकुर को
- 05.9.1933 : डॉ. श्रीनाथ तिकू को

Allahabad, 20th, January, 1918.

Dear Sir,

I herewith enclose a letter which I request you to kindly lay before His Highness. I hope His Highness will be pleased to depute a Pandit or a Sardar to join the meetings of the Sanatandarma Maha Sabha. The recommendations of the Sabha will be submitted later on to His Highness for his gracious consideration.

Yours sincerely,

M. M. Malaviya

The Private Secretary to
His Highness the Maharaja Sahib of Sikaner

- 06.7.1934 : माधव श्रीहरि अणे को
- 18.12.1934 : डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे को
- 27.3.1935 : बीकानेर-नरेश को
- 26.01.1936 : माधव श्रीहरि अणे को
- 15.01.1937 : पद्मकान्त मालवीय को

- 18.5.1937 : सिताबो बाई को
- 06.9.1937 : बीकानेर-नरेश को
- 15.02.1938 : नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को
- 23.12.1938 : कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति को
- 05.6.1939 : दरभंगा-नरेश महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह बहादुर को
- 20.8.1939 : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी ऑफ़ द कोर्ट को
- 04.11.1939 : वी.ए. सुन्दरम् को
- 08.01.1940 : पद्मकान्त मालवीय को
- 24.02.1940 : नेपाल के राजगुरु पं. हेमराज शर्मा को
- 05.4.1940 : वी.ए. सुन्दरम् को
- 28.6.1940 : वी.ए. सुन्दरम् को
- नवम्बर, 1940 : माधव श्रीहरि अणे को
- 24.11.1940 : पद्मकान्त मालवीय को
- 17.01.1941 : पद्मकान्त मालवीय को
- 22.01.1941 : पद्मकान्त मालवीय को
- 24.6.1941 : पद्मकान्त मालवीय को
- 10.6.1942 : माधव श्रीहरि अणे को
- 04.9.1945 : स्वामी कल्याणदेव को
- 28.10.1946 : गोविन्द वल्लभ पन्त को
- 28.10.1946 : रफ़ी अहमद किदवई को (अन्तिम पत्र)

मालवीय जी के बहुत-से पत्रों का उल्लेख, भारत की सम्मानित विभूतियों ने अपनी रचनाओं में प्रसंगवश किया है। ऐसे पत्रों का सूत्र पकड़कर मालवीय जी के मूल पत्रों तक पहुँचा जा सकता है।

सभी पत्रों को टंकित करके, पाद-टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये, न कि स्कैन करके। नमूने के तौर पर एकाध पत्रों की स्कैन प्रति दी जा सकती है, किन्तु सभी पत्रों को स्कैन करके सम्पूर्ण वाङ्मय में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।

मालवीय जी को लिखे गए पत्र :

मालवीय जी को लिखे गए पत्र भी सम्पूर्ण वाङ्मय में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इनका भी ऐतिहासिक महत्त्व है और ये मालवीय जी के लोकसंग्रही व्यक्तित्व को जानने-समझने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन्हें मालवीय जी द्वारा प्रेषित पत्रों के साथ कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना होगा। नमूने के तौर पर कुछ पत्रों की स्कैन प्रति दी जा सकती है।

समकालीन राजनीतिज्ञों तथा सामान्य लोकसेवकों के विषय में महामना मालवीय द्वारा लिखित संस्मरण

मा लवीय जी ने केवल लिखने के लिए ही किसी का जीवनवृत्त या संस्मरण लिखने बैठे हों, यह तो उनके लिए सम्भव नहीं था, परन्तु अपने बहुधंधी सार्वजनिक जीवन में उन्हें असंख्य छोटे और बड़े व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ा था। केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अल्बर्ट आइंस्टीन, पैट्रिक गैडीज, सिल्वेन लेवी-जैसी विभूतियों से उनका सम्बन्ध रहा था। बहुतों से वह सम्बन्ध अति प्रगाढ़ और आत्मीयता से छलकता हुआ था। बहुतों के साथ उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए थे। उनमें से अनेक उनसे बड़े थे जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। बहुत-से उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे और उन्हें आराध्यदेव मानते थे। संक्षेप में कहा जाए तो मानवीय सरोकारों के प्रति सजग मालवीय जी ने अपने माता-पिता, गुरु से लेकर अपने से ज्येष्ठ और कनिष्ठ, राजनीति के पण्डित, अध्यापक, विद्वान्, धर्माचार्य, अधिकारी, राजा-महाराजा, सेठ, छात्र सभी के प्रति उद्गार प्रकट किए हैं जिन्हें एकत्र करने की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि महामना ने अन्य महापुरुषों के विषय में जो लिखा, वह तो उनके वाङ्मय का हिस्सा अवश्य होना चाहिये; किन्तु अन्य लोगों ने उनके विषय में जो लिखा है, वह मालवीय जी के वाङ्मय का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण यह है कि एक तो मालवीय जी ने वह स्वयं नहीं लिखा, इसे दूसरे लोगों ने लिखा जो उन लोगों का वाङ्मय है। दूसरे यह कि उन संस्मरणों/प्रसंगों में अनुस्यूत, मालवीय जी के उद्धरणों की प्रामाणिकता क्या है, इसकी जाँच किस प्रकार हो सकती है? मालवीय जी ने राह चलते किसी से कुछ कहा, इसे उस महानुभाव ने बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में यथावत् लिखा, इसकी क्या गारण्टी है? उन प्रसंगों की प्रामाणिकता क्या है और इसकी पुष्टि करने के लिए उनके युग का कोई भी व्यक्ति इस समय जीवित नहीं है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रारम्भिक

नेताओं में थे और उन्होंने अपने जीवन में 85 वसन्त देखे थे। उनसे पूर्व कितनी ही विभूतियों का युग समाप्त हो चुका था और उनके काल में भी कितने ही महापुरुष काल-कवलित हुए। किन-किन हस्तियों से मालवीय जी का सम्बन्ध आया, इसकी सूची बनानी तो असम्भव है, किन्तु मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मालवीय जी अपने जीवनकाल में दिवंगत हुई इन विभूतियों के प्रति कुछ संस्मरण (अथवा श्रद्धाञ्जलि) लिख छोड़े हो सकते हैं :

- दादाभाई नौरोजी (1825-1917)
- ए.ओ. ह्यूम (1829-1912)
- जॉर्ज यूल (1829-1892)
- अल्फ्रेड वेब (1834-1908)
- विलियम वेडरबर्न (1838-1918)
- पं. अयोध्यानाथ कुञ्जूरू (1840-1892)
- पी. आनन्दचालू (1843-1908)
- महामहोपाध्याय पं. आदित्यराम भट्टाचार्य (1843-1921)
- बदरुद्दीन तैयबजी (1844-1906)
- बालकृष्ण भट्ट (1844-1914)
- व्योमेशचन्द्र बनर्जी (1844-1906)
- दिनशा एडुलजी वाचा (1844-1936)
- फिरोजशाह मेहता (1845-1915)
- हेनरी कॉटन (1845-1915)
- रासबिहारी घोष (1845-1921)
- डॉ. एनी बेसेण्ट (1847-1933)
- रहीमतुल्ला एम. सयानी (1847-1902)
- आनन्दमोहन बोस (1847-1906)
- रमेशचन्द्र दत्त (1848-1909)
- ललमोहन घोष (1848-1909)
- सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1925)
- राजा रामपाल सिंह (1849-1909)
- अम्बिका चरण मजूमदार (1850-1922)
- सी. विजयराघवाचार्य (1852-1944)
- एन.जी. चन्दावरकर (1855-1923)
- लोकमान्य बालगंगाधर टिळक (1856-1920)

- स्वामी श्रद्धानन्द (1856-1926)
- सी. शंकरन नायर (1857-1934)
- रघुनाथ नरसिंह मुधोळकर (1857-1921)
- सर सुन्दरलाल (1857-1918)
- लॉर्ड हार्डिंग (1858-1944)
- भूपेन्द्रनाथ बोस (1859-1924)
- महाराजा सर रामेश्वर सिंह ठाकुर (1860-1929)
- प्रफुल्लचन्द्र राय (1861-1944)
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-1941)
- मोतीलाल नेहरू (1861-1931)
- स्वामी विवेकानन्द (1863-1902)
- लॉर्ड सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा (1863-1928)
- पं. बिशन नारायण धर (1864-1916)
- सर आशुतोष मुखर्जी (1864-1924)
- लाला लाजपत राय (1865-1928)
- गोपालकृष्ण गोखळे (1866-1915)
- भगिनी निवेदिता (1867-1911)
- नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर (1867-1919)
- हकीम अजमल खान (1868-1927)
- आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव (1869-1942)
- सर हर्कोर्ट बटलर (1869-1938)
- चित्तरंजन दास (1870-1925)
- दादा साहिब फाल्के (1870-1944)
- सैयद हसन इमाम (1871-1933)
- विठ्ठलभाई झबेरभाई पटेल (1871-1933)
- डॉ. गंगानाथ झा (1872-1941)
- स्वामी रामतीर्थ (1873-1906)
- एस. श्रीनिवास आयंगर (1874-1941)
- मोहम्मद अली जौहर (1878-1931)
- मुख्तार अहमद अंसारी (1880-1936)
- काशीप्रसाद जायसवाल (1881-1937)
- प्रो. रामदास गौड़ (1881-1937)

- महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ (1884-1940)
- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस (1897-1945 ?)
- चन्द्रशेखर आज़ाद (1906-1931)
- भगतसिंह (1907-1931)

उपर्युक्त सूची में जिन विभूतियों के नाम गिनाए गए हैं, उनके स्मृति-ग्रन्थों और जीवन-चरित्रों में मालवीयजी द्वारा लिखित श्रद्धाञ्जलि अथवा संस्मरण प्राप्त हो सकते हैं। यह सूची एक आधारमात्र है और इसमें कितने ही नाम जोड़े जा सकते हैं।

मालवीय जी द्वारा लिखित संस्मरणों/श्रद्धाञ्जलि में से निम्न प्राप्त हो गए हैं :

1. **राधाकृष्ण दास** : बाबू राधाकृष्ण दास का स्वर्गवास, अभ्युदय, चैत्राधिक कृष्ण द्वितीया, वि.सं. 1964 (अप्रैल, 1907); मालवीय जी के लेख, पं. पद्मकान्त मालवीय (सं.), नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1962, पृ. 49-50.
2. **बाबू बालमुकुन्द गुप्त** : अभ्युदय, आश्विन कृष्ण षष्ठी, सं. 1964 (27 सितम्बर, 1907 ई.); मालवीय जी के लेख, पं. पद्मकान्त मालवीय (सं.), नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1962, पृ. 250-251.
3. **पं. अयोध्यानाथ कुञ्जरू** : अ नेशनल बायोग्राफी ऑफ़ इण्डिया, 1911, पृ. 343.
4. **महामहोपाध्याय पं. आदित्यराम भट्टाचार्य** : आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'काशी की पाण्डित्य परम्परा' में लिखा है कि 'पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य जी द्वारा प्रकाशित निज गुरु पण्डित शिवशर्मा की संस्कृत-रचना 'वासुदेव-रसानन्द' के आरम्भ में महामना मालवीयजी ने अपने गुरु आदित्यरामजी की संक्षिप्त जीवनी निबद्ध की है। इसके द्वारा महामना की सरस-सुबोध शैली तथा अकृत्रिम गुरुभक्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है।' महामना द्वारा लिखित पं. आदित्यराम भट्टाचार्य की यह पूरी जीवनी आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपनी इसी पुस्तक में पृ. 119 से 127 में दी है। कालान्तर में यही जीवनी एक स्वतन्त्र पुस्तिका के रूप में 'महामहोपाध्याय पं. आदित्यराम भट्टाचार्य की संक्षिप्त जीवनी' शीर्षक से सन् 1922 में प्रकाशित हुई है।
5. **महाराज रामवर्मा XVII** : कोचीन के महाराज रामवर्मा XVII (1932-1941) को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से संस्कृत में मानपत्र भेंट किया। सनातनधर्म, वर्ष 1, अंक 14, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, गुरुवार, वि.सं. 1990 (19 अक्टूबर, 1933 ई.), पृ. 4.

मान. मालवीयजी अने स्व. आनंदशंकर ध्रुव

डॉक्टर आनन्दशङ्करजी ध्रुव के साथ मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा करने में सहयोग अप्रैल १९२० से १३ मार्च १९३६ तक रहा। इसके लिये मैं सदा अपने भाई महात्मा गांधी का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर डा. आनन्दशंकरजी ध्रुव हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिये आये थे।

डा. आनन्दशङ्करजी ध्रुव की सेवा को हिन्दू विश्वविद्यालय कभी भूल नहीं सकता है। मुझको व्यक्तिगत तनसे कितनी सहायता पहुँची यह मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मेरा भार आधासे अधिक हल्का कर दिया था। यदि उनकी ऐसी सहाय-भूति और सहाय न होती तो मैं हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्य के साथ देश के और कामों में इतना समय नहीं दे सकता था, इसके लिये मैं डा. आनन्दशंकरजी ध्रुव का बहुत कृतज्ञ हूँ।

म. मो. मालवीय

आचार्य आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव को महामना की श्रद्धाञ्जलि
आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव स्मारक ग्रन्थ, गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी,
अहमदाबाद, 1944, पृ. 2.

6. स्वामी दयानन्द सरस्वती : आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती की निर्वाण-अर्धशताब्दी के अवसर पर दिया गया लिखित सन्देश, सनातनधर्म, वर्ष 1, अंक 17, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, वि.सं. 1990 (09.11.1933), पृ. 3.
7. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक : लोकमान्य तिलक को श्रद्धाञ्जलि (अंग्रेजी) (एनी बेसेण्ट द्वारा सम्पादित स्मृति-ग्रन्थ 'रिमिनीसेंसेस एण्ड एनकडॉट्स ऑफ लोकमान्य तिलक' में), 1928 ई; लोकमान्य तिलक, अभ्युदय, 06 अगस्त, 1935 को प्रकाशित
8. स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती : काञ्ची कोमकोटि मठ के शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती के लिए संस्कृत-भाषा में लिखित अभिनन्दन-पत्र, माघ शुक्ल सप्तमी, वि.सं. 1991 (09.02.1935), श्रीकांचीकामकोटिपीठाधीश-जगद्गुरु-श्री 1008 शंकरभगवत्पादानां गंगादितीर्थविजययात्रा, प्रकाशक : राय बहादुर सदाचारोत्तेजक धर्मभास्कर माधवराम सण्ट: इत्यादि, 1993 विक्रमी

9. स्वामी रामतीर्थ के प्रति, 1939
10. कृष्णराज वाडियार चतुर्थ : मैसूर-नरेश महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के निधन (03 अगस्त, 1940) के पश्चात् उनको दी गई श्रद्धाञ्जलि।
11. डॉ. एनी बेसेण्ट : 1947 ई. में प्रकाशित 'सर्विस टू एडुकेशन' शीर्षक लेख : द एनी बेसेण्ट सेण्टेनरी बुक : 1847-1947, मद्रास, 1947, पृ. 70; 'भगवती बेसेण्ट' शीर्षक स्मृति-ग्रन्थ, 1947 ई. में भी प्रकाशित
12. आचार्य आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव : आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव स्मारक ग्रन्थ, गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी, अहमदाबाद, 1944, पृ. 2.



मालवीय-चित्रावली

मा लवीय जी के जीवनकाल में लिए गए उनके चित्र उनके वाङ्मय अथवा साहित्य की श्रेणी में तो नहीं आते, किन्तु उनका भी एक विशिष्ट ऐतिहासिक मूल्य है। सम्पूर्ण वाङ्मय के प्रकाशन के दौरान प्रत्येक खण्ड में उस खण्ड से सम्बन्धित उनके चित्रों का समायोजन किया जा सकता है और एक पृथक् ग्रन्थ उनकी चित्रावली का भी बनाया जा सकता है।

मालवीय जी के प्रकाशित लगभग तीन सौ चित्र सन् 1884 से लेकर 1946 के दौरान विभिन्न अवसरों (शिक्षण, पत्रकारिता, वकालत, लेखन, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और दीक्षान्त समारोह, कथा-प्रवचन, भाषण, राजनेताओं के साथ भेंट-मुलाकात तथा विचार-विमर्श, स्वागत-अभिनन्दन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मंत्रदीक्षा, कायाकल्प, अन्तिम यात्रा आदि) पर लिए गए हैं। ये सभी चित्र विभिन्न अभिलेखागारों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, पुस्तकों, निजी संग्रहों में विद्यमान हैं। भारत कला भवन (वाराणसी) और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के पाण्डुलिपि-अनुभाग में मालवीय जी के बहुत-से चित्र संगृहीत हैं। इन सभी चित्रों को एकत्र करके उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है। निजी संग्रहों और अभिलेखागारों में संगृहीत मालवीय जी के बहुत-से चित्र खराब स्थिति में हैं और उनकी मरम्मत आवश्यक है अन्यथा आनेवाले समय में हम एक अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर से सदा के लिए वंचित हो जायेंगे।

इनके अतिरिक्त मालवीय जी के ऐसे अनेक दुर्लभ चित्र हैं जो जर्मनी-स्थित गाँधीसर्व में विद्यमान हैं जो कभी देखने में नहीं आये। इन चित्रों को भी तत्परता से प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसका वेब-लिंक इस प्रकार है :

http://www.gandhimedia.org/cgi-bin/gm/gm.cgi?direct=Images/Photographs/Personalities/Madan_Mohan_Malaviya&img=15

गाँधीसर्व, जर्मनी का सम्पर्क-सूत्र इस प्रकार है :

GandhiServe / GandhiMedia
Rathausstrasse 51a
12105 Berlin
Germany

Mobile:

+49 (0)1523 3987220 (incl. WhatsApp)
+66 (0)948 109703 (incl. WhatsApp)

Fax: +49 (0)3212 1003676
Skype: GandhiServe

Administration
admin@gandhimedia.org

General enquiries
contact@gandhimedia.org

Media related enquiries
media@gandhimedia.org

Order related enquiries
orders@gandhimedia.org

Contributors
contributors@gandhimedia.org



सम्पूर्ण वाङ्मय का अनुक्रमणिका-निर्माण

सा मान्यतः दो सौ या उससे अधिक पृष्ठों की पुस्तक में शीघ्र और सरलता से किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए वर्णानुक्रम से 'अनुक्रमणिका' ('शब्दानुक्रमणिका' या इण्डेक्स) का निर्माण किया जाता है। 'अनुक्रमणिका' से विद्वानों और शोधार्थियों का कार्य अत्यन्त सरल हो जाता है और उन्हें पुस्तक में अपना मनचाहा शब्द या विषय की खोज के लिए पूरी पुस्तक को पढ़ने के श्रम से छुटकारा मिल जाता है।

किसी पुस्तक की अनुक्रमणिका-निर्माण का कार्य उस पुस्तक के टंकण, सम्पादन तथा अन्तिम चरण की प्रूफ़-रीडिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है, ताकि अनुक्रमणिका में दिए गए विषयों के पृष्ठांक में बदलाव न करना पड़े। 'अनुक्रमणिका' का कार्य अत्यन्त धैर्य, लगन और परिश्रम का है। आज से तीन-चार दशक पूर्व प्रकाशित होनेवाली प्रायः सभी बड़ी पुस्तकों में अनुक्रमणिका लगी मिलती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसकी परम्परा लुप्त होती जा रही है और आजकल बमुश्किल दस प्रतिशत पुस्तकों में ही यह मिलती है।

सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के टंकण, सम्पादन तथा अन्तिम चरण के प्रूफ़-संशोधन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक खण्ड की पृथक्-पृथक् अनुक्रमणिका तैयार करना उपयोगी रहेगा। हिंदी तथा अंग्रेज़ी में प्रकाशित सामग्री के महत्त्वपूर्ण शब्दों का चयन करके अंग्रेज़ी के शब्दों को भी हिंदी लिप्यांतरण करके उनकी एक संयुक्त अनुक्रमणिका तैयार होगी। यह एक अति आवश्यक और अनिवार्य रूप से किया जानेवाला कार्य है, जिसके बिना यह ज्ञानयज्ञ पूर्ण नहीं माना जायेगा। बिना अनुक्रमणिका के सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के 25 से 30 खण्डों में विद्यमान सामग्री में इच्छित शब्द को खोजना कोई हँसी-खेल नहीं है। अतः वाङ्मय के प्रत्येक खण्ड के अन्त में उस खण्ड से सम्बन्धित 1. व्यक्ति, 2. स्थान, 3. संस्था और 4. घटना/विषय को समाहित करते हुए अनुक्रमणिका

का निर्माण अपेक्षित है। उदाहरणार्थ—

अभ्युदय (पत्रिका)

अहिंसा

आर्यसमाज

आर्यसमाजी

ईसाई

उपनिषद्

ऋग्वेद

काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय

काशी, बनारस, वाराणसी

काशी विश्वनाथ मन्दिर

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू युनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय

कृष्ण, भगवान्

गंगा नदी

गंगा महासभा

गांधी, महात्मा

गायत्री, गायत्री-मंत्र

गीता, श्रीमद्भगवद्

गोखळे, गोपालकृष्ण

गोलमेज सम्मेलन

चिन्तामणि, सी.वाई.

छांदोग्योपनिषद्

जालियाँवाला बाग काण्ड

जैन

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ

तिलक, लोकमान्य

तुलसीदास, गोस्वामी

द्विवेदी, महावीरप्रसाद

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

नारद

नेहरू, मोतीलाल

पारसी

प्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद
बद्रीनाथ
बुद्ध, भगवान्
बेसेण्ट, डॉ. एनी
बौद्ध
ब्रह्मचर्य
भागवत, श्रीमद्, भागवतपुराण
मनु, भगवान्
मनुस्मृति
महाभारत
माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड
मुसलमान
युधिष्ठिर
यूरोप के विद्वान्
रामकथा
वर्णाश्रम
विष्णु, नारायण
वेद, श्रुति
वेदांग
शिव, महेश्वर
शिवपुराण
शूद्र
सनातनधर्म (पत्रिका)
सनातनधर्म (हिंदू-धर्म)
सिक्ख
सुभाषचन्द्र बोस
स्मृति, स्मृतियाँ
स्त्री
हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय

अनुक्रमणिका-निर्माण 'एक बार का श्रम' है और एक बार यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद मालवीय जी द्वारा लिखित और वाचित समस्त प्रमुख शब्दावलियों का एक विशाल कोश हमें सहज ही प्राप्त हो जायेगा, जिससे भविष्य में मालवीय जी से सम्बन्धित

सैकड़ों विषयों पर शोध-कार्य अत्यन्त सरल हो जायेगा। उदाहरण के लिए हम 'गंगा' शब्द लेते हैं। मालवीय जी के माँ गंगा के प्रति क्या विचार थे, यह जानने के लिए यदि कोई शोधार्थी सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय का आलोडन करे, तो इस कार्य में उसे कितने वर्ष लगेंगे, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। किन्तु यदि अनुक्रमणिका तैयार हो, तो उसमें सम्मिलित 'गंगा' शब्द से उस शोधार्थी को मालवीय जी के गंगा-विषयक समस्त विचार बहुत ही सरलता से, कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार 'लोकमान्य तिलक' शब्द से हमें मालवीय-तिलक सम्बन्धों पर बहुत-सी अज्ञात सूचनाएँ सहज ही प्राप्त हो सकती हैं।

सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय की अनुक्रमणिका-निर्माण में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि यह अधिक उपयोगी बन सके। वर्णानुक्रम में नामों को व्यवस्थित करने के दौरान व्यक्ति-नामों में प्रायः उपनाम (नाम का अन्तिम भाग) का क्रम रखा जाता है, जैसे— गाँधी, महात्मा; नायडू, सरोजिनी; चिन्तामणि, सी.वाई.; बटलर, हर्कोर्ट; नेहरू, मोतीलाल; तिलक, लोकमान्य; विजयराघवाचार्य, सी. इत्यादि। हालांकि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे— 'प्रसाद, डॉ. राजेन्द्र' के स्थान पर 'राजेन्द्र प्रसाद, डॉ.' का उपयोग किया जाना उचित होगा। उत्तर भारतीय नामों में प्रथम नाम लिए जा सकते हैं, किन्तु दक्षिण भारतीय नामों के मामले में अन्तिम नाम (उपनाम) ही लिए जायेंगे।

इसी प्रकार अनुक्रमणिका-निर्माण के दौरान मालवीय जी द्वारा लिखित या उच्चारित कुछ बड़े नामों के संक्षिप्त रूप भी मिल सकते हैं, जैसे— 'सम्मेलन' शब्द से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का बोध हो सकता है; 'लोकमान्य' या 'तिलक' से लोकमान्य तिलक का। 'शिव', 'शंकर' और 'महादेव' समानार्थी हैं; 'विष्णु' और 'नारायण' समानार्थी हैं; 'संगम' और त्रिवेणी संगम' समानार्थी हैं। सारांश यह है कि अनुक्रमणिका में जितने अधिक-से-अधिक शब्दों को सम्मिलित किया जायेगा, वाङ्मय उतना ही सुविधाजनक और उपयोगी बन सकेगा।



सम्पादन और प्रकाशन के विभिन्न चरण

भारत रत्न महामना पं. मदनमोहन मालवीय (1861-1946) की शिक्षाओं, उनके विश्वासों और उनके जीवन-दर्शन के अध्ययन के लिए महामना मालवीय मिशन ने पं. मदनमोहन मालवीय सम्पूर्ण वाङ्मय (द कम्प्लीट वर्क्स ऑफ़ पण्डित मदन मोहन मालवीय) को प्रकाशित करने का दायित्व लिया है। यह ग्रन्थमाला मालवीय जी के सारे लेखों, भाषणों और पत्रों को, वे उनके जीवन के किसी भी काल के और कहीं भी उपलब्ध क्यों न हों, यथासम्भव प्राथमिक स्रोतों से एकत्र करने और उन सबको यथावत् प्रकाशित करने का भगीरथ प्रयत्न है।

मालवीय जी के लेख, भाषण और पत्र उनके लगभग छह दशक (1886 से 1946 ई.) के अत्यन्त कर्मठ सार्वजनिक जीवन के हैं। वे केवल उन थोड़ी-सी पुस्तकों में नहीं हैं जो उन्होंने लिखी हैं या जो उनके जीवनकाल में प्रकाशित हुई थीं। वे धूल खाती फाइलों, सरकारी कागज़-पत्रों तथा रिपोर्टों और अंग्रेज़ी और हिंदी के पुराने समाचार-पत्रों के ढेरों में भी हैं। मालवीय जी के लिखे लगभग एक हजार पत्र सभी धर्म-सम्प्रदायों और जातियों के असंख्य व्यक्तियों के पास भारतभर में और कुछ विदेशों में फैले हुए हैं। इन सब सामग्री को नष्ट हो जाने या खो जाने के पहले ही एकत्र कर लेना आवश्यक है।

मालवीय जी की वाणी एक ही भाषा तक सीमित न थी। उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत—तीनों ही भाषाओं में लिखे और भाषण दिए हैं। उनके कुछ भाषण स्थानीय भाषाओं, जैसे—मराठी, गुजराती, उर्दू आदि में भी प्रकाशित हुए हैं। उन भाषणों को भी एकत्र करके उनका हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में शुद्ध अनुवाद करने का काम भी विद्वान् सम्पादकों का है।

मालवीय जी द्वारा सम्पादित 'अभ्युदय' में बहुत-से लेखों और सम्पादकीय टिप्पणियों में उनका नाम ही नहीं छपा है। 'हिन्दोस्थान', 'इण्डियन यूनियन' और 'द

लीडर' में भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इन पत्रों की फाइलें हमें नहीं मिल सकी हैं। उनके लेखों को पहचानने और प्रमाणित करने में सम्पादकों को विशेष परिश्रम करना पड़ेगा।

किसी बहुत बड़ी ग्रन्थमाला, सम्पूर्ण वाङ्मय अथवा रचनावली के कार्य में सामग्री के एकत्रीकरण के समय दुहराव बहुत स्वाभाविक है। अप्रकाशित पत्र तो एक ही स्थान से प्राप्त होते हैं, किन्तु कोई प्रकाशित सामग्री कई स्थानों से प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्रोत ही एकमात्र कसौटी है जिसका दृढ़ता से अनुपालन करना होगा। तभी यह कार्य प्रामाणिक तथा शोध-कार्यों में मान्य हो सकेगा। किन्तु हरसम्भव प्रयास करने पर भी प्राथमिक स्रोत तक न पहुँच पाने पर महामना के जीवनकाल में प्रकाशित द्वितीयक स्रोत को ग्रहण किया सकता है।

सम्पूर्ण सामग्री के एकत्रीकरण के पश्चात् उनका वर्गीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है : 1. कालक्रमानुसार और 2. विषय-अनुसार। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आदि कुछ बड़े राजनेताओं के सम्पूर्ण वाङ्मय, कालक्रमानुसार प्रकाशित किए गए हैं। किन्तु इस कार्य में एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि मालवीय जी से सम्बन्धित बहुत-से दस्तावेजों में तिथियाँ अंकित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन सामग्रियों को तिथिक्रम में व्यवस्थित करना अत्यन्त दुष्कर है। दूसरी कठिनाई यह है कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मालवीय जी का कार्यक्षेत्र राजनीति (काँग्रेस, हिंदू महासभा, असेम्बली, काउंसिल, आदि), न्यायालय, धर्म, समाजसुधार, पत्रकारिता, शिक्षा, इत्यादि रहा है। प्रायः वह एकसाथ इन सारे स्थान पर विद्यमान रहते हैं। यदि वह आज असेम्बली में बजट पर भाषण दे रहे हैं तो कल गोरक्षा पर भाषण दे रहे हैं, परसों 'अभ्युदय' के लिए सम्पादकीय लिख रहे हैं। ऐसे में (वाङ्मय के प्रकाशन के पश्चात्) मालवीय जी के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर शोधकार्य करनेवाले विद्वानों के लिए सामग्री का चयन करना अत्यन्त दुष्कर होगा। अतः सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय को विषय-अनुसार प्रकाशित करने से धर्म, राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता आदि विषयों पर उनके विचारों को जानना अधिक सुविधाजनक रहेगा।

सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय का कार्य बिल्कुल चरणबद्ध ढंग से निम्नलिखित चरणों में होना सर्वतोभद्र होगा :

1. सामग्री-संकलन और विषय-अनुसार वर्गीकरण : निर्धारित समयसीमा में अधिकाधिक मूल सामग्री का संकलन। प्रत्येक सामग्री के साथ उसके प्रदाता व्यक्ति अथवा संस्था का रिकार्ड रखना बहुत आवश्यक है। सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त होने के पश्चात् खण्डों का पुनर्विभाजन किया जा सकता है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से

खण्डों की रूपरेखा पहले से ही तय करनी होगी ताकि सम्पूर्ण सामग्री के टंकण के पश्चात् सामग्री को एक खण्ड से दूसरे खण्डों में समायोजित करने के अतिरिक्त श्रम से बचा जा सके। तत्पश्चात् प्रत्येक खण्ड की (वर्गीकृत) सामग्री को कालक्रमानुसार सूचीबद्ध करना। मालवीय जी ने जिस भाषा में जो कुछ भी लिखा या कहा हो, उसे उसी भाषा में प्रकाशित किया जायेगा। इस प्रकार यह ग्रन्थमाला द्विभाषी या त्रिभाषी भी हो सकती है। आवश्यकतानुसार स्थानीय भाषाओं में लिखित सामग्री का हिंदी अथवा अंग्रेज़ी-भाषा में अनुवाद किया जायेगा।

2. **सामग्री की सुरक्षा :** अत्यन्त कठिनाई से एकत्र की गई सामग्री की सुरक्षा हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है। वाङ्मय से जुड़े सम्पादकों द्वारा सामग्री-सुरक्षा की तय नियमावली का पालन आवश्यक होगा। नियमावली के अंतर्गत निम्न नियम होंगे :

- प्रूफ-संशोधन और सम्पादन का समस्त कार्य 'मालवीय स्मृति भवन' में ही होगा और प्रूफ-संशोधकों और सम्पादकों को कोई भी सामग्री (पुस्तक, दस्तावेज, चित्र, आदि) हार्ड या सॉफ्टकॉपी में, अपने साथ घर/पैनड्राइव में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- विशेष परिस्थिति में वाङ्मय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति के दो सदस्यों से लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- सम्पादन-कार्य के दौरान सम्पादक मण्डल सदस्य द्वारा मूल सामग्री का वाणिज्यिक उपयोग पूर्णतः निषिद्ध होगा और अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

3. **टंकण (टायपिंग) :** मुद्रण (प्रिण्टिंग)-कार्य को छोड़कर, सम्पूर्ण सामग्री का टंकण (टायपिंग) पेशेवर 'डीटीपी-ऑपरेटर्स' द्वारा 'मालवीय स्मृति भवन' में किया जायेगा। यह कार्य 'मालवीय स्मृति भवन' में होने से प्रूफ-संशोधकों और सम्पादकों को सुविधा होगी। इस सम्बन्ध में कुछ बिन्दु द्रष्टव्य हैं :

- सर्वप्रथम ग्रन्थमाला का आकार (साइज़) तय करना बहुत आवश्यक है। अन्य महापुरुषों के सम्पूर्ण वाङ्मय को देखते हुए वर्तमान समय में बाज़ार में कागज़ की उपलब्धता, मुद्रण की सुविधा, पैकिंग, रखरखाव, आदि सभी विषयों को ध्यान में रखकर इसे तय किया जायेगा। ग्रन्थ इतने बड़े आकार का भी न हो कि अलमारी में न रखा जा सके और बहुत छोटे आकार का भी न हो। समस्त खण्डों का आकार एक समान होगा।
- हिंदी तथा अंग्रेज़ी के सिद्धस्थ टायपिस्टों (डीटीपी-ऑपरेटर्स) द्वारा मूल स्रोतों से प्राप्त सामग्री का टंकण। पेशेवर सॉफ्टवेयर (जैसे- कोरल ड्रॉ,

कार्क तथा एडॉब इनडिजाइन) और देवनागरी तथा रोमन के अच्छे फॉण्ट्स का चयन करके उसी में टंकण होगा। हिंदी में सॉफ्टवेयर और फॉण्ट-परिवर्तन से बहुत-से अक्षर, जैसे— श, ष, ङ, कोष्ठक, इत्यादि बदल जाते हैं। शीर्षक (हेडिंग)-फॉण्ट और सब-हेडिंग-फॉण्ट और 'रनिंग मैटर' के फॉण्ट में एकरूपता रखनी आवश्यक है।

- प्रूफ-संशोधन हेतु प्रिण्ट निकालते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक ए-4 आकार के पन्ने पर एक ही पृष्ठ का प्रिण्ट निकले, ताकि चारों ओर लगभग एक-डेढ़ इंच का स्थान रिक्त रहे। इसी रिक्त स्थान का उपयोग आवश्यकतानुसार पाद-टिप्पणी लिखने तथा प्रूफ-संशोधन में किया जायेगा।
- सामग्री के टंकण (देवनागरी और रोमन) का समस्त कार्य प्रारम्भिक दौर में एमएस वर्ड में ए-4 कागज़ पर तथा निर्धारित फॉण्ट्स में किया जा सकता है। किन्तु 'फ़र्स्ट प्रूफ' निकालने से पूर्व टंकित सामग्री को मुद्रण के लिए निर्धारित सॉफ्टवेयर (कोरल ड्रॉ, एडॉब-इनडिजाइन अथवा कार्क) में स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. **सम्पादक मण्डल का गठन और अर्हता** : सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के सम्पादन हेतु आठ-सदस्यीय 'केन्द्रीय सम्पादक मण्डल' का गठन किया जायेगा। यह देश के ख्यातिलब्ध विद्वानों का एक समूह होगा, जिसके सदस्यों की निम्नलिखित अर्हता आवश्यक है—

- ब्रिटिश भारतीय इतिहास, ब्रिटिश भारतीय संसद, स्वराज्य आन्दोलन के गहन जानकार, कोई प्रतिष्ठित इतिहासकार। हिंदी एवं अंग्रेज़ी— दोनों भाषाओं पर गहरी पकड़ होना आवश्यक— 2
- हिंदी-भाषा, हिंदी-साहित्य, कोश, हिंदी-पत्रकारिता के इतिहास, हिंदी साहित्येतिहास के गहन जानकार, लेखन और सम्पादन में सिद्धस्थ, लब्धप्रतिष्ठ और अनुभवी साहित्यकार— 2
- ब्रिटिशकालीन न्यायपालिका, मामले-मुकदमे और बहस, कोर्ट-पेपर्स के गहन जानकार, हिंदी एवम् अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक— 1
- संस्कृत-भाषा एवं साहित्य, धर्मशास्त्रों के सुप्रसिद्ध ज्ञाता, संस्कृत-लेखक, सम्पादक एवम् अनुवाद-कार्य में दक्ष— 1
- ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा के इतिहास के गहन जानकार; हिंदी एवं अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक— 1
- हिंदी एवम् अंग्रेज़ी में अनुक्रमणिका-निर्माण में निष्णात— 1

- प्रत्येक खण्ड के लिए मनोनीत दो विद्वान्, सम्पादक के रूप में पर्याप्त होंगे। ये एक से अधिक खण्डों में कार्य कर सकते हैं। 'केन्द्रीय सम्पादक मण्डल' के सदस्य के रूप में नामित विद्वानों को निर्धारित समय इस कार्य के लिए देना होगा। बीच में कार्य छोड़कर जानेवाले सदस्य के स्थान पर अन्य विद्वान् की नियुक्ति, साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी।
 - सभी सामग्री-संकलनकर्ता/सामग्री-प्रदाता महानुभाव 'सम्पादक' अथवा 'सम्पादक मण्डल सदस्य' नहीं होंगे और उनका नाम 'सम्पादक' के रूप में प्रकाशित करने के लिए महामना मालवीय मिशन की बाध्यता नहीं है। 'सम्पादक' अथवा 'सम्पादक मण्डल सदस्य' होने के लिए सामग्री-संकलनकर्ता/प्रदाता, सम्पादक के लिए निर्धारित अर्हता (मापदण्ड) पर खरे उतरने चाहिये।
5. **सम्पादन** : सम्पादकों द्वारा फ़र्स्ट प्रूफ़ की प्रत्येक सामग्री (लेख, भाषण, पत्र आदि) में आवश्यकतानुसार पाद-टिप्पणी (फुटनोट्स) का अंकन किया जायेगा, यहीं मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया जायेगा। उदाहरण के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' (97 खण्ड) अथवा सस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित 'जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय' (11 खण्ड) देखा जा सकता है। यह कार्य पूरी निष्ठा, गम्भीरता और प्रामाणिकता से सम्पन्न होगा। सम्पादक चाहें तो पाद-टिप्पणी का अंकन, टंकण के दौरान साथ-साथ भी करवा सकते हैं। सम्पादकों के अन्य कार्य इस प्रकार होंगे :
- **आभार-ज्ञापन** : प्रत्येक खण्ड के सहयोगियों के प्रति आभार-प्रदर्शन न केवल सम्पादकों का अपितु महामना मालवीय मिशन का भी नैतिक दायित्व है। 'प्रस्तावना' से पूर्व परामर्शदाताओं, सामग्री-संकलनकर्ताओं, सामग्री-प्रदाताओं, प्रमुख दानदाताओं और सम्बन्धित संस्थाओं का नामोल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
 - **प्रकाशकीय** : प्रथम खण्ड में परियोजना के राष्ट्रीय समन्वयक की कलम से परियोजना के विस्तृत इतिहास पर प्रकाश डाला जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण वाङ्मय में किसी भी सम्मानित महानुभाव (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कुलाधिपति, कुलपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदि) का 'शुभकामना-सन्देश' नहीं लिया जायेगा। 'शुभकामना-सन्देश' केवल 'स्मारिका' (सॉवेनियर) में लिए जाते हैं।
 - **प्रस्तावना-लेखन** : प्रत्येक खण्ड के (दोनों) सम्पादकों द्वारा हिंदी और अंग्रेज़ी में दो प्रस्तावना लेखन जो क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेज़ी में होगा। परन्तु

यह एक दूसरे का अनुवाद न होकर मौलिक होगा। संस्कृत से सम्बन्धित खण्ड में संस्कृत-लेखों का बाहुल्य होने पर केवल उस खण्ड की प्रस्तावना संस्कृत में भी लिखी जा सकती है। प्रस्तावना में सम्बन्धित खण्ड की विषय-वस्तु, सामग्री-संकलन में आनेवाली कठिनाइयों आदि बातों के उल्लेख के साथ मुख्य सामग्री-प्रदाताओं के प्रति आभार-ज्ञापन भी होगा।

- अन्तिम चरण की प्रूफ-रीडिंग : दो-दो बाद पेशेवर प्रूफ-संशोधकों द्वारा प्रूफ-संशोधन के पश्चात् अन्तिम बार उस खण्ड के दोनों सम्पादकों द्वारा भी प्रूफ देखना अनिवार्य है ताकि त्रुटि की कोई सम्भावना न रह जाये।
 - प्रत्येक खण्ड में प्रशासनिक समिति, केन्द्रीय सम्पादक मण्डल तथा परामर्शदात्री समिति का नामोल्लेख रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक खण्ड में उस खण्ड के 'सम्पादक/सम्पादक मण्डल', 'सामग्री-संकलनकर्ता', 'सामग्री-प्रदाता-संस्थाएँ', 'दानदाता-संस्थाएँ', 'अनुवादक', 'सम्पादन-सहयोगी', 'प्रूफ-संशोधक', 'ग्राफिक-डिजाइनर', 'मुद्रक', आदि का भी नामोल्लेख रहेगा।
 - अनुक्रमणिका-निर्माण : देखें क्रमांक 7
6. प्रूफ-संशोधन : सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय को त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रत्येक खण्ड के अंग्रेजी-अंश को अंग्रेजी के 2 प्रूफ-संशोधकों द्वारा, संस्कृत-अंश को संस्कृत के 2 प्रूफ-संशोधकों द्वारा और हिंदी के अंश को हिंदी-भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ 2 प्रूफ-संशोधकों द्वारा मूल सामग्री से मिलान करते हुए दो-दो बाद (कुल 4 बार) पढ़ा जायेगा। तीसरी और अन्तिम बार उस खण्ड के सम्पादकद्वय द्वारा (कुल 2 बार) मूल से मिलान करते हुए पढ़ा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड को 6 बार पढ़ा जायेगा। आवश्यकतानुसार कानूनी विषय से जानकार प्रूफ-संशोधक को भी रखे जाने की व्यवस्था होगी।
7. अनुक्रमणिका-निर्माण : अन्तिम चरण की प्रूफ-रीडिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् सम्पादक अथवा विशेषज्ञों द्वारा हिंदी और अंग्रेजी-दो भाषाओं में 1. विषय-अनुसार, 2. व्यक्ति-अनुसार और 3. संस्था-अनुसार 'अनुक्रमणिका' (शब्दानुक्रमणिका अथवा इण्डेक्स) निर्माण। विस्तार के लिए देखें 'अध्याय 18 : सम्पूर्ण वाङ्मय का अनुक्रमणिका-निर्माण'।
8. आवरण-पृष्ठ : प्रत्येक खण्ड की पृष्ठ-संख्या (स्पाइन या मोटाई) को ध्यान में रखकर तथा मालवीय जी के व्यक्तित्व के अनुरूप आवरण-पृष्ठनिर्माण। यह तनिक भी रंग-बिरंगा या भड़कीला नहीं होना चाहिये। किसी ग्रन्थमाला के सभी खण्डों के

आकार, मोटाई (पृष्ठ संख्या), वजन, आवरण-पृष्ठ आदि बिल्कुल एक समान होते हैं। अलग-अलग खण्डों के आकार और आवरण-पृष्ठ में तो बिल्कुल भी अन्तर नहीं हो सकता, हाँ पृष्ठ-संख्या अधिकतम 100 पृष्ठ कम-अधिक हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खण्ड 500 पृष्ठों का हो और कोई 200 पृष्ठों का। प्रेस में फ़ाइल भेजने से पूर्व स्पाइन की जाँच आवश्यक है।

9. **मुद्रण** : सभी खण्डों की अनुक्रमणिका-निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने और आवरण-पृष्ठ भी तैयार हो जाने के पश्चात् फ़ाइलें प्रेस (प्रकाशन) को भेजी जायेंगी। मुद्रण से सम्बन्धित कुछ बिन्दु उल्लेखनीय हैं :

- वाङ्मय के प्रत्येक खण्ड के लिए आवश्यक 'आईएसबीएन' (इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नम्बर्स), इन्टरनेशनल आईएसबीएन एजेंसी से प्राप्त किये जायेंगे।
- सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के मुद्रण का कार्य किसी अच्छे मुद्रक द्वारा किया जायेगा, जिसका चयन निविदा (टेण्डर) के माध्यम से किया जायेगा।
- उल्लेखनीय है कि किसी वाङ्मय का प्रकाशन टुकड़ों में नहीं अपितु सम्पूर्णता में होता है। इसमें अपवादस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' है जिसका संकलन-सम्पादन चार दशकों तक अनवरत चलता रहा और क्रमशः प्रकाशन भी होता रहा। जब तक समस्त खण्डों के टंकण, सम्पादन (पाद-टिप्पणी, भूमिका, प्रूफ-रीडिंग, आदि) और अनुक्रमणिका (इण्डेक्सिंग) का कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक बीच के किसी एक खण्ड को प्रकाशित कर उसका लोकार्पण कराना उचित नहीं है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही इसका समग्र रूप से लोकार्पण कराया जाये।
- प्रत्येक खण्ड का मुद्रण 'हार्ड बाउण्ड' होगा तथा वह लेमिनेटेड जैकेट और 'टैग' से युक्त होगा।
- जनसाधारण के लिए पेपरबैक-संस्करण भी निकाला जा सकता है।

हमने ऊपर थोड़े-से शब्दों में सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के सामग्री-संकलन, सम्पादन और प्रकाशन के विभिन्न चरणों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। उपर्युक्त समस्त कार्य बहुत सावधानीपूर्वक, धैर्य, लगन और परिश्रम से करने होंगे। सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय साहित्य, इतिहास और पत्रकारिता की त्रिवेणी दिखना चाहिये। इसकी सम्पूर्ण सामग्री प्रामाणिक और मूल सन्दर्भों के साथ आनी चाहिये ताकि आनेवाली पीढ़ी इसका ठीक ढंग से उपयोग कर सके और यह वाङ्मय, शोध-कार्यों में काम आ सके।

डिजिटलीकरण का युग और सम्भावित खतरे

विगत दो दशक से इण्टरनेट पर मुद्रित सामग्री को अपलोड करके ज्ञान का प्रसार करने के प्रयास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश-विदेश के बहुत-से लोग, विद्वान् और तकनीक के ज्ञानकार, इस कार्य को अपने जीवन का मिशन बनाकर जुटे हुए हैं। सरकारी स्तर पर भी बहुत-सी संस्थाएँ अपने-अपने पुस्तकालयों और संग्रहों में विद्यमान पुस्तकों का डिजिटलीकरण करके इण्टरनेट पर अपलोड कर रही हैं। देश-विदेश के हजारों पुस्तकालयों की करोड़ों पुस्तकें आज हमारी पहुँच के भीतर हैं। अकेले 'आर्काइव डॉट ऑर्ग' में लगभग 20 करोड़ से अधिक पुस्तकें अपलोड की जा चुकी हैं।

इसी के साथ प्रारम्भ होते हैं सामग्री के दुरुपयोग के खतरे। यह निर्विवाद सत्य है कि जैसे-जैसे पुस्तकों के डिजिटलीकरण के कार्य में प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे अध्ययन और मौलिक लेखन में भारी शिथिलता आती जा रही है। आज इण्टरनेट पर उपलब्ध कुछ पुस्तकों या लेखों से सामग्री चुराकर एक 'मौलिक' लेख तैयार करना अत्यन्त सरल हो गया है। आज बहुत-से तथाकथित विद्वान् मुद्रित पुस्तकें पढ़ने का कष्ट न उठाकर नेट पर उपलब्ध सामग्री से अपना कार्य-व्यापार चला रहे हैं। शीघ्रता से डिग्री और नौकरी प्राप्त करने को उत्सुक विद्यार्थी और शोधार्थी इस कार्य में कितना निपुण हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। न केवल लेख, अपितु पुस्तकें भी इसी विधि से तैयार हो रही हैं। अपनी प्रकाशित पुस्तक को एक बार इण्टरनेट पर निःशुल्क अपलोड कर देने का अर्थ है जाने-अनजाने अपने हाथ से अपनी पूँजी लुटा देना। एक बार इण्टरनेट पर अपलोड हो जाने के बाद उस सामग्री (पुस्तक/लेख या अन्य कुछ भी) को अवाञ्छित लोगों तक पहुँचने से कभी नहीं रोका जा सकता, 'सर्वाधिकार' (कॉपीराइट) का नारा भी कुछ काम नहीं आता। चौर्यकर्म में सिद्धस्थ लोग अपनी मनमानी कर ही लेते हैं।

ऐसी विकट स्थिति में सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के निर्माण हेतु सामग्री के

संकलन के साथ-साथ (प्रकाशन-पूर्व) उसकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मालवीय-साहित्य के अध्येता इस तथ्य से अवगत हैं कि मालवीय जी द्वारा लिखित और कथित अधिकांश साहित्य अभी भी अप्रकाशित है और अभिलेखागारों में संगृहीत है। उस सामग्री का डिजिटलीकरण करके उनको सम्पादन हेतु विद्वानों के मध्य प्रसारित करने में बहुत सावधानी आवश्यक है। यहाँ कुछ बिन्दु द्रष्टव्य हैं :

- विश्व में किसी भी देश में किसी बड़े राजनेता/विचारक की मूल सामग्री (‘प्राइवेट पेपर्स’) बिना पुस्तकाकार प्रकाशित किए ऑनलाइन नहीं की गई है।
- जिस राजनेता/विचारक का ‘सम्पूर्ण वाङ्मय’ (कम्प्लीट वर्क्स / सेलेक्टेड वर्क्स / रचनावली / ग्रन्थावली) पुस्तकाकार प्रकाशित हो गया है, वही प्रकाशित सामग्री नेट पर डाली जाती है, मूल प्राइवेट पेपर्स की स्कैन कॉपी तो कभी भी नहीं डाली जाती।
- यदि किसी विचारक की मूल सामग्री (स्कैन की हुई पाण्डुलिपि) नेट पर ऑनलाइन की भी गई है, तो वह बहुत थोड़ी मात्रा में अर्थात् केवल नमूने के तौर पर। उदाहरण के लिए ‘सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय’ (97 खण्ड) और ‘सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ जवाहरलाल नेहरू’ (72 खण्ड) – ये दोनों नेट पर उपलब्ध हैं; किन्तु गाँधी जी और नेहरू जी के दो-चार हस्तलिखित पत्र ही नेट पर डाले गए हैं। शेष सभी मूल सामग्री अभिलेखागारों में है।

इसलिए जो सामग्री लाखों रुपये, अनेक शोधकर्ताओं/विद्वानों के अत्यधिक समय तथा ऊर्जा खर्च करके प्राप्त की जाए, और जिसे कालान्तर में भली प्रकार टंकित और सम्पादित करके प्रकाशित किया जाना है, उस मूल सामग्री को प्रकाशन-पूर्व ही नेट पर खुलेआम लुटा देना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है अपितु आत्मघाती है। नेट पर अपलोड कर देने पर अप्रकाशित सामग्री की सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाती है। हम यह दावा भी नहीं कर सकते कि यह सामग्री देश या विदेश का कोई अन्य विद्वान् या नेट से चुराकर, वाङ्मय के कार्य के लिए अधिकृत किसी संस्था से पहले, अपने नाम से प्रकाशित करके समस्त श्रेय स्वयं नहीं ले लेगी। फिर यह भी सिद्ध कर पाना असम्भव होगा कि अमुक सामग्री अधिकृत संस्था ने सर्वप्रथम प्राप्त की अथवा अमुक विद्वान् ने, जिसने अधिकृत संस्था द्वारा प्राप्त सामग्री उसकी ही वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे यह कहकर थमा दी कि यह उसने ‘बड़े ही परिश्रम से’ प्राप्त की है। अतः तकनीक के युग में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर भली प्रकार विचार करके ही कार्य करना उचित होगा।

मूल सामग्री की स्कैन-कॉपी तो दूर, वाङ्मय का प्रकाशन होने के बाद उसकी पीडीएफ-फाइलें भी नेट पर शीघ्र सार्वजनिक नहीं करनी चाहिये। वाङ्मय के प्रकाशन के कम-से-कम एक दशक बाद ही इसे नेट पर सार्वजनिक करना चाहिये, ताकि इसकी

सामग्री के प्रति शोधकर्ताओं की उत्सुकता भी बनी रहे और प्रकाशित ग्रन्थ की बिक्री भी प्रभावित न हो।

यह एक अनुभवसिद्ध तथ्य है कि सम्पूर्ण मालवीय वाङ्मय के कार्य से सम्बद्ध अलग-अलग खण्डों के विद्वानों को मूल सामग्री (हार्ड कॉपी) लेकर साथ बैठना ही होगा, इस कार्य का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है।



परिशिष्ट 1

पं. मदनमोहन मालवीय के भाषणों के ग्रामोफोन-रिकार्ड्स

‘78आरपीएम ग्रामोफोन’ पर विभिन्न प्रकार के संगीत, गीत, युद्धघोष, राजनेताओं के भाषणों आदि को रिकार्ड करने का इतिहास दुनिया में सन् 1888 में, इंग्लैण्ड में 1898 में और भारत में सन् 1901 से शुरू होता है जब कलकत्ते में ग्रामोफोन-कम्पनी की शाखा खुली। 1908 में कलकत्ते में ग्रामोफोन-कारखाने की स्थापना हुई। तब से लेकर 70 के दशक की शुरूआत तक ग्रामोफोन का युग रहा और 75 विभिन्न रिकार्डिंग-कम्पनियों से लगभग 5 लाख रिकार्ड्स तैयार हुए हैं।

चेन्नई-निवासी प्रसिद्ध फ़िल्म-इतिहासकार, समीक्षक और लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स-धारी श्री वेंकट आनन्दकुमार कृष्ण (वी.ए.के.) रंगाराव (जन्म 1938) के निजी संग्रह में 40 भारतीय एवं विदेशी भाषणों में 53,000 से अधिक ‘78आरपीएम ग्रामोफोन रिकार्ड्स’ का दुर्लभ संग्रह है। उनके संग्रह में सैकड़ों राष्ट्रीय एवम् अन्तरराष्ट्रीय नेताओं के हजारों ऑडियो भाषण के ग्रामोफोन्स भी हैं, जिनमें महात्मा गाँधी, पं. मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस, मुसोलिनी आदि के भाषण हैं। इनमें मालवीय जी के ऑडियो-रिकार्ड्स शीघ्रता से एकत्र कर लेने चाहिये। श्री वी.ए.के. रंगाराव का पता है— ‘Ram Mahal’, 36 Pycrofts Gardens, Chennai 600 006, Ph: 044-28278308.

दरभंगा के ‘महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउण्डेशन’ में भी पं. मदनमोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू के भाषणों के ग्रामोफोन-रिकार्ड्स संगृहीत हैं, जिन्हें तत्परता से प्राप्त कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार देश के कुछ विख्यात ग्रामोफोन-रिकार्ड-संग्राहकों के नाम इस प्रकार हैं, जिनके संग्रह में मालवीय जी के भाषणों के ग्रामोफोन-रिकार्ड्स होने की सम्भावना है :

- नारायण पी. मुलानी, मुम्बई
- सुरेश चण्डवंकर, मुम्बई

- कृष्णराज आर. मर्चेण्ट
- प्रभाकर दातार
- दिलीप पुरोहित
- ध्रुव घोष
- मुकुन्द आचार्य
- नरेन्द्र श्रीमाली 'कमल', वडोदरा, गुजरात
- सुशान्त चटर्जी, कोलकाता



परिशिष्ट 2

महामना के वीडियो-फुटेज

उन्नीसवीं शताब्दी में कैमरे के आविष्कार के तुरन्त बाद भारत में यूरोपीय फोटोग्राफरों का आगमन प्रारम्भ हो गया और दूर-दूर तक फोटोग्राफी फैल गयी। प्रारम्भिक दौर में 1857-59 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के चित्र बड़ी संख्या में लिए गए। उसके बाद तो कैमरे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन् 1900 और 1910 के दशक के दौरान '35 मिमी नाइट्रेट फिल्म' तकनीक से 'मूविंग इमेज' अथवा 'मोशन पिक्चर' का भी चलन प्रारम्भ हुआ जिसका निर्माण अपेक्षाकृत खर्चीला था। यह तकनीक लगभग 1952 तक प्रचलित रही, तत्पश्चात् '16 मिमी सेफ्टी फिल्मों' का दौर आया। उस कालखण्ड में फोटोग्राफी की तकनीक यूरोपीयों के पास थी और वे अपनी मनचाही चीजों का फिल्मांकन किया करते थे। इन वर्षों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कई तरह की फोटोग्राफी-सोसायटीज और स्टूडियो विकसित हुए।

ब्रिटिश भारत (1910-1947) में विदेशी फिल्मकारों ने भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की अनेक प्रमुख घटनाओं (विभिन्न काँग्रेस-अधिवेशन, 1902 का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार, ड्यूक ऑफ कर्नाट की भारत-यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत-यात्रा, विभिन्न वायसरायों का भारत-भ्रमण, कलकत्ता के 'बेल्वेडियर हॉउस' में वायसराय की गार्डन पार्टी, क्रिप्स मिशन, दाण्डी-मार्च, भारत छोड़ो आन्दोलन, नोआखाली-दंगे और राहतकार्य, कैबिनेट मिशन की बैठक, सत्ता-हस्तान्तरण, आदि) के साथ-साथ भारतीय जनजीवन के अलग-अलग पहलुओं (1934 का बिहार-भूकम्प, भारत की निर्धनता और भुखमरी, भारतीय कृषि, अस्पृश्यता, जातिप्रथा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हिंदू पर्व-त्योहार, मुगल-वास्तुकला, हिंदू-वास्तुकला, जगन्नाथ-रथयात्रा, काशी के घाट, काशी नगर, मुम्बई नगर, देहरादून नगर, विभिन्न राजे-महाराजाओं के राज्याभिषेक-समारोह, जन्मदिवस-समारोह, विवाह-समारोह और शानो-शौकत आदि) को फिल्मांकित किया है। शुरूआती फिल्म-निर्माताओं ने भारत की निर्धनता को खूब फिल्मांकित किया है। वर्ष 2018 में सन्ध्या सूरी ने ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट नेशनल आर्काइव, लन्दन के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय जनजीवन पर निर्मित लगभग डेढ़ सौ पुरानी फिल्मों के प्रमुख दृश्यों के साथ

‘एराउण्ड इण्डिया विद अ मूवी कैमरा’ नामक 73 मिनट के एक आकर्षक वृत्तचित्र का निर्माण किया है।

इन्हीं के साथ ब्रिटिश शासनकाल में अनेक सार्वजनिक हस्तियों का भी प्रमुखता से फिल्मांकन किया गया जिनमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विनायक दामोदर सावरकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ब्रिटिश वायसरायों, जैसे— लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउण्टबेटन, आदि से जुड़े फुटेज भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मुहम्मद अली जिन्ना, लियाक़त अली, विठ्ठलभाई झबेरभाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सरोजिनी नायडू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे, जयप्रकाश नारायण, राजकुमारी अमृत कौर, रमण महर्षि, स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती इत्यादि के भी कुछ फुटेज उपलब्ध हैं।

लोकमान्य टिळक (1856-1920) का एक भी फुटेज नहीं मिल सका है। 01 अगस्त, 1920 ई. को उनकी शवयात्रा को अवश्य फिल्माया गया है। यही हाल श्रीअरविन्द (1872-1950) का भी है। उनके जीवनकाल में सम्भवतः एक भी बार उनका फिल्मांकन न हो सका, जबकि उनका देहावसान 1950 में हुआ था। उनके देहावसान के बाद उनको समाधिस्थ किए जाने का फिल्मांकन अवश्य हुआ है। ‘ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट नेशनल आर्काइव’ ने 1899 और 1947 के बीच ब्रिटिश भारत में शूट की गई 250 फिल्मों का डिजिटलीकरण कर दिया है। इनमें 100 से अधिक वीडियो यूट्यूब पर हैं, शेष यूनाइटेड किंगडम में बीएफए की स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं। बी.एफ.आई. के अनुसार ऐसी अनेक फिल्में डिजिटल नहीं हो सकीं जो मानसून अथवा तीव्र गर्मी में नष्ट हो गयीं अथवा राजनीतिक उथल-पुथल या प्रवास के कारण खो गयीं। अतः यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन के सभी अभिलेखागारों में उपलब्ध सभी ‘35 मिमी नाइट्रेट फिल्मों’ को डिजिटल कर दिया गया होगा। इसलिए यह कह पाना कठिन है कि किन-किन भारतीय हस्तियों का फिल्मांकन हुआ है। हो सकता है भविष्य में लोकमान्य टिळक, श्रीअरविन्द तथा कुछ अन्य महापुरुषों के वीडियो-फुटेज सामने आ जायें।

बीसवीं शती के पूर्वार्ध में विदेश गए भारतीय सन्तों के वीडियो-फुटेज बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। ऐसे सन्तों में परमहंस योगानन्द, मेहेर बाबा, अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्तस्वामी प्रभुपाद और महर्षि महेश योगी प्रमुख हैं।

ब्रिटिश काल में जिस महान् विभूति का सर्वाधिक फिल्मांकन हुआ, वह थे मोहनदास करमचन्द गांधी। उनके सैकड़ों वीडियो-फुटेज विभिन्न ब्रिटिश अभिलेखागारों में विद्यमान हैं, जिनमें से अधिकांश को भारत सरकार के फिल्म्स डिवाज़न ऑफ़ इण्डिया (एफडीआई) और ‘गांधी सर्व फाउण्डेशन’ ने प्राप्त कर लिया है। यदि गांधी जी के समस्त

वीडियो-फुटेज एकत्र कर लिए जाएँ, तो उन्हें देखने में कई दिन लगेंगे। इससे लगता है कि गांधी जी के साथ फोटोग्राफ़रों एक समूह साये के समान रहता था। एफ.डी.आई. ने गांधी मेमोरियल फण्ड के सहयोग से गांधी जी के उपलब्ध वीडियो-फुटेज को एकत्र और सम्पादित करके 330 मिनटों के वृत्तचित्र 'महात्मा : लाइफ ऑफ़ गांधी 1869-1948' का निर्माण किया है। एफडीआई के अतिरिक्त 'इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका फ़िल्म्स', गांधी सर्व फाउण्डेशन, बीबीसी आदि अनेक संस्थाओं ने महात्मा गांधी के वीडियो-फुटेज के आधार पर अनेक वृत्तचित्रों का निर्माण किया है।

रही बात पं. मदनमोहन मालवीय जी की, तो यह दुर्भाग्य का विषय है कि ब्रिटिश फिल्मकारों के कैमरे की पकड़ में मालवीय जी बहुत ही कम बार आ पाए हैं। जहाँ महात्मा गांधी के कई-कई घण्टों के वीडियो-फुटेज मिल जाते हैं, वहीं मालवीय जी के कुछ मिनटों तो क्या, सैकेण्डों के ही वीडियो-फुटेज मिलते हैं। कहने को तो वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा स्थापित 'फ़िल्म्स डिवीज़न ऑफ़ इण्डिया' ने 8,000 से अधिक वृत्तचित्रों और लघु फ़िल्मों का निर्माण किया है, किन्तु मालवीय जी से सम्बन्धित एक भी नहीं! यह दुःखद आश्चर्य की बात है।

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित वीडियो-फुटेज, फ़िल्मों, वृत्तचित्रों और लघु फ़िल्मों के सबसे बड़े संग्रह निम्नलिखित अभिलेखागारों में विद्यमान हैं :

1. ब्रिटिश फ़िल्म इंस्टीट्यूट नेशनल आर्काइव, लन्दन
2. ब्रिटिश पैथी (इश् ३ रें ढंईक): सन् 1896 में चार्ल्स पैथी (1863-1957) द्वारा स्थापित, 'पैथी न्यूज' 1910 से 1970 के दशक तक ब्रिटिश साम्राज्य में समाचार-रीलों का निर्माता था। इस कम्पनी को अब 'ब्रिटिश पैथी' कहा जाता है और इसने अपने अभिलेखागार में संगृहीत सभी वीडियो-फुटेज यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दिल्ली दरबार का दुर्लभ फुटेज 'ब्रिटिश पैथी' की बदौलत जीवन्त हो सका है।
3. हण्टले फ़िल्म आर्काइव्स, इवयास हारोल्ड, हेयरफोर्ड, इंग्लैण्ड
4. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, लन्दन
5. फॉक्स मूवीटोन न्यूज कलेक्शन (मूविंग इमेज रिसर्च कलेक्शन्स), यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ कैरोलिना, कोलम्बिया, सं.रा. अमेरिका
6. फ़िल्म्स डिवीज़न ऑफ़ इण्डिया, भारत सरकार, मुम्बई
7. इम्पीरियल वॉर म्यूज़ियम, लन्दन
8. ब्रिटिश एम्पायर एण्ड कॉमनवेल्थ म्यूज़ियम, ब्रिस्टल, इंग्लैण्ड

बहुत प्रयास और मेहनत-मशक़त के बाद मालवीय जी के कुल 16 वीडियो-फुटेज मुझे प्राप्त हुए हैं, जो सन 1911 से 1931 के मध्य फ़िल्मांकित हैं। कुल 137 सैकेण्डों के इन फुटेज का विवरण इस प्रकार है :


1. दिनांक 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित तृतीय दिल्ली

- दरबार में संयुक्त प्रान्त के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर कुछ विशिष्ट लोगों के साथ ब्रिटिश सम्राट् जॉर्ज पंचम और सम्राज्ञी मेरी का अभिवादन करते हुए मालवीय जी। मालवीय जी के उपलब्ध वीडियो-फुटेज में यह सबसे पुराना है। (लगभग 21 सैकण्ड)
2. दिनांक 26 दिसम्बर, 1924 को एक जनसभा में मालवीय जी महात्मा गाँधी के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए मंच पर आकर विराजमान होते हैं और गांधी जी सभा को सम्बोधित कर रहे हैं। (लगभग 13 सैकण्ड)
 3. एक अज्ञात काँग्रेस अधिवेशन में मालवीय जी सभा को सम्बोधित कर रहे हैं। मंच पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। (लगभग 3 सैकण्ड)
 4. सन् 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में महात्मा गांधी के साथ बैठे हुए मालवीय जी की एक झलक दिखती है। (लगभग 2 सैकण्ड)
 5. पुष्पमालाओं से लदे हुए मालवीय जी सभा-स्थल तक ले जाए जा रहे हैं (सम्भवतः 26 मार्च, 1931 को कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन) (लगभग 3 सैकण्ड)
 6. दिनांक 26 मार्च, 1931 को कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में महात्मा गांधी को क्रोधित भीड़ से बचाते हुए मंच तक लाते हुए मालवीय जी। (लगभग 8 सैकण्ड)
 7. दिनांक 26 मार्च, 1931 को कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और आचार्य जे.बी. कृपलानी के साथ मालवीय जी भी दिख रहे हैं। मालवीय जी ने धूप से बचने के लिए सिर पर बायीं हथेली छतरी-सी बना रखी है। (6 सैकण्ड)
 8. लन्दन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए 'एस.एस. राजपुताना' नामक जहाज पर चढ़कर लन्दन प्रस्थान करने के पश्चात् मुस्कुराकर पत्रकार से बात करते हुए। (लगभग 3 सैकण्ड)
 9. 'एस.एस. राजपुताना' जहाज की डेक पर गांधी जी के साथ हाथ हिलाकर जनसमूह का अभिवादन। (लगभग 27 सैकण्ड)
 10. 'एस.एस. राजपुताना' जहाज पर सरोजिनी नायडू के साथ बैठकर महात्मा गांधी को सूत कातते हुए देखना। (लगभग 7 सैकण्ड)
 11. 'एस.एस. राजपुताना' जहाज के कप्तान द्वारा महात्मा गांधी को जहाज की संरचना के विषय में जानकारी दी जा रही है, साथ में मालवीय जी भी खड़े हैं। (लगभग 6 सैकण्ड)
 12. 'एस.एस. राजपुताना' जहाज के कप्तान के निर्देशन में गांधी जी दूरबीन से सागर का

- निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ भी मालवीय जी दिखाई दे रहे हैं। (लगभग 3 सैकण्ड)
13. लन्दन पहुँचने के पश्चात् गांधी जी के व्यस्त कार्यक्रमों में उनके साथ प्रत्येक समय मालवीय जी उपस्थित नहीं हैं। कुछ ही स्थानों पर उनकी झलक मिलती है। लन्दन में गांधी जी के साथ एक मकान से निकलकर कार में बैठने का दृश्य। पीछे-पीछे पुत्र गोविन्द मालवीय भी निकले। (लगभग 3 सैकण्ड)
 14. लन्दन में ब्रिटिश अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात, फोटो-सेशन और सिर झुकाकर अभिवादन करने का दृश्य, साथ में पुत्र गोविन्द मालवीय भी हैं। यह वीडियो वास्तव में दर्शनीय है। (13 सैकण्ड)
 15. पुष्पमालाओं से लदे हुए पं. मदनमोहन मालवीय और विठ्ठलभाई झबेरभाई पटेल एक खुली जीप पर खड़े होकर जनसभा का अभिवादन कर रहे हैं। जीप में मालवीय जी के सुपुत्र पं. गोविन्द मालवीय भी बैठे हुए हैं। (लगभग 15 सैकण्ड)
 16. कुछ नेताओं से वार्ता करते हुए मालवीय जी (सम्भवतः 1931 ई.) (लगभग 5 सैकण्ड)

कोल्हापुर नरेश के आदेश पर कोल्हापुर सीनेटोन कम्पनी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय और दीक्षान्त समारोह के समय समस्त कार्यवाहियों का फिल्मांकन किया था। इस कम्पनी ने लॉ कॉलेज की मूककोर्ट, नाटक, खेल, इंजीनियरिंग कॉलेज, रसायन, भौतिकी, आयुर्वेद, संस्कृत, महिला विद्यालय की छात्राओं के खेल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सेण्ट्रल हिंदू स्कूल के खेल, स्काउट के खेल, बड़े-बड़े भवनों और दृश्यों का फिल्मांकन किया था।

‘सनातनधर्म’ (वर्ष 3, अंक 32, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, रविवार, वि.सं. 1992 (01.03.1936 ई.), पृ. 36.) में उल्लेख मिलता है कि चित्रा सिनेमाहॉल में दिनांक 278 फरवरी, 1936 को मालवीय जी ने आचार्य आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव और अधिकारी वर्ग के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर आधारित फिल्म देखी थी। इस फिल्म में गत वर्ष का वार्षिकोत्सव, सभी भवन, प्रोफेसरों के भाषण, कार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, वसन्त पञ्चमी का उत्सव, व्यायाम-प्रदर्शन, खेल, फौजी खेल, सरस्वती-दर्शन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण, शंकराचार्यजी का स्वागत, बाग-दृश्य, सड़कें, लाइब्रेरी, खेती-विभाग, साइंस-विभाग, अस्पताल, महिला-छात्रावास, पोस्टऑफिस कॉलेज, काशी जी की शोभा, विश्वनाथजी का मन्दिर और भक्तों का कीर्तन दिखाया गया। इस फिल्म का प्रबन्ध श्री ज्योतिप्रसाद अग्रवाल (चतुर्थ वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय) ने किया था। गत वर्ष कोल्हापुर की कम्पनी ने गत वर्ष के वार्षिकोत्सव को फिल्म में लिया है जो एक सप्ताह तक होता रहा था। इस फिल्म में मालवीय जी का उपदेश वसन्त पञ्चमी के दिन का है तथा कई प्रोफेसरों के व्याख्यान, कक्षाओं में हो रहे हैं। प्रो. किंग और आचार्य ध्रुव के भाषण, कक्षाओं में दिखाए गए हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वागत और भाषण वार्षिकोत्सव के दिन हुआ था, वह बड़ा मनोहर है। जुलूस का दृश्य अति रमणीक है।



अभ्युदय

The Leader

अ० भा० सुनातनधर्म महासभा का साप्ताहिक मुखपत्र

सुनातन धर्म

तेज को तेहि राखे करतार ।



महामना मालवीय मिशन

52-53, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नयी दिल्ली-110 002

दूरभाष : 011-23238014, 23216184

ई-मेल : malaviyasmission@gmail.com

वेबसाइट : www.malaviyamission.org



ISBN 978-81-990312-5-8



9 788199 031258

महामना मालवीय वाङ्मय : दिशा-दर्शन